सर्वसमावेशी स्वदेशी

दत्तोपंत ठेंगड़ी

सर्वसमावेशी स्वदेशी

दत्तोपंत ठेंगड़ी

स्वदेशी विचार फाउण्डेशन, जोधपुर (राज.)

सर्वसमावेशी स्वदेशी

राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी के

कुछ प्रतिवेदनों

एवं

भाषणों का संकलन

स्वदेशी विचार फाउण्डेशन, जोधपुर (राज०)

प्रकाशक

स्वदेशी विचार केन्द्र

(स्वदेशी विचार फाउण्डेशन का एक उपक्रम)

बी - 708, 'मारवाड़ अपार्टमेंट'

सेक्टर - 14-ई, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड

जोधपुर (राजस्थान) – 342006

+91-9414126770

प्रथम संस्करण

10 नवम्बर, 2013 (श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी के 94 वें जन्मदिवस पर)

सम्पादन

डॉ० रणजीतसिंह

सहयोग राशि

रु 20.00 (बीस रुपये मात्र)

स्वदेशी विचार केन्द्र के लिए लेजर टाईप सेटिंग परिहार डीटीपी एवं मुद्रण नागणेचियाँ प्रिंटिंग प्रेस, जोधपुर द्वारा

प्रस्तावना

- मा० मदनदास देवी

22 नवम्बर 1991 को नागपुर में आयोजित एक बैठक में स्वदेशी जागरण मंच के गठन की घोषणा की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह माननीय शेषाद्री जी अन्तिम सत्र में उपस्थित थे। बैठक में विख्यात अर्थशास्त्रज्ञ तथा नागपुर विश्वविद्यालय के उप-कुलपति श्री मा० गो० बोकरे को स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक के नाते दायित्व की घोषणा की गई और मुझे राष्ट्रीय सह-संयोजक के नाते दायित्व दिया गया। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी के मार्गदर्शन में यह बैठक सम्पन्न हुई। इस प्रकार स्वदेशी जागरण मंच के प्रारम्भ से ही अनेक चिन्तन बैठकों, राष्ट्रीय परिषद की बैठकों और अखिल भारतीय अधिवेशनों में श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा स्वदेशी आन्दोलन के कार्यकर्ताओं को दिये गये मार्गदर्शन को प्रत्यक्ष सुनने का सु-अवसर अनेक बार प्राप्त हुआ। स्वदेशी आन्दोलन के रूप में, वैश्विक आन्दोलन का नेतृत्व करने की दृष्टि से संगठन की रचना कैसी हो? तो दत्तोपंत जी कहते थे कि 'परम्परागत, रूढ़, संस्था-प्रधान रचना के आधार पर हम आज के अभूतपूर्व संकट का सामना नहीं कर सकते। असामान्य आह्वान, असामान्य रचना की अपेक्षा करते है। आक्रमण जितना सर्वव्यापी है, उतना ही सर्वव्यापी कार्य-रचना होना आवश्यक है।' कम से कम समय में स्वदेशी के जागरण को सर्वव्यापी

बनाने की दृष्टि से मंच के कार्य की रचना कैसी हो, इसकी समग्र कल्पना दत्तोपंत जी को थी।

वे कहते थे कि 'संस्था-प्रधान रचना की भी अपनी एक विशेष स्वरूप की शक्ति हुआ करती है। सामान्य परिस्थिति में वह शक्ति परिणाम कारक होती है, किन्तु उस रचना की मर्यादाओं के कारण, संस्था-प्रधान रचना सर्वसमावेशक नहीं हो सकती।'

श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने स्वदेशी जागरण मंच का अधिष्ठान, सर्वसमावेशक हिन्दुत्व के अधिष्ठान पर रखा। समान उद्देश्य को तथा उसकी प्राप्ति के लिये मोटे तौर पर तय की गई सर्वसम्मत रणनीति को ध्यान में रखकर, देश में विभिन्न मतावलंबी देशभक्त विभिन्न क्षेत्रों में, व्यक्तिगत रूप से, व्यक्ति समूह के रूप में, स्वयं प्रेरणा से तथा स्वयं की उपक्रमशीलता के आधार पर, अकेले-अकेले या अन्य व्यक्ति-समूहों से मिलकर कार्य करने के लिए सोत्साह आगे बढ़ रहे हैं। यह दृश्य संस्था-प्रधान रचना के फलस्वरूप निर्माण नहीं हो सकता। ध्येय की समानता तथा स्थूल रूप से स्वीकृत की गई सर्वसम्मत रणनीति, ये दो बातें तो अनिवार्य है, किन्तु विभिन्न व्यक्ति-समूहों की अस्मिता को अक्षुण्ण, कायम रहने देते हुए उनकी सभी शक्तियों का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिये हो सके, इसकी गुंजाइश संस्था प्रधान रचना में नहीं हो सकती।

इसलिए दत्तोपंत जी कहते थे कि 'स्वदेशी जागरण के अभियान में सहभागी होना यह सभी देशभक्तों का अधिकार एवम् कर्त्तव्य है। अपनी-अपनी व्यक्तिगत या समूहगत अस्मिता को कायम रखते हुए सभी इसमें सहभागी हो सकें, ऐसी रचना का हमें विकास करना होगा। इस दृष्टि से पहली आवश्यकता यह है कि हममें से हर एक कार्यकर्ता के

मन में यह भाव दृढ़ होना चाहिए कि 'स्वदेशी जागरण मंच' यह संस्था नहीं, जन आन्दोलन है।'

इस प्रकार व्यापक चर्चा के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शीघ्र कार्य विस्तार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, परम्परागत, गूढ़, संस्था प्रधान रचना को छोड़कर, 'संयोजक' 'समिति' प्रधान खुली रचना का ही स्वीकार संगठनात्मक दृष्टि से किया जाए।

यह निर्णय कितना सुयोग्य था, यह 22 नवम्बर, 1992 को मुम्बई में आयोजित खुले अधिवेशन में अनायास ही सभी के ध्यान में आया। प्रकट सभा में विख्यात साम्यवादी नेता श्रीपाद् अमृत डांगे की पुत्री श्रीमती रोजा देशपांडे तथा सोशलिस्ट लीडर श्री एस० आर० कुलकर्णी के भाषणों से मंच की विशुद्ध देशभक्ति की भूमिका यह स्पष्ट हुई।

मुझे स्मरण है, 1993 में स्वदेशी जागरण मंच का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में सम्पन्न हुआ। उसके उद्घाटन के लिए जस्टिस वी० आर० कृष्ण अय्यर आये थे। दिसम्बर, 1992 में राम जन्म भूमि का विषय अपने चरम पर था। इस कारण अनेक कम्युनिस्ट नेताओं ने, जस्टिस कृष्ण अय्यर पर दबाव डाला कि आप मत जाइए। परन्तु वे निश्चय करके उसमें आये थे। और उन्होंने कहा कि 'कम्युनिस्टों को संघ के विरोध का पीलिया हो गया है, लेकिन यह स्वदेशी का काम राष्ट्रीय कार्य है, उसमें मैं जरूर जाऊंगा।' उनका लिखित भाषण बहुत संवैधानिक, कानूनी भाषा में था, परन्तु उसे एक तरफ रखकर, सीधे बहुत अच्छा भाषण किया और कहा कि 'मुझे यहाँ नहीं आने देने के लिए अनेक लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ और स्वदेशी आन्दोलन में आपके साथ हूँ। और भारत माता की प्रतिमा के सामने उन्होंने दीप जलाया तो ऐसे कम्युनिस्ट क्षेत्र के बहुत बड़े विचारक, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसे लोग भी इस आन्दोलन के साथ जुड़े।

पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर जैसे लोग भी जुड़े और उन्होंने तो अपना स्वदेशी जागरण मंच का पहला ड्राफ्ट और संघ का प्रस्ताव लेकर सारे पत्रकार जगत में वितरित किया। जहाँ जाते थे सबको दिखाते थे। कहते थे, 'स्वदेशी का सवाल सबसे बड़ा सवाल है।'

हम जानते है कि कोई भी आन्दोलन अगर यशस्वी होता हैं तो विचारों के आधार पर यशस्वी होता है। स्वदेशी जागरण मंच एक वैचारिक आन्दोलन है। श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने, स्वदेशी आन्दोलन को विशुद्ध देशभक्ति का अधिष्ठान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि यह 'दूसरा स्वतंत्रता आन्दोलन है, भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन जितना ही महत्वपूर्ण है। और हम सब लोग ऐसे हैं कि हम लोगों ने उस स्वतंत्रता संग्राम को देखा नहीं था, क्योंकि उस समय हम थे भी नहीं, लेकिन यह न दिखने वाला जो सर्वंकष आक्रमण चल रहा है, आर्थिक-औद्योगिक साम्राज्यवाद जो आ रहा है, उससे स्वतंत्रता प्राप्त करने का यह आन्दोलन चल रहा है, यानि स्वतंत्रता आन्दोलन। और हम सब सैनिक है ऐसा मानकर यदि हम उस आन्दोलन में काम करेंगे तो जो आनन्द, जो शान्ति भगत सिंह को, चन्द्रशेखर आजाद को, सुखदेव और राजगुरु को तथा अनेक क्रान्तिकारियों को अथवा अनेक स्वातंत्र्य सैनिकों को उस समय मिली, देश के लिए जेल में जाने की, लाठी खाने की, अपने साथी का सर फटते हुए देखने की, जो आनन्द, जो उत्साह उनके मन में आया होगा उसी प्रकार का आनन्द, यह हमारे मन को होगा। क्योंकि हम दूसरे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक है।

इस प्रकार श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने स्वदेशी जागरण मंच को विशुद्ध देशभक्ति के वैचारिक अधिष्ठान पर खड़ा किया और सभी प्रकार के विषयों को ठीक से बताने में कभी संकोच नहीं किया। इसलिये आगे चलकर कठिन समय में भी

और केन्द्र में भाजपा सरकार होने के समय पर भी, इस विषय को आगे बढ़ाने का काम ठीक प्रकार से हो सका।

मंच की गैर-राजनीतिक भूमिका को स्पष्ट करने के लिए श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने रेसपोन्सिव कॉ-ऑपरेशन का सिद्धान्त रखा। रेसपोन्सिव कॉ-ऑपरेशन का अर्थ बताते हुए वे कहते थे कि, 'किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम पार्टी की फिक्र नहीं करते, किन्तु सरकार की नीति यदि स्वदेशी के अनुकूल रहेगी तो स्वदेशी जागरण मंच सरकार का समर्थन करेगा। सरकार की नीति यदि स्वदेशी के प्रतिकूल रहेगी, याने विरोधी होगी तो स्वदेशी जागरण मंच सरकार का विरोध करेगा।'

इसी प्रकार मंच की सर्वसमावेशी भूमिका को स्पष्ट करते हुए दत्तोपंत जी ने सब को साथ लेने की बात कही। सबको साथ लेने का अपना विचार है। सभी को साथ में लेना माने सारे किसान संगठन, मजदूर संगठन और जितने भी इस क्षेत्र में काम करने वाले एन० जी० ओ०, राजनैतिक क्षैत्र में काम करने वाले लोग और किसी राजनैतिक दल को लगे कि यह विषय अच्छा है तो वह भी जुड़ सकता है। हमारा विचार सर्वसमावेशी रहेगा, क्योंकि यह दूसरा स्वतंत्रता संग्राम इस क्रम में आन्दोलन के स्वरूप के विषय में स्पष्टता प्रारम्भ से रखी गई कि इसका एक ही स्वरूप होगा, ऐसा नहीं है। इसके अनेक स्वरूप होंगे, इसके अनेक मोर्चे होंगे, अनेक स्थान होंगे, अनेक संस्थाऐं होगी, परन्तु उनको जोड़ने वाला यह जागरण मंच होगा, नेटवर्किंग करने वाला, नेतृत्व करने वाला यह स्वदेशी जागरण मंच होगा। ऐसी भूमिका रखी गई। और संघर्ष के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आपने कहा कि जब आक्रमण करने वाली सेना अत्यधिक

शक्तिशाली हो तब लम्बे समय तक मैदानी लड़ाई, माने आमने-सामने की लड़ाई नहीं चलाई जा सकती। ऐसे समय में छापा मार युद्ध प्रणाली अधिक कारगर रहती है। दत्तोपंत जी कहते थे कि 'अलग-अलग गुरिल्ला ग्रुप अलग-अलग स्थान पर रहते हैं। कोई केन्द्रीय मार्गदर्शन ऐसा उनका नहीं रहता, एक शिथिल सहयोग परस्पर उनका रहता है। सबका उद्देश्य एक, परस्पर शिथिल सहयोग। अपने-अपने स्थान से, जहाँ-जहाँ शत्रु सेना का शिविर होगा वहाँ छापा डालना, जितना सामान उनका लूट सकते है लूट लेना, जितने सिपाही उनके मार सकते है मार देना, ऐसी छापामार लड़ाई जैसे गुरिल्ला वार प्रेक्टिस में चलाते हैं, वैसे ही यह जो आर्थिक युद्ध है, इस युद्ध में अलग-अलग शक्तियाँ अपने-अपने स्थान पर इसी तरह यह छापामार लड़ाई चलाएं।'

गेट की उरूग्वे दौर की वार्त्ताओं तथा डंकेल प्रस्ताव के आने से बहुत पहले से श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने देश को सावधान किया था कि विकसित गौरे देश, विकासशील देशों तथा अविकसित देशों को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने तथा यहाँ की गरीब जनता का शोषण करने का षडयंत्र कर रहे हैं। **"**डंकेल प्रस्तावों को गुलामी का दस्तावेज**"** बता कर आपने केन्द्र सरकार को इस राष्ट्र विरोधी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने की चेतावनी दी थी।

इसके बावजूद जब केन्द्र सरकार ने 13 दिसम्बर को विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये, तो श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने सभी देशभक्तों का आह्वान करते हुए 'अब प्रत्यक्ष युद्ध प्रारम्भ हुआ' ऐसी घोषणा की।

विदेशी पूँजी और विदेशी सत्ता के अपवित्र सांठ-गांठ के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा करते हुए उन्होंने देशभक्तों को आह्वान किया कि 'अब हर तरह की

लड़ाई के लिए तैयार रहें।' उन्होंने स्पष्ट किया कि 'अब तक संघर्ष का अपना जो अनुभव है, वह स्वकीय सत्ता के साथ संघर्ष का अनुभव है। हड़ताल करना, मोर्चा निकालना, हस्ताक्षर संग्रह, प्रकट सभा, सब ठीक था। किन्तु अब लड़ाई का ज्युरिस्डिक्शन दिल्ली से हटकर वाशिंगटन हो गया है, तो हमें भी अपने वे'ज और मीन'स (Ways & means) बदलने होंगे और हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार होना होगा।'

आज, जब आर्थिक साम्राज्यवाद का आक्रमण अधिक व्यापक होता जा रहा है। विगत 20 वर्षों के तथाकथित वैश्वीकरण और उदारीकरण के दुष्परिणाम हम झेल रहे हैं, तटकर समाप्त प्राय: करने के फलस्वरूप देश के बाजार विदेशी उत्पादों के डम्पिंग यार्ड में तद्वील हो गये है। पश्चिमी देशों के भारी सब्सिडी प्राप्त कृषि उत्पादों के मुक्त आयात के कारण कृषि कार्य घाटे का काम बन गया है, लाखों किसानों ने कर्ज में डूबकर आत्महत्या का रास्ता लिया। व्यापक स्तर पर लघु उद्योग समाप्त हो गये है। मात्रात्मक प्रतिबंध समाप्त करने के फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन के दो तिहाई हिस्से पर विदेशी कम्पनियों का एकाधिकार हो गया है।

अब शिक्षा का क्षेत्र भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा विदेशी निवेश के लिए खोल दिया है। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सभी क्षेत्रों, सभी अति संवेदनशील क्षेत्रों को विदेशी पूँजी के हवाले किया जा रहा है। और तो और, खुदरा व्यापार जैसा स्वावलम्बी क्षेत्र अब विदेशी कम्पनियों को सौंपा जा रहा है। ऐसे अत्यन्त व्यथित करने वाले समय पर श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के भाषणों का यह संकलन प्रकाशित हो रहा है, यह समाधान की बात है।

स्वदेशी जागरण मंच की केन्द्रीय कार्य समिति के सदस्य तथा दत्तोपंत वांग्मय के अध्येता, डॉ० रणजीत सिंह ने यह श्रम साध्य कार्य प्रामाणिकता से सम्पन्न किया। वे और उनके सहयोगी कार्यकर्ता साधुवाद के पात्र हैं।

मुझे विश्वास है, श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी के कालजयी उद्‌बोधन देश की स्वतंत्रता तथा सम्प्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए देशभक्तों का सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे।

मदनदास देवी

पूर्व सह-सर कार्यवाह

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

संकलनकर्त्ता की ओर से...

राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी द्वारा स्वदेशी आन्दोलन को पाथेय स्वरूप दिये गये मार्गदर्शन को संकलित करना अपने आप में चुनौती भरा कार्य है। क्योंकि एक व्यक्ति के भीतर इतने अधिक आयाम विरले ही होते हैं। उन सभी आयामों पर, उनके द्वारा दिये गये भाषणों की लम्बी शृंखला है। कुछ भाषण प्रकाशित हैं और अनेक अप्रकाशित हैं तथा अनेक उपलब्ध भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उनमें से किन भाषणों का चयन करना है, यह भी एक कठिन प्रश्न था। फिर तय हुआ कि स्वदेशी आन्दोलन के निर्णायक क्षणों पर, श्रद्धेय दत्तोपंत जी द्वारा दिया गया मार्गदर्शन इस संकलन में प्रकाशित किया जाये।

प्रथम आलेख 'स्वदेशी आन्दोलन', स्वदेशी जागरण मंच, जोधपुर द्वारा दिनाँक 8 जुलाई, 2002 को आयोजित सार्वजनिक सभा में श्रद्धेय श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का कालजयी उद्‌बोधन, अक्षरश: दिया गया है। यह भाषण पूर्व में 'स्वदेशी आन्दोलन' नामक पुस्तिका में प्रकाशित हुआ था, अब तक इसकी 24,000 प्रतियाँ बिक चुकी हैं। स्वदेशी विचार केन्द्र द्वारा इस भाषण की पुस्तिका, ऑडियो कैसेट तथा वीडियो सी० डी० भी उपलब्ध करवाई गई है।

दूसरा आलेख 'स्वदेशी क्यों?', श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का दिनाँक 22 नवम्बर, 1992 को मुम्बई बैठक के अवसर पर आयोजित प्रकट सभा में दिया गया उद्‌बोधन है। स्मरण रहे कि इस ऐतिहासिक सभा को श्रीमती रोजा देशपाण्डे तथा सोशलिस्ट नेता एस० आर० कुलकर्णी ने भी सम्बोधित किया था। यह उद्‌बोधन स्वदेशी जागरण मंच, मुम्बई ने, ' स्वदेशी क्यों?' नामक पुस्तिका में प्रकाशित किया था।

तीसरा आलेख, 'स्वदेशी बनाम बहुराष्ट्रीय शिकंजा' इसी नाम से 'जागृति प्रकाशन, नोएडा' द्वारा सन् 1994 में प्रकाशित पुस्तिका से लिया गया है, श्रद्धेय दत्तोपंत जी द्वारा 2-3 अप्रेल, 1994 को पुणे में आयोजित स्वदेशी जागरण मंच की प्रथम राष्ट्रीय परिषद की बैठक के अवसर पर आयोजित सार्वजनिक सभा में दिया गया उद्‌बोधन है। इस प्रकाशन के लिये हम जागृति प्रकाशन का आभार व्यक्त करते हैं।

चौथा आलेख, 'आर्थिक स्वतंत्रता का संग्राम', फरवरी, 1997 को हैदराबाद में सम्पन्न स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय सभा के उद्‌घाटन के अवसर पर दिया गया ऐतिहासिक भाषण है, जो स्वदेशी पत्रिका के विद्वान सम्पादक श्री उमेन्द्रदत्त जी ने लिपिबद्ध कर स्वदेशी पत्रिका में क्रमश: प्रकाशित किया था। इस महान योगदान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

पांचवां आलेख, 'विजय सुनिश्चित', 14-16 नवम्बर, 1997 को वाराणसी में आयोजित स्वदेशी जागरण मंच के तीसरे अखिल भारतीय सम्मेलन में दिनाँक 15 नवम्बर को आयोजित सार्वजनिक सभा में श्रद्धेय श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी द्वारा दिया गया उद्‌बोधन है। इस ऐतिहासिक उद्‌बोधन की ऑडियो कैसेट, अपने भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री पवन कुमार जी ने उपलब्ध करवाया। यह भाषण इसी वर्ष प्राप्त हुआ। हम आदरणीय श्री पवन कुमार जी का सादर आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अत्यन्त सावधानीपूर्वक यह राष्ट्रीय सम्पत्ति सहेज कर रखी है।

छठा और सातवां आलेख, इस संकलन में 'स्वदेशी जागरण मंच का समारम्भ' तथा 'निर्णायक संघर्ष की ओर' नामक दोनों आलेख, 1993 में दिल्ली से प्रकाशित पुस्तिका 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे' में संकलित श्रद्धेय दत्तोपंत जी द्वारा 21-22 नवम्बर, 1992 को मुम्बई में आयोजित अखिल भारतीय बैठक तथा 4-5 सितम्बर, 1993 को दिल्ली में आयोजित

स्वदेशी जागरण मंच के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर प्रस्तुत लिखित वार्षिक प्रतिवेदन हैं। अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रकाशित करने के लिए अनाम देशभक्तों का आभार व्यक्त करता हूँ।

आठवां 'सरंचना और कार्य पद्धति' नामक आलेख, सन् 2000 में वृन्दावन में आयोजित चिन्तन बैठक में श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी द्वारा दिये गये उद्‌बोधन को, स्वदेशी पत्रिका के तत्कालीन विद्वान सम्पादक श्री विद्यानंद आचार्य ने शद्बश: लिपिबद्ध किया था। आपने बड़ा अनुग्रह करके यह अत्यन्त सारगर्भित आलेख उपलब्ध करवाया, हम आपका आभार व्यक्त करते है।

नवाँ, 'विकास का स्वदेशी मॉडल' नामक आलेख, 9-11 जनवरी, 2004 को कड़ी (गुजरात) में आयोजित स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सम्मेलन के समारोप समारोह के अवसर पर श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने स्वदेशी आन्दोलन के आगे के पड़ाव का मार्गदर्शन किया। इस समापन समारोह के भाषण को प्रारम्भ करते हुए आपने तीन बार, 'यह अन्तिम सत्र है' ऐसा कहा! अब इसे क्या कहा जाए? स्वदेशी जागरण मंच को सार्वजनिक रूप में दिया गया यह उनका अन्तिम सम्बोधन है। इस भाषण का सौभाग्य से ऑडियो तथा वीडियो, स्वदेशी विचार केन्द्र, जोधपुर के पास उपलब्ध है।

'सर्वसमावेशी स्वदेशी' के नाम से स्वदेशी जागरण प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा सन् 2005 में दो प्रतिवेदनों तथा दो भाषणों का संकलन प्रकाशित हुआ था। तत्कालीन स्वदेशी पत्रिका के विद्वान सम्पादकद्वय डॉ० कुलदीप रतनु तथा श्री विद्यानंद आचार्य ने इसके संकलन का गुरुभार ग्रहण किया। यह संकलन सब प्रकार से श्रेष्ठ होने के कारण इसके चारों आलेख यथावत रखे हैं। स्वदेशी विचार केन्द्र जोधपुर की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

हमारे लिए अत्यन्त सौभाग्य एवम् आनन्द का विषय है कि हम कार्यकर्त्ताओं के विनम्र अनुरोध को स्वीकार कर माननीय श्री मदनदास जी देवी ने, जो स्वदेशी आन्दोलन का समारम्भ से ही निरन्तर मार्गदर्शन करते आ रहे हैं तथा जो अनेक वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-सर कार्यवाह रहे, संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख के नाते दायित्त्व निर्वाह किया तथा अनेक वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व वहन किया, इस संकलन की उद्‌बोधक प्रस्तावना लिखकर संकलन की मौलिकता को प्रगाढ़ता प्रदान की है। मैं माननीय श्री मदनदास जी के प्रति अपने मन की कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

- डॉ० रणजीत सिंह

अ०भा० सह-सम्पर्क प्रमुख

स्वदेशी जागरण मंच

प्रकाशकीय

2013 में आयोजित स्वदेशी जागरण मंच केन्द्रीय कार्यसमिति की बैठक में यह आग्रह रखा गया कि श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी द्वारा स्वदेशी आन्दोलन को दिये गये उद्‌बोधनों का समग्र संकलन प्रकाशित किया जाए। संकलन करने का तथा प्रकाशित करने का यह महत्वपूर्ण कार्य स्वदेशी विचार केन्द्र, जोधपुर को दिया गया।

स्वदेशी विचार केन्द्र, जोधपुर विगत् 14 वर्षों से श्रद्धेय दत्तोपंत जी के वांग्मय को देश भर से एकत्रित करने तथा प्रकाशित करने के कार्य में लगा हुआ है। मेरा ऐसा अनुभव है कि श्रद्धेय दत्तोपंत जी के विचारों में स्वत: प्रकाशित होने की शक्ति है। अपने 64 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने लाखों अवसरों पर अनेक संगठनों का अनेक स्थानों पर मार्गदर्शन किया। ऐसा ध्यान में आता है कि उसका अधिकांश भाग चाहे स्थानीय स्तर पर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर वह प्रकाशित अवश्य हुआ है, उन्हें केवल एकत्रित करने का कार्य शेष है। इस संकलन में श्रद्धेय दत्तोपंत जी के नौ भाषणों को लिपिबद्ध किया गया है।

प्रकाशन में पूर्णतया सावधानी रखी गई है कि श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने जैसा बोला है वैसा ही लिखा जाये। फिर भी असावधानतावश कोई त्रुटि रह गयी हो, तो वह हमारी त्रुटि है। विद्वत् समाज इसके लिये हमें क्षमा करें तथा अवगत कराने की कृपा करें, ताकि अगले संस्करण में उसका सुधार किया जा सके।

यह हमारे लिये अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे अनुरोध पर माननीय श्री मदनदास जी देवी ने इस संकलन की प्रस्तावना लिखी। स्वदेशी विचार फाउण्डेशन, जोधपुर की ओर से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं स्वदेशी जागरण मंच के केन्द्रीय कार्य समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस ईश्वरीय कार्य को करने का हमें अवसर दिया।

संदीप काबरा

अध्यक्ष, स्वदेशी विचार फाउण्डेशन

राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी का संक्षिप्त जीवन परिचय

नाम - दत्तात्रेय बापूराव ठेंगड़ी

पिता का नाम- श्री बापूराव दाजीबा ठेंगड़ी

माता का नाम- श्रीमती जानकीदेवी

जन्म तिथि -10 नवम्बर, 1920 (दीपावली के दिन)

जन्म स्थान - गाँव - आर्वी, वर्धा (महाराष्ट्र)

शिक्षा - बी.ए., एल. एल.बी

भाषाएँ ज्ञात - मराठी, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मलयालम, बांग्ला, गुजराती।

देहावसान - 14 अक्टुबर, 2004

सामाजिक दायित्व

1. अध्यक्ष - वानर सेना, आर्वी तालुका कांग्रेस समिति (1935)

2. अध्यक्ष - छात्र संघ, म्यूनिसिपल हाई स्कूल, आर्वी (1935 - 36)

3. संगठक - आर्वी गोवरी झुग्गी झोपड़ी मंडल (1936)

4. सदस्य - हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, नागपुर (1937-38)

5. प्रचारक - राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (1942 से आजीवन)

6. संस्थापक - भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, सामाजिक समरसता मंच, सर्व-पंथ समादर मंच, स्वदेशी जागरण मंच, पर्यावरण मंच।

7. प्रारम्भकर्त्ता - अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, भारतीय विचार केन्द्र,

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत।

8. **पुस्तकें** - (हिन्दी) रा०स्व०सं० कार्यकर्ता, सामाजिक क्रांति की यात्रा और डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर, विचार सूत्र, कम्यूनिज्म:अपनी ही कसौटी पर, एकात्म मानव दर्शन-एक अध्य्यन, पुरानी नींव-नया निर्माण, प्रचार-तंत्र, पश्चिमीकरण के बिना आधुनिकीकरण, हमारी विशेषताएं, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आधार, ध्येय पथ पर किसान, सप्तक्रम, लक्ष्य और कार्य, संकेत रेखा, अपनी राष्ट्रीयता, दलित समस्या पर एक विचार, शिक्षा में भारतीयता, हमारा अधिष्ठान, लोकतंत्र, चिरंतन राष्ट्र जीवन, श्रमिक क्षेत्र के उपेक्षित पहलू , राष्ट्रीय श्रम दिवस, प्रस्तावना, जागृत किसान, राष्ट्रीय पुरुष:छत्रपति शिवाजी एवं कई अन्य पुस्तकें।

- (अंग्रेजी) थर्ड वे, नैशनलाइजेशन और गवन्मेंटलाइजेशन, फोकस ऑन सोसियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, परस्पेक्टिव, द ग्रेट सेंटिनल, हिज लेगसि अवर मिशन, कम्प्यूटराइजेशन, व्हाई भारतीय मजदूर संघ, स्पेक्ट्रम, अवर नैशनल रिनेशां, मॉडर्नाइजेशन विदाउट वेस्टर्नाइजेशन, कन्ज्यूमर विदाउट सोवेरिनटि एवं कई अन्य पुस्तकें।

9. अन्य महत्त्वपूर्ण सहयोग- * राष्ट्रीय श्रम नीति

* नैशनल चार्टर ऑफ डिमान्ड्स ऑफ इंडियन लैबर

10. पत्र वाचन एवं प्रमुख भाषण

* ‘द थर्ड वे’, विश्व हिन्दू सम्मेलन, डरबन (द. अफ्रीका)

* ‘ग्लोबलाइजेशन इकॉनामिक सिस्टम-ए हिन्दू व्यू’,

वर्ल्ड विजन 2000 ग्लोबल कांफ्रेन्स, वाशिंगटन

* बीजिंग रेडियो द्वारा भाषण प्रसारण 28-04-1985

अनुक्रम

1. स्वदेशी आन्दोलन

2. स्वदेशी क्यों?

3. स्वदेशी बनाम बहुराष्ट्रीय शिकंजा

4. आर्थिक स्वतंत्रता संग्राम

5. विजय सुनिश्चित

6. स्वदेशी जागरण मंच का समारम्भ

7. निर्णायक संघर्ष की ओर

8. संरचना और कार्य पद्धति

9. विकास का स्वदेशी मॉडल

स्वदेशी आन्दोलन

जोधपुर में दिनांक 8 जुलाई, 2002 को स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सभा में राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय श्री दत्तोपन्त जी ठेंगड़ी का स्वदेशी आन्दोलन के बारे में एतिहासिक भाषण यहाँ अक्षरश: प्रस्तुत है-

'स्वदेशी जागरण मंच' यह नाम अभी सब लोग जानने लगे हैं। किन्तु इसका ग्रह योग कुछ ऐसा रहा कि इसके स्थापना के पूर्व से ही इसका विरोध होता रहा। मैं बंगाल में गया था, वहाँ भाषण में कहा था कि हम स्वदेशी जागरण मंच शुरू करने वाले हैं। प्रेस में भी वह भाषण छपा था, तुरन्त कम्युनिस्टों ने प्रतिक्रिया प्रकट की, अरे यह संघ वाले हैं, आर०एस० एस० वाले हैं, इनको देश और स्वदेशी का क्या पड़ा है, इनको पैसे दिए होंगे उद्योगपतियों ने, काहे के लिए पैसे दिए होंगे; कि तुम स्वदेशी का प्रचार करो, विदेशी का बहिष्कार करो और इसके कारण विदेशी माल जब पूरा हट जाएगा स्वदेशी मार्केट से, तो फिर हम लोगों का विदेशी कॉम्पीटीटर न होने के कारण उपभोक्ताओं का, ग्राहकों का, अनाप-शनाप शोषण करना हमारे लिए सँभव होगा, चाहे जितना मुनाफा हम कमा सकेंगे, इसीलिए उद्योगपतियों ने इनको पैसा दिया है।

इसके तीसरे ही दिन स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई, उसमें कुछ प्रस्ताव पारित हुए कि आज हम स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना कर रहे हैं, इसका उद्देश्य पूरा होने तक काम करता रहेगा और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया कि मार्केट में आने वाली हर वस्तु की लागत कीमत 'कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन' उस पर लिखा जाना चाहिए।

उत्पादन खर्चा, लागत खर्चा, ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में प्राइस पॉलिसी है, जिस समय ग्रीस में एरिसटोटल प्राइसेस एथिकल है या अनएथिकल है इसकी चर्चा कर रहे थे, उस समय हमारे यहाँ प्राइस पॉलिसी निश्चित हुई थी। **"**येन व्ययेन संसिद्धः तद् व्ययः तस्य मूल्यकम्**"** कि इसकी रियल प्राइस क्या है? येन व्ययेन संसिद्धः 'कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द रियल प्राइस' माने, लागत कीमत ही वास्तविक कीमत है, किन्तु रियल प्राइस हमेशा मिलती है कि नहीं, कभी कम मिलती है कभी ज्यादा मिलती है किस आधार पर? "सुलभा सुलभत्वात् च अगुणत्व गुणसंश्रयैः, यथा कामान् पदार्थानाम् अर्घम् हिनाधिकम् भवेत**"** मूल्य कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, काहे के आधार पर 'सुलभा सुलभत्वात् च' वह सुलभ है या असुलभ है, यानि प्लेंटी और स्केरिसिटी **"**अगुणत्व गुणसंश्रयैः**"**, "युटिलिटि और नॉनयुटिलिटि**"** माने उपयोगिता और अनुपयोगिता के आधार पर। तो **"**डिग्री ऑफ एवेलेबिलिटि**"** और **"**डिग्री ऑफ यूटिलिटि**"** इसके आधार पर कीमत कम अथवा अधिक होती है, यह प्राइस पॉलिसी हमारे यहाँ पहले से थी।

कारणादि समायोगात् पदार्थस्तु भवेद् भुवि।

येन व्ययेन संसिद्धः तद् व्ययः तस्य मूल्यकम्॥ - शुक्र नीति (2/356)

सुलभा सुलभत्वाच्चागुणत्व गुणयसंश्रयैः।

यथा कामात् पदार्थानामर्घम् हीनाधिकम् भवेत॥ - शुक्र नीति (2/357)

हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि मार्केट में आने वाली कोई भी वस्तु चाहे देशी उद्योगपति की हो, विदेशी उद्योगपति की हो, उसकी 'कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन' माने लागत कीमत घोषित होनी ही चाहिए। इससे क्या होता है, 'कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन' जब घोषित होती है, उस पर लिखी रहती है, तो फिर अनाप-शनाप

मुनाफा नहीं कमा सकते, हाँ कुछ प्रॉफिट मार्जिन रहनी चाहिए यह तो सभी मानते हैं, प्रॉफिट मार्जिन रीज़नेबल होनी चाहिए। लेकिन आज जो होता है कि चार रुपए की चीज चार सौ रुपए में बेची जाती है, ऐसा नहीं हो सकेगा, तो यह हमने प्रस्ताव पारित किया, उसके बाद कम्युनिस्टों की तूती बंद हो गयी। उनको पता ही नहीं था कि हमारे शास्त्र में कुछ है, उन्होंने शास्त्र पढ़े ही नहीं थे और इसीलिए वो निन्दा कर रहे थे, किन्तु उनका बोलना बन्द हो गया।

स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना होने वाली थी, उसके पिछले दिनों हमारे कुछ मित्र हमारे पास आए। कहा ठेंगड़ी जी, स्वदेशी जागरण मंच शुरू करने वाले हैं तो हमने कहा- "हाँ" उन्होंने कहा- माफ करें! लेकिन नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। हमने कहा- "क्यों?" तो वे बोले, आप हमारे हैं सब लोग जानते हैं, पर आप ही स्वदेशी की बात करेंगे, तो हमारी पोजीशन बहुत खराब हो जाएगी; लोग कहेंगे कि ये लोग हिन्दुस्तान को 16 वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं, दुनिया 21 वीं शताब्दी की तरफ जा रही है और ये 16 वीं शताब्दी में ले जाना चाहते हैं। और आप जानते हैं वह लीडर थे, बोले हमारे कान्स्टीट्यून्सी में बहुत सोफिस्टीकेटेड लोग रहते हैं, उनको हम कहें कि साहब कोलगेट नहीं, प्रोमिस या और कुछ इसका इस्तेमाल करो, तो हमको हँसेंगे। मैंने कहा कि ऐसा है आपकी कांस्टीट्यून्सी का सबसे ज्यादा सोफिस्टीकेटेड आदमी कौन है जरा सोचिए! मैंने कहा मैं जानना चाहता हूँ पंडित मोतीलालजी नेहरू उस समय के हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा सोफिस्टीकेटेड आदमी माने गए थे। ऐसा प्रचार था कि उनके कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे, उनसे ज्यादा सोफिस्टीकेटेड उस समय कोई नहीं था। उनके शरीर पर पूज्य महात्मा गांधी ने खद्दर चढ़ाई, तो मोतीलाल जी, जिनके कपड़े पेरिस से धुलकर आते थे, उनके शरीर पर वे

खद्दर कैसे चढ़ा सके? तो मोतीलाल नेहरू से ज्यादा सोफिस्टीकेटिड आदमी आपके कांस्टीट्यून्सी में कोई है क्या? तो बोले "वो तो नहीं है।"

और बोले "एक और प्रार्थना है।" "क्या है?" "उन्होंने कहा कि बहिष्कार शद्व बड़ा नेगेटिव दिखता है, वह इज्जतदार शद्व नहीं है, यह नेगेटिव शद्व तो आप छोड़ दीजिए। हमने का कि आपके कांस्टीट्यून्सी में बहुत इज्जतदार लोग दिखाई देते हैं, लेकिन आपको मालूम है क्या कि 1906 में कलकत्ता में जब कांग्रेस हुई थी, उस समय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, इन्होंने चतुर्सुत्री दी थी स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षण, स्वदेशी और बहिष्कार, तो दादा भाई नौरोजी से ज्यादा सोफिस्टीकेटेड आदमी आपकी कांस्टीट्यून्सी में कितने हैं, जरा बताइए?

फिर हमने उनको कहा कि दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत यह है कि तुम्हारे अंदर 'कन्विक्शन' नहीं है कि स्वदेशी से ही उद्धार होगा, तुमको ऐसा 'कन्विक्शन' नहीं है और इसके कारण लोगों को बताना तुम्हारे लिए कठिन हो जाता है तो प्रारम्भ से ही स्वदेशी के बारे में आब्जेक्शन्स आते गए।

आखिर स्वदेशी की अवधारणा क्या है? वास्तव में यह मानना भूल है कि 'स्वदेशी' का संबंध केवल माल या सेवाओं से है। यह तो फौरी किस्म की सोच होगी। स्वदेशी का मतलब है देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रबल भावना, राष्ट्र की सर्वाभौमिकता और स्वतंत्रता की रक्षा की भावना तथा समानता के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का स्वीकार। स्वदेशी की अवधारणा माने देशभक्ति का आविष्कार है, किन्तु इतना बोलने से प्रकट नहीं होता, राष्ट्रीय जीवन, व्यक्तिगत जीवन, के सभी कार्यों में स्वदेशी का दर्शन होना चाहिए।

स्वदेशी क्या है? उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि 10-15 साल पहले की बात है जिस समय जापान, अमेरीका के प्रभाव क्षेत्र में था, आज नहीं है, आज बराबरी का है, लेकिन उस समय प्रभाव में था। उस समय कैलिफोर्निया में बहुत संतरे हुए 'ओरेन्जेस' तो अमेरीका ने जापान को कहा कि आपके यहाँ महिलाओं को संतरे बहुत पसंद आते हैं, तो हमारे संतरे आपकी मंडी में भेजेंगे, जापान ने कहा कि आपके संतरे भेजने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु अमेरीका ने कहा कि नहीं! हम भेजने ही वाले हैं। उस समय जापान को मानना पड़ा, जापान की मंडियाँ अमेरिकन संतरे से भर गई थी, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सभी मंडियों में बहुत संतरे होते हुए भी, एक भी संतरा बेचा नहीं गया, पूरे जापान में। यह बात सही है कि जापानी महिलाओं को संतरे बहुत पसंद हैं, तो भी एक भी सतरा बेचा नहीं गया, इसका नाम स्वदेशी है।

कुछ 15-16 साल पहले ग्रेट ब्रिटेन की महारानी ने सोचा कि भई ब्रिटेन की जो कार है, वो ज्यादा सुविधाजनक नहीं है, उससे जर्मनी की कार ज्यादा सुविधाजनक है तो हम जर्मनी की कार खरीदेंगे, यह बात फैल गई, लोगों ने विरोध किया। लोगों ने कहा कि महारानी साहिबा, आप हमारा प्रतीक हैं, कॉन्स्टीट्यूशनल मोनार्क हैं, आप हमारी प्रतिनिधि भी हैं, आप ही अगर देशी कार छोड़कर विदेशी कार में जाएंगी तो हमारे देश की नाक कट जाएगी, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। महारानी को जर्मन कार नहीं लेने दी गई, ब्रिटिश कार में ही उनको प्रवास करना पड़ा।

अब देखिए कि वियतनाम के प्रेसिडेंट हो ची मिह्न भारत में आए थे, जैसे ही वो पालम एयरपोर्ट पर हवाई जहाज से उतरे तो उस समय लोगों को परमीशन

दी गई थी कि वो हवाई जहाज तक आ सकते हैं, तो प्रेस करिसपोन्डेंट हवाई जहाज तक गए। वो जब उतर रहे थे, तो कुछ कॉरेसपोन्डेंट ने देखा और उनको आश्चर्य हुआ कि उनकी पेंट को यहाँ सिलाई थी, सिलाई थी का मतलब है कि वो फट गई होगी, तो बाद में लोगों ने पूछा कि आप तो एक राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, आपकी पेंट ऐसे फटी हुई, सिलाई हुई, ऐसी आपकी पेंट क्यों है? उन्होंने जवाब दिया "माई कंट्री केन अफोर्ड ओनली दिस मच", यह स्वदेशी है।

गांधी इरविन पेक्ट के समय चर्चा चल रही थी, दोपहर में चाय का समय था, वायसराय साहब के लिए चाय आई, गांधीजी के लिए नींबू पानी आया। वायसराय देख रहे थे कि गांधीजी क्या करते हैं, उन्होंने अपने जेब से एक पुड़िया निकाली और ऐसे आराम से खोलकर नींबू पानी में डाल दिया, वायसराय साहब ने पूछा कि "यह क्या है?" बोले कि "आपके नमक कानून का उल्लंघन करते हुए मैंने जो नमक बनाया था, उस नमक की पुड़िया मैं इसमें डाल रहा हूं", यह स्वदेशी है।

आजादी के आंदोलन के समय, कलकत्ता के देशभक्त शाम के समय एक रेस्तरां में रोजाना एकत्र होते थे। एकत्र होते थे तो वहाँ चाय-पान होता था, तो उस समय 'ब्रिटिश पुडींग' नाम का आहार सभी का मनपसंद होता था। परन्तु एक दिन उन्होंने रेस्तरां के मालिक को कहा कि, अब हम विदेशी 'ब्रिटिश पुडींग' नहीं खाएंगे। चाहे कितना ही पसंद आता होगा, कोई देशी व्यंजन ही खाएंगे। तो उस रेस्तरां के मालिक ने छेने से पहली बार 1865-66 में रसगुल्ला बनाया और रसगुल्ला सर्वमान्य हो गया, उसके बाद छेने की और चीजें बनने लगी, इसका नाम स्वदेशी है। हर चीज में स्वदेशी, खाने में स्वदेशी, बोलने में

स्वदेशी, व्यवहार में स्वदेशी। मेरे गाँव में, छोटा गाँव है मेरा, एक बार स्वातन्त्र्य वीर सारवकर आए थे। डॉ० आप्टेजी के यहाँ उनके उतरने का इंतजाम था। जैसे ही वो ऊपर चढ़ गए सीढ़ी, तो पाँव धोने के लिए पानी दिया उनकी पत्नी ने, तो डॉ० आप्टे ने कहा, सावरकरजी, ये मेरी 'वाईफ' है। सावरकरजी ने हँसकर कहा- तुम्हारी मराठी भाषा में 'वाईफ' के लिए कोई शद्व नहीं है क्या? डॉ० आप्टे लज्जित हो गये, कहा- हाँ! 'पत्नी' शद्व है। यह स्वदेशी का स्पिरिट है। हर बात में स्पिरिट।

अब आप देखिए, इस्लाम की बात हम करते हैं, मुस्तफा गाजी कमाल पासा, जब तुर्किस्तान के प्रधान हो गए, उस समय उन्होंने कहा कि अब तुर्किस्तान का स्वदेशीकरण होना चाहिए। यहाँ तक कि इस्लाम का भी स्वदेशीकरण होना चाहिए। उनका मार्गदर्शक 'गोआक आल', इस नाम का विद्वान था। उन्होंने कहा कि अरबी भाषा के प्रभाव से जो-जो शद्व हमारी तुर्की भाषा में आए हैं, उनको सबको पहले निकाला जाए, भाषा शुद्धि की जाए। इसके बाद उसने कहा कि हम इस्लाम के हैं, ठीक है, कुरान को मानते हैं, ठीक है, मस्जिद में जाते हैं, यह ठीक है, पैगम्बर मोहम्मद साहब को मानते हैं, यह ठीक है, लेकिन क्या वजह है कि इसके कारण, अरबी संस्कृति का प्रभाव हम अपनी तुर्की-संस्कृति पर होने दें और तुर्की-संस्कृति पर अरबी संस्कृति का प्रभाव नहीं हो, इसीलिए जो कुरान था, यह अरबी भाषा में लिखा हुआ था, उन्होंने कुरान का तुर्की भाषा में भाषांतर करवाया और एक शुक्रवार को तुर्की की सभी मस्जिदों में तुर्की भाषा में कुरान पढ़ा गया, तो उस समय पुरातन-मतवादी लोग और नव मतवादी लोगों के बीच संघर्ष हुए और इस्ताम्बुल के रास्ते पर खून बहने लगा, किन्तु उन्होंने हिम्मत के साथ स्वदेशीकरण किया, कुरान का भी स्वदेशीकरण किया।

हमारे यहाँ क्रिश्चियन मिशनरी लोग आते हैं, बहुत धृणास्पद कार्य करते हैं, देश विरोधी काम करते हैं, अमेरीका के एजेंट के नाते काम करते हैं, हम उनका निषेध करते हैं। सब ठीक है, लेकिन कुछ एक-दो संप्रदाय ऐसे हैं कि जो क्रिश्चियनिटि के भी स्वदेशीकरण का विचार कर रहे हैं, जैसे बाईबल हैं, इंग्लिश भाषा में नहीं पढ़ते हुए, वहाँ की स्थानिक भाषा में पढ़ना, हर पैरे के अंत में जो 'आमीन' आता है, उस 'आमीन' की जगह 'ओम' कहना, जो बिशप रहते है, धर्मगुरु, उन्होंने भगवे कपड़े पहनना ऐसे, धीरे-धीरे उसका भी स्वदेशीकरण यह हो रहा है।

ऐसे समय में स्वदेशी का महत्व यह सभी को समझने की आवश्यकता है। पिछले 12 दिसंबर को स्वदेशी जागरण मंच की ओर से, पूरे देश में स्वदेशी दिवस मनाया गया, क्यों मनाया गया? तो उस दिन मुंबई के कपड़ा मिल के सामने जो विदेशी कपड़ा लेकर लॉरी आ रही थी, उसके सामने बाबू गैनू इस नाम का एक सामान्य हमाल, वह लेट गया; और उसने कहा कि **"मैं** यह लॉरी नहीं जाने दूँगा**"**, ब्रिटिश सोल्जर उन्मत थे, उन्होंने ड्राइवर को कहा कि लॉरी इसके ऊपर चलाओ, लॉरी चलाई गई और उसकी मृत्यु हो गई। यह जो उसका आत्म-बलिदान था, उसकी स्मृति में हर वर्ष 12 दिसम्बर को हम स्वदेशी दिवस मनाते हैं, इससे स्वदेशी का कितना महत्व होगा, यह बात हमें समझनी चाहिए।

चीन और कोरिया की सरकारों ने जब माईकल जैक्सन को इस बिना पर अपने देश में आने नहीं दिया कि उसका शो सांस्कृतिक हमला है, तब वे अपनी स्वदेशी भावना ही जाहिर कर रहे थे। यह घटना यह भी जताती है कि 'स्वदेशी' भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक आधार

वाली विचारधारा है, जो राष्ट्रीय जीवन के तमाम पहलुओं को खुद में समेटती है।

तो स्वदेशी, यह भावना है, केवल आर्थिक बात नहीं है और इस भावना के आधार पर ही स्वदेश ऊपर जा सकता है। "देशप्रेम की साकार और व्यावहारिक अभिव्यक्ति है स्वदेशी।" देश प्रेम का अर्थ दुनिया से अलग-थलग रहना नहीं है, खासकर हमारी परंपरा में जो "वसुधैव कुटुम्बकम्" के आधार पर टिकी है, इसके मुताबिक मानवीय चेतना के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद का ही विस्तार है। यह बात मार्के की है कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ अक्सर देशभक्ति को संकीर्णतावाद करार देती है। मिसाल के तौर पर दूसरे महायुद्ध के बाद जब यह स्पष्ट हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दबाव के कारण साम्राज्यवादियों को अपने उपनिवेशों को आजाद करना ही होगा, तो उन्होंने बदले माहौल में, अपने हितों की यथासंभव सुरक्षा के लिए मुहिम छेड़ दी। भारत में वायसराय के कुछ एक्जिक्यूटिव कौंसिलर उनके साधन बने। पूर्ण स्वराज को संकीर्णतावाद बताते हुए सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के नए युग में "हमारा लक्ष्य स्वाधीनता नहीं, परस्पर निर्भरता होना चाहिए।" डॉ० मनमोहनसिंह के उदारीकरण और भूमंडलीकरण के तर्क, रामास्वामी के परस्पर निर्भरता वाले तर्कों के ही आधुनिक रूप हैं।

यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत के देशभक्त अंतर्राष्ट्रीयतावाद के खिलाफ नहीं है। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का उनका आग्रह, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विरूद्ध नहीं जाता है, बशर्ते उसका आधार समानता हो। और उसमें हर देश के

स्वाभिमान का सम्मान किया जाए। भूमंडलीकरण के पैरोकारों से उनका विरोध अलग और ज्यादा ठोस सवाल पर है।

'स्वदेशी वाले' इस विचार को मानने के लिए तैयार नहीं है कि विकास का पश्चिमी मॉडल सार्वभौम है और दुनिया भर के लोगों को उसकी नकल करनी चाहिए। हालांकि वे सांस्कृतिक आदान-प्रदान को स्वीकारते हैं, मगर इस बात पर जोर देते हैं कि हर समाज की अपनी संस्कृति होती है और हर देश की प्रगति और विकास के मॉडल का उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों के साथ तारतम्य होना चाहिए। आधुनिक बनने का मतलब पश्चिमीकरण नहीं है। वे पश्चिम के हित में, विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रीय पहचानों को, गड-मड्ड कर देने की कोशिशों का विरोध करते हैं।

आधुनिक पश्चिमी तकनीक और आर्थिक प्रणाली के साथ एक ऐसी सभ्यता आ रही है जो गैर-पश्चिमी सभ्यताओं के अनुकूल नहीं है। विरोध का यह आधार है।

तो स्वदेशी, यह भावना है, केवल आर्थिक बात नहीं है और इस भावना के आधार पर ही स्वदेश ऊपर जा सकता है और इसीलिए पंडित दीनदयालजी उपाध्याय ने भारतीय जनसंघ के विजयवाड़ा सेशन में जो प्रिंसिपल्स एंड प्रोग्राम दिया था, उसमें प्रमुख बात रखी थी कि नैशनल सेल्फ रिलाइंस, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, यह ठीक है कि एकदम सम्पूर्ण आत्मनिर्भरता नहीं आ सकती, कभी-कभी विदेशों से भी लेन-देन करनी पड़ेगी, लेकिन यह लेन-देन बराबरी के नाते होनी चाहिए, इक्वल फुटिंग पर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो हमको डिक्टेट करें और हम उनके सामने आत्मसमर्पण करें ऐसा नहीं, बराबरी के नाते होना चाहिए। यह बात पंडित दीनदयालजी ने कही थी।

अभी स्वदेशी जागरण मंच के बारे में तरह-तरह के गलत ख्यालात प्रचलित है। एक इंग्लिश न्यूज पेपर ने ऐसा लिखा था कि क्या स्वदेशी जागरण मंच आज सरकार के लिए ओपोजीशन पार्टी का रोल प्ले करना चाहती है, तो सरकार के विषय में हमारी भूमिका क्या है यह प्रश्न उपस्थित हुआ था। स्वदेशी जागरण मंच गैर-राजनीतिक, नॉन-पॉलिटिकल है। हमारे यहाँ संविधान है, संविधान के अंतर्गत चुनाव होते हैं और चुनाव में निर्वाचित जो भी सरकार होगी, किसी भी पार्टी की रहे, वह राष्ट्रीय सरकार हम मानते हैं और राष्ट्रीय सरकार के साथ हमारा रुख क्या है? तो वह सभी सरकारों के साथ, किसी भी पार्टी की सरकार रहे हमारा एक ही रुख होगा और वो क्या है? रिस्पोन्सिव को-ऑपरेशन। रिस्पोन्सिव को-ऑपरेशन का मतलब होता है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, हम पार्टी की फिक्र नहीं करते, किन्तु सरकार की नीति यदि स्वदेशी के अनुकुल रहेगी तो स्वदेशी जागरण मंच सरकार का समर्थक होगा, स्वदेशी के प्रतिकूल रहेगी या विरोधी रहेगी तो स्वदेशी जागरण मंच सरकार का विरोध करेगा, इस तरह से उनकी पॉलिसी क्या है यह देखकर हम समर्थन या विरोध तय करते हैं, कौन-सी पार्टी पॉवर में है यह देखकर हम तय नहीं करते।

अब देखिए, भारत सरकार ने पिछले दशक से कुछ गलत नीति को स्वीकार किया। लोगों के भी ध्यान में एकदम नहीं आया, इसका कारण था, आज जो नीतियाँ चल रही हैं विदेशियों की, लोग सोचते हैं कि उनका प्रारम्भ अप्रैल 1948 में जब 'जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एण्ड ट्रेड' निर्माण हुआ तब से यह नीति बनी, ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ 6 जून, 1945 को, जनरल आइजन हॉवर की सेनाएँ यूरोपियन कोण्टीनेन्ट पर आ गयी, तय हुआ कि हिटलर हारने वाला है, मित्र राष्ट्रों की विजय होगी, तभी से वहाँ

के लोगों ने सोचना शुरू किया, हमारे यहाँ तो राजनेता केवल कल के चुनाव की ही बात सोचते हैं, उन्होंने बहुत दूर की बात सोची, क्या सोचा? क्योंकि सारे साम्राज्यवादी थे, उन्होंने सोचा कि हिटलर तो हार जाएगा, हमारी विजय भी होगी, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति ऐसी है कि हमारे गुलाम जो देश हैं, हमारे जो उपनिवेश, कॉलोनीज है, उनको स्वातन्त्रय देना हमारे लिए बाध्य हो जाएगा, क्योंकि उनको अपने कब्जे में रखना हमारे लिए संभव नहीं है, उनको स्वातन्त्रय देना पड़ जाएगा, किन्तु उसके कारण एक तकलीफ पैदा हुई, साम्राज्यवादी देशों की समृद्धि ऊपर से चकाचौंध करने वाली दिखती थी, किन्तु ये साम्राज्यवादी देश अपने पैरों पर खड़े नहीं थे, अपने उपनिवेशों का शोषण करते हुए वह समृद्ध दिखाई देते थे।

शोषण का मतलब संक्षेप में मैं बताता हूँ; जैसे हमारे विदर्भ में कपास है, जब ब्रिटिश सरकार थी तो ब्रिटिश सरकार कम से कम कीमत में किसानों से कपास खरीदा करती थी, इंग्लैण्ड ले जाती थी, वहाँ मेन्चेस्टर, लंकाशायर में कपड़ा बनाती थी, कपड़ा बनाने के बाद हिन्दुस्तान में लाती थी और ज्यादा से ज्यादा कीमत में वह कपड़ा बेचा जाता था। वहाँ कच्चा माल कम से कम कीमत में लेना, पक्का माल ज्यादा से ज्यादा कीमत में बेचना, इस तरह का शोषण, इसके आधार पर वह बड़े समृद्ध दिखते थे, लेकिन उनके सामने सवाल आया कि देश जब स्वतंत्र हो जाएंगे, तो कौन-सा स्वतंत्र देश अपना शोषण करने देने के लिए तैयार हो जाएगा, कोई नहीं तैयार होगा, इसके लिए क्या किया जाए, उनकी मानसिकता बनाई जाए, अभी से प्रोपेगेण्डा शुरू किया जाए।

तो 1948 से नहीं, तभी से प्रोपेगेण्डा शुरू हुआ जिसके कारण हमारे यहीं के इंग्लिश एज्यूकेटेड लोगों के मन पर बहुत प्रभाव हुआ। उन्होंने कहा कि कोई भी स्वतंत्र देश अपने पैरों पर खड़ा हो नहीं सकता जब तक हमारा इन्वेस्टमेंट वहाँ नहीं जाता, हमारा पैसा नहीं जाता, तब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। और फिर कहा कि कोई भी स्वतंत्र देश जब तक हमारी टेक्नोलोजी नहीं लेता, हम जब तक टेक्नोलोजी नहीं देते, तब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। अब यह इतना प्रचार जो हुआ और यह हमारे इंग्लिश एज्यूकेटेड लोगों की विशेषता है कि वहाँ से जो प्रचार होता है उसका सबसे ज्यादा असर इनके ऊपर होता है, सामान्य लोगों पर इतना नहीं होता, इंग्लिश एज्यूकेटेड लोगों पर होता है, उन्होंने भी मान लिया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बगैर काम ही नहीं चलेगा, फॉरेन टेक्नोलोजी के बगैर काम ही नहीं चलेगा, वास्तव में यह तर्कशुद्ध भूमिका नहीं है। अब देखिए, आज हम कहते हैं कैपिटल फोर्मेशन हमारे यहाँ नहीं हुआ और उसके कारण विदेश से और पैसा यहाँ लाना ही पड़ेगा, हम समझ सकते हैं कि कई क्षेत्रों में विदेशी पैसों की आवश्यकता होगी, लेकिन विदेशी पैसा कहाँ लगेगा, यह हम तय करेंगे। हमारी आवश्यकता क्या है? अभी दोहा में यह बात आई थी।

यूरोपियन देशों ने कहा कि हमें पूरी दुनिया में 'राइट टू इन्वेस्ट' चाहिए, हम जहाँ चाहे जिस ढंग से चाहें, उस ढंग से इन्वेस्टमेंट कर सकें। ऐसा अधिकार हमको मिलना चाहिए। अरे! हमारी संप्रभुता का क्या होगा? सोवेरिनिटि का क्या होगा? हमारे देश में आपकी इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ चाहिए, कितनी चाहिए, यह हम तय करेंगे।

अब यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, कोका-कोला, पेप्सी की। क्या हम लोग, केवल ये जो पेयजल है, यह भी तैयार नहीं कर सकते? टेक्नोलोजी, बड़ी टेक्नोलोजी छोड़िए, किन्तु ये जो पेयजल की होती है, क्या यह भी हम तैयार नहीं कर सकते? इसमें भी हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन टेक्नोलोजी चाहिए। सच्ची बात यह है कि हम जहाँ चाहेंगे, वहाँ वह टेक्नोलोजी देने वाले नहीं, पैसा लगाने वाले नहीं, क्योंकि उसमें उनका मुनाफा नहीं है और वो अपनी अपडेट टेक्नोलोजी देकर अपना नुकसान नहीं करेंगे। उनके लिए जहाँ मुनाफा होता है, वहाँ वह पैसा लगायेंगे।

हमारे नेताओं ने कहना शुरू किया कि साहब लोग देश के लिए त्याग ही करने को तैयार नहीं तो हम क्या करे? हमको फॉरेनर्स के पास जाना पड़ता है। क्या यह बात सही है? राजनेताओं ने कहा कि "हर एक आदमी स्वार्थी है, इसके कारण अब फॉरेनर्स के पास जाना बाध्य हो जाता है।" बात ऐसी है कि हर एक आदमी स्वार्थी है, यह सच है, किन्तु साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर आदमी त्याग भी कर सकता है।

अब आप देखिए, नेताजी सुभाषचंद्र बोस दक्षिण एशिया गए, वहाँ भारत से गए हुए व्यापारी थे, व्यापारी तो अपना मुनाफा कमाने के लिए, स्वार्थ के लिए ही गए थे। लेकिन जब नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने स्वातंत्र्य के नाम से आह्वान किया तो लोगों ने अपना पैसा दिया, इतना ही नहीं महिलाओं, जिनको अपने अलंकार गहने बहुत पंसद आते हैं, वो भी नेताजी के चरणों में उन्होंने समर्पित कर दिए। वो विशुद्ध स्वार्थ के लिए गए थे, उन लोगों ने इतना बड़ा त्याग किया। क्यों?

क्योंकि को'ज (लक्ष्य) था देश की स्वतंत्रता और वो आह्वान करने वाला नेताजी सुभाषचननद्र बोस जैसा पूर्ण स्वार्थत्यागी मनुष्य, इसीलिए लोगों ने पैसे दिए।

1965 के समय लाल बहादुर शास्त्री ने आह्वान किया, भाई बचत करो और एक दिन, एक समय का भोजन छोड़ दो, सब लोगों ने छोड़ दिया। 1962 में चीन के आक्रमण के समय, 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई के समय सब लोगों ने देश के लिए त्याग किया, हमारे मजदूरों ने भी ओवरटाइम न लेते हुए ज्यादा घंटों तक काम किया, ये प्रेरणा कैसे हो सकती है? वास्तव में जिस तरह से मनुष्य स्वार्थी है, यह सही है, उसी तरह ठीक आदमी ने, ठीक ढंग से यदि आह्वान किया तो लोग त्याग भी कर सकते हैं। किन्तु हमारे नेताओं की बात ऐसी है कि कहाँ, कैसे अपील करना है, नेताओं को पता ही नहीं है, जैसे किसी सितार में या किसी फिडल में एक स्वर निकालने की क्षमता है, लेकिन किस तार को किस जगह छेड़ने से वह स्वर निकल सकता है, इसकी जानकारी इनको नहीं है। इसीलिए सितार को या फिडल को इधर-उधर, ऐसा-वैसा छेड़छाड़ करते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ से स्वर निकलता ही नहीं।

हमारे देश में बचत की प्रवृत्ति बहुत है। अमेरीका में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आगे के तीन साल का क्रेडिट कार्ड भी खत्म कर दिया है, वहीं हमारे यहाँ उल्टा है, गरीब से गरीब आदमी भी थोड़ा पैसा बचाता है, थोड़ा-सा सोना बचा लेता है, जमीन में गाढ़ कर भी रख देता है। माने हमारे यहाँ बचत की प्रवृत्ति है। ओर पहले से ही आह्वान किया होता है कि 'स्मॉल सेविंग्स' माने बचत, यह देश के लिए करनी है। लोग अवश्य करते और 'कैपिटल फोरमेशन' का सवाल बहुत मात्रा में हल हो सकता था। किन्तु इस तरह का आह्वान

करने की हिम्मत नेताओं की नहीं थी। नेताओं में इसका कारण है कि जो अपनी तनख्वाह, अपने ही हाथ से बढ़ा लेते, एम० पी० और एम० एल० ए०, अपने ही हाथ से बढ़ा लेते है और उनको यह कहने का साहस कैसे होगा कि लोगों को त्याग करना चाहिए। तो त्याग नहीं है, यह कहना गलत होगा।

अब टेक्नोलोजी की बात लीजिए, क्या मॉडर्न टेक्नोलोजी के बारे में सरकार को जानकारी है? वास्तव में विदेश में भी चर्चा चल रही है कि 'ऐवरी साइन्टिफिक एड्वान्समेन्ट' यह हितकर है या नहीं है? हिरोशिमा, नागासाकी यह उदाहरण जब उन्होंने देख लिए तभी से उनके मन में आया कि 'साइन्टिफिक एड्वान्समेन्ट, टेक्नोलोजिकल एड्वान्समेंट' ज्यादा होगी तो उसके ऊपर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। नहीं तो अणु युद्ध हो सकता है, न्यूक्लियर वार हो सकती है और हिरोशिमा, नागासाकी की आवृत्तियाँ हो सकती है। नियंत्रण होना चाहिए और इसीलिए वहाँ भी ऐसे शास्त्रज्ञ निर्माण हुए जिन्होंने कहा कि 'देयर शुड बी टेक्नोलोजिकल ओम्बड्जमेन' माने टेक्नोलोजी पर नियंत्रण करने वाली कोई न कोई एक बॉडी वहाँ होनी चाहिए। 'ओम्बड्जमेन' यानी नियंत्रण करने वाली बॉडी होनी चाहिए। और उस बॉडी में साइन्टिस्ट को मत रखिए, टेक्नोलोजिस्ट को मत रखिए, तो जिनका संपूर्ण मानवता के बारे में प्रेम है, ऐसे लोगों को उसमें रखिए और उसके नियंत्रण में साइन्स और टेक्नोलोजी की प्रगति होनी चाहिए, ऐसा विचार अमेरीका में, यूरोप में भी आया है।

और दूसरी बात, आज भी जो राष्ट्रपति होने वाले हैं, डॉ० अद्बुल कलाम उन्होंने एक किताब लिखी है 'इंडिया 2020'। उस किताब में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि विदेश से कोई भी टेक्नोलोजीकल एड न लेते हुए हमारे लिए आवश्यक जो

टेक्नोलोजी है, हमारे टेकलोजिस्ट, हमारे साइन्टिस्ट अपने भरोसे 2020 वाँ साल जब आएगा उसके पहले ही भारत को दुनिया के 'फ्रंट रैन्किंग नेशन्स' में बिठा सकते हैं। एक ही बात उन्होंने कही कि इसके लिए शर्त एक ही है कि 'विल पॉवर' चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। अभाव तो इसी बात का है।

तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट के बारे में, टेक्नोलोजी के बारे में उन्होंने अपने हित को ध्यान में रखकर प्रोपेगेंडा किया। हमारे इंग्लिश एज्यूकेटेड लोग, हमारे राजनैतिक नेता उसी के शिकार बन गए और कहने लगे कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। ऐसी बात नहीं है, हो सकते हैं, लेकिन लोगों में देशभक्ति का जागरण होना चाहिए। देश के लिए त्याग करने का आह्वान होना चाहिए। सब कुछ हो सकता है।

जिस समय विश्व व्यापार संगठन का निर्माण हुआ, भारत सरकार ने जनता को अंधेरे में रखकर, संसद की अनुमति न लेते हुए व संसद को अंधेरे में रखकर सीधे 'वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन' जॉइन कर ली। खैर! अब 'वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन' के हम सदस्य हो गए, उसी समय स्वदेशी जागरण मंच ने कहा कि यह बहुत गलत बात हुई है, इससे देश का नुकसान होगा।

यह विश्व व्यापार संगठन! यह क्या बला है जरा देख लीजिए। जैसा मैंने कहा कि उपनिवेशों के शोषण का मार्ग समाप्त होने के बाद तुरन्त ही पश्चिम देशों ने, गोरे देशों ने यह विचार शुरू किया कि नव-स्वतंत्र देशों पर अपना आर्थिक साम्राज्य कैसे फैलाया जा सकता है। कोई नव-स्वतंत्र देश अपने को गुलाम बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, उनको गुलाम बनाने की वृत्ति में कैसे लाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने प्रचार, प्रोपेगेण्डा शुरू किया - यह मैंने प्रारम्भ में कहा।

वास्तव में थोड़े विकसित देश, सारी दुनिया के अविकसित और विकसनशील, गैर गौरे देशों पर अपना साम्राज्य कैसे स्थापित कर सकते हैं इसका षड्यंत्र कई दशकों से चल रहा है। उसी का एक आविष्कार विश्व व्यापार संगठन है। विकसित देशों का साम्राज्य अविकसित देशों पर कैसे हो सकता है, इंटरनैशनल मोनिट्री फण्ड उसी के लिए है, विश्व बैंक उसी के लिए, अमेरिकन सरकार भी उसी प्रयास में है।

आपको आश्चर्य होगा कि विश्व बैंक के इकॉनोमिक एडवाइजर मिस्टर स्टिगलिट्ज, जिन्होंने अभी तीन साल पहले इस्तीफा दिया है, उनका स्टेटमेंट आप पढ़िए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि "विश्व बैंक के 'मेमोरेण्डम ऑफ एसोशिएशन' में जो लिखा था उसके कारण मैंने वहाँ सर्विस ली, मुझे लगा अच्छे-अच्छे उद्देश्य हैं, प्रत्यक्ष अब मैंने अनुभव किया कि यहाँ तो गरीब देशों का शोषण करने की प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए मैंने उसको छोड़ा है और विश्व बैंक गरीब देशों का शोषण किस ढंग से करती है, इसमें प्रक्रिया दी है, चार सेट में प्रक्रिया दी है।" आप मूल स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, प्राइवेटाइजेशन से शुरुआत करके गरीब देश को लोन देना, लोन देते समय अपनी शर्तें लगाना, शर्तों के कारण उसको ओर गरीब बनाना और गरीब बनने के बाद उसको गुलाम बनाना। यह सारी प्रक्रिया मिस्टर स्टिगलिट्ज ने दी है। जिन्होंने अनुभव के आधार पर लिखा है।

वैसे ही 'इन्टरनैशनल मोनिट्री फण्ड' के टॉप ऑफीशियल, डेविसन एलबुग ने तो यहाँ तक लिखा है कि "मैंने इन्टरनैशनल मोनिट्री फण्ड में रहते हुए इतना पाप कर्म किया है कि गरीब लोगों का खून मेरे हाथ पर है और दुनिया की

सारी नदियाँ आकर भी मेरा हाथ साफ नहीं कर सकती इतना खून मेरे हाथ पर है। इसका मुझे पश्चाताप हो रहा है।" ऐसा उन्होंने कहा है। जो जानकारी रखते हैं वे यह सब बातें कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन इसीलिए स्थापित किया गया कि उसके अंदर सब देश आ जाएं, सब देश आते हैं तो उसमें जो गोरे देश हैं वे गैर-गोरे देशों पर अपना प्रभाव जमा सके।

वहाँ की कार्यशैली क्या है? ऐसा है कि वहाँ जितने सदस्य हैं- विकसित, अविकसित, गोरे, गैर-गोरे सबने मिलकर और विचार-विमर्श करते हुए निर्णय लेना। यह वास्तव में लोकतांत्रिक पद्धति है, पर वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ क्या करते हैं कि गोरे देशों के 8-10 प्रतिनिधि पहले इकट्ठा आते हैं, उसको 'ग्रीन रूम' कहते हैं। और गौरे देशों के हित के लिए गैर-गौरे देशों पर क्या निर्बन्ध लगाने चाहिए, इसका विचार करते हैं। और वो विचार होने के बाद 'ग्रीन रूम' के बाहर आते हैं और बाहर जो लोग हैं उनको बताते हैं कि भई यह निर्णय हो चुका है, इसमें चर्चा नहीं, कुछ नहीं।

मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, भारत ने आवाज नहीं उठाई। भारत के प्रतिनिधि जो डब्ल्यू० टी० ओ० में जाते थे, वो तो यूरोप, अमेरीका के लोगों के सामने झुक जाते थे। इसलिए चित्रा सुब्रह्मणयम् ने एक पुस्तिका लिखी है कि 'इंडिया इज फॉर सेल', उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे हमारे प्रतिनिधि तैयारी भी नहीं करते, बोलते भी नहीं।

बाद में इस परिस्थिति में अंतर आया, हम लोगों के कारण। तो पहले वहाँ जो गैर-गोरे देश हैं, उनकी ओर से महाथिर मोहम्मद ने सबसे पहले अपनी आवाज उठाई, उन्होंने एक समिति का निर्माण किया, उसका नाम था 'साउथ कमीशन'।

उसके अध्यक्ष थे मिस्टर न्येरेरे तंजानिया के और जनरल सेक्रेट्री थे डॉ० मनमोहनसिंह भारत के। और उनको बताया गया कि किस तरह से आर्थिक आक्रमण हो रहा है, किस तरह से आर्थिक साम्राज्यवाद आ रहा है। इसका अध्ययन करना और उसको रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, यह सुझाव देना इत्यादि काम उनको दिया था। उस कमेटी की रिपोर्ट आपको मार्केट में भी मिल सकती है, 'चैलेंज टू दी साउथ' उस रिपोर्ट का नाम है। यह पूरी रिपोर्ट डॉ० मनमोहनसिंह के नेतृत्व में बनाई गई है जिसमें गोरे देशों को कैसे रोका जा सकता है, यह भी बताया गया है। साउथ-साउथ कॉ-ऑपरेशन जैसे कुछ इलाज बताए गए हैं कि कैसे रोक सकते हैं। आप वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कोई स्वदेशी जागरण मंच का आदमी है, वह लिख रहा है। किन्तु यही डॉ० मनमोहनसिंह जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, तो उन्होंने लिखा था, वो ही भूल गए। यह आश्चर्य की बात है। और यही बात यशवंत सिन्हा की है।

स्वदेशी जागरण मंच की एक चिंतन बैठक नागपुर में हुई थी। उसमें तीनों दिन यशवन्त सिन्हा उपस्थित थे। अंतिम दिन उनका भाषण हुआ, उन्होंने कहा कि 'विश्व व्यापार संगठन में रहने के कारण भारत का नुकसान हो रहा है। हमें हिम्मत के साथ विश्व व्यापार संगठन को छोड़ देना चाहिए।' यह यशवन्त सिन्हा का भाषण था, लेकिन जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, अपनी कही हुई बात भूल गए। मालूम होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर बनते ही एक बीमारी हो जाती है, जिसका नाम अंग्रेजी में है 'एमनेशिया'। एमनेशिया का मतलब है यह कि पूर्ण विस्मरण! मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ आदि सारा भूल जाते हैं। यह 'एमनेशिया' फाइनेन्स मिनिस्टर बनने के कारण हो जाता है। इसके द्वारा

जैसे डॉ० मनमोहनसिंह, वैसे यशवन्त सिन्हा भी सब भूल गए और गलत बातें बोलने लगे।

स्वदेशी जागरण मंच चाहता है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो। लेकिन विदेशियों का षड्यंत्र चल रहा है कि हमारे देश की कृषि पर, हमारे देश के एक-एक उद्योग पर विदेशियों का कब्जा हो जाए। अब हमारा कृषि प्रधान देश है। विश्व व्यापार संगठन में सबके लिए एक स्टैण्डर्ड नहीं है। हमारे लिए अलग है, अमेरीका के लिए अलग है। अब कृषि की दृष्टि से केवल उदाहरण के लिए बताता हूँ। अमेरीका के किसानों को जो पहले सब्सिडी मिलती थी, उससे चार गुना सब्सिडी उन्होंने बढ़ाई है। भारत और विकसनशील देशों को अमेरीका कहता है- 'तुम अपने यहाँ सब्सिडी कम करो और आखिर में सब समाप्त करो।' अपने किसानों की वे सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को कहा कि सब्सिडी खत्म करो। कारण क्या है? अब देखिए, अमेरीका का एक कानून है, 1988 का एक कानून है, उसमें स्पेशल 301 करके क्लॉज है। उसमें स्पष्ट दिया है कि बाहर के देश का यदि कोई भी माल हमारे बंदरगाह में आता है और वो हमारे देश में उतारने से हमारे देश के उद्योग और कृषि को नुकसान होगा, ऐसा यदि हमें लगता है तो हम बंदरगाह से माल को उतारने नहीं देंगे, वापिस भेज देंगे, लेकिन साथ ही साथ उसमें ऐसा है कि हमारा माल यदि किसी के यहाँ जाता है उसके बंदरगाह पर यदि अमेरीका का माल आता है तो उसे हमारा माल उतार लेना ही चाहिए। यदि वे हमारा माल नहीं उतार लेंगे और अपने मार्केट में नहीं भेजेंगे तो हम उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। ये कौन-सी नीति है?

हमारी सरकार कहती है कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कैसे बाहर आ जाएंगे? ये सारा ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का नहीं है, यह विकसित देशों के लिए है और विकसित देशों के हित के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो विकसनशील देशों की मेजोरिटी है, उनकी बात मानी नहीं जाती। गोरे देश, विकसित देश 8-10 ही हैं, एक्चुअली 8 ही हैं। उसमें उनकी दादागिरी सब पर चलती है।

महाथिर मोहम्मद ने एक बात कही थी। पहले तो महाथिर मोहम्मद ने भारत से प्रार्थना की कि जितने विकसनशील देश है उनका एक ब्लॉक बनाने की आवश्यकता है। और चूँकि भारत यह विकसनशील देशों में सबसे बड़ा है। भारत को हमारा नेतृत्व करना चाहिए। हम आपका नेतृत्व मानने को तैयार हैं। यह बात महाथिर मोहम्मद ने सबकी ओर से कही। भारत ने नेतृत्व लेने से इंकार कर दिया। फिर उन्होंने यह कहा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रहते हुए जो विकसनशील देश हैं, उन्हें अपना एक ब्लॉक बनाना चाहिए, अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए। इस ब्लॉक ने विकसित देशों को धमकी देनी चाहिए कि डब्ल्यू० टी० ओ० में आप हमारे साथ इक्वल फुटिंग का व्यवहार नहीं करते तो हम डब्ल्यू० टी० ओ० छोड़ देंगे। वो तो इक्वल फुटिंग का व्यवहार करने वाले नहीं हैं। उनको दादागिरी चलानी है तो डब्ल्यू० टी० ओ० छोड़ देना है और उसके बाद स्वदेशी जागरण मंच ने यह कहा कि विकसनशील देशों ने एक ग्रुप बनाकर पहले डब्ल्यू० टी० ओ० में रहकर धमकी देना और मानेंगे नहीं तो डब्ल्यू० टी० ओ० के बाहर आकर सैकण्ड डब्ल्यू० टी० ओ० माने दूसरा विश्व व्यापार संगठन, विकसनशील देशों का अलग खड़ा करना और

उनके साथ हम स्पर्धा करें, सभी विकसनशील देश एकत्रित होकर उनके साथ झगड़ा करें। ऐसा हम लोगों ने कहा।

ऐसा है, शुरू-शुरू में जब हम बोलते थे, तो वे कहते थे कि आपके बोलने का कोई उपयोग नहीं है। जैसा कहा जाता है कि 'बुढ़िया कहती तो सच है, लेकिन सुनता कौन है?' आपने देखा होगा। ऐसा था कि हम लोग अभी जो नई सरकार आई है, नई सरकार के लोगों से, प्रधानमंत्री को लेकर सबके साथ हम बात करते थे। उनको समझाने की कोशिश करते थे। उनको समझाते थे, तो वे लोग कहते थे कि हम लोग समझ गए हैं। लेकिन हमारे वापिस आने के बाद ब्यूरोक्रेट्स उनके पास पहुंचते थे। ब्यूरोक्रेट्स उनको कहते थे कि अरे! यह स्वदेशी वाले! यह क्या जानते है? मजदूर संघ, किसान संघ वाले अर्थशास्त्र क्या जानते है? इनको तो अर्थशास्त्र का पता ही नहीं है, वे लोग तो केवल भावनाप्रधान हैं, इमोशनल हैं, सेन्टीमेन्टल हैं। तो फिर सरकार का निर्णय बदल जाता था। अब आप जानते हैं कि शुरू से हमारे देश में एक बीमारी है, अच्छे-अच्छे लोग भी खरीदे जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स खरीदे जाते हैं, लीडर लोग भी खरीदे जाते हैं, कुछ मिनिस्टर्स भी खरीदे जाते हैं और जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको खरीदने का प्रतिष्ठित रास्ता भी है। 'क्रूड मेथड' नहीं है, प्रतिष्ठित रास्ता है, उनके किसी रिश्तेदार को अमेरीका में शिक्षा-दीक्षा के लिए भेजना, विश्व बैंक ने नौकरी देना, आई० एम० एफ० में नौकरी देना, तरह-तरह के मार्ग हैं जो प्रतिष्ठित दिखते हैं और इसके कारण हम लोग जो बोलते थे, उसका प्रभाव नहीं होता था।

हम लोगों ने मजदूर संघ ने, किसान संघ ने, बाकी सभी लोगों ने भी अवश्य इसके बारे में आवाज उठाई। यह आवाज जब प्रबल हो गई तो फिर सरकार को भी सोचना पड़ा कि ब्यूरोक्रेट्स की बात मानने से नहीं चलेगा। जनमत जागरण हुआ है और उसके कारण आपने देखा होगा कि दोहा में मिनिस्टर मारन (मुरासोली मारन) को कितनी मात्रा में यश आया - कितनी मात्रा में अपयश आया, यह महत्व का प्रश्न नहीं है। महत्व का प्रश्न यह है कि शुरू से लेकर आज तक कभी भी भारत सरकार ने वहाँ प्रतिकार नहीं किया था, दोहा में प्रतिकार किया और यह हम सब लोगों के प्रभाव का, दबाव का प्रभाव है। यह बात आप ध्यान रखिए। वहाँ से जब मारन वापिस आए तो हमको किसी ने कहा कि आप जाकर उनका अभिनन्दन कीजिए।

हमने उनका सार्वजनिक अभिनन्दन किया, मारन ने दोहा में जो भूमिका निभाई उसका हमने सार्वजनिक रूप से अभिनन्दन किया।

उसी समय से अमेरीका में प्रयास चल रहे थे कि इनके विरोध को कमजोर कैसे बनाया जाए, वहाँ जो विश्व व्यापार संगठन में कमजोर देश हैं, बिल्कुल गरीब देश हैं, उनको खरीदने का काम वहीं शुरू हुआ था, उनको खरीदने का काम, उनके प्रतिनिधियों को कहना कि तुम चले जाओ और वहीं से ये काम शुरू हुआ। हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स तो पहले से खरीदे गए हैं, बाकी लोगों को भी कैसे खरीदा जा सकता है, यह अमेरीका का प्रयास चल रहा है। हम जानते हैं इसीलिए हमने कहा कि हम मिनिस्टर मारन को धन्यवाद देते हैं और अभिनन्दन करते हैं, किन्तु प्रत्यक्ष जाकर हम नहीं मिल सकते, क्योंकि दो साल के अंतर्गत क्या-क्या परिणाम होंगे, यह देखना पड़ेगा। अब दोहा के बाद दो

साल के बाद मंत्रिपरिषद् होने वाली है, मंत्रिपरिषद् में भारत सरकार को अपनी भूमिका दोहा जैसी नहीं रखनी चाहिए, इसके लिए अमेरीका जी-जान से कोशिश कर रहा है, क्या उस कोशिश का प्रभाव होता है या हम लोगों का प्रभाव जैसा था वैसा कायम रहता है, यह देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आरग्यूमेंट्स नहीं सुनती, यह दुख की बात है, आरग्यूमेंट्स से यह नहीं मानती, दबाव से मानती है। पहले विश्व बैंक, इंटरनेशनल मोनिट्री फण्ड, अमेरिकन सरकार, यूरोप की सरकारें इनका दबाव था, इसके कारण स्वदेशी जागरण मंच, मजदूर संघ, किसान संघ और बाकी सभी संस्थाएं, हम लोग कोई देशभक्ति का ठेका हमारा है, ऐसा नहीं कहते, देशभक्त सभी लोग हैं, सभी लोगों ने आवाज उठाई, उस दबाव में आकर दोहा में ठीक भूमिका भारत सरकार ने ली, किन्तु अभी अगली मंत्रिपरिषद् में फिर से दोहा की भूमिका नहीं अपनानी चाहिए, सरकार को झुकना चाहिए, यह प्रयास चल रहा है, इसके कारण अगले मंत्रीपरिषद् तक में अभी थोड़ा समय रहा है। सवा साल का समय रहा, तो हमें इतना जन-जागरण करना है, इसके कारण हमारा दबाव फिर से आ जाए, जनमत का दबाव फिर से आ जाए और अमेरिकन दबाव के सामने जो सरकार झुकती है, उनको पता चले कि यदि हम अमेरिकन सरकार के समक्ष झुकेंगे तो फिर हमारी भी जान खतरे में हैं, इसीलिए हमारे दबाव के कारण वो ठीक भूमिका जैसे दोहा में ली वैसी उन्हें लेनी चाहिए, इतना जन-जागरण और जनमत प्रभाव बढ़ाना चाहिए।

भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय अधिवेशन त्रिवेन्द्रम में हुआ था। वहाँ ओपन सैशन हुआ, बहुत बड़ी अच्छी हाजिरी थी। उसमें स्वदेशी वगैरह की बात हमने कही और उसके बाद हमने यह कहा कि भई, भाजपा की सरकार, हमारे हित के लिए छोड़िए, किसान, मजदूरों के लिए छोड़िए, अपने खुद के हित के

लिए तो कुछ काम करना चाहिए, भाजपा की इज्जत बचाने के लिए तो उन्हें काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने यह कहा कि आप गलत नीतियाँ अपना रहे हैं, आर्थिक नीतियाँ गलत अपना रहे हैं, जिसके कारण लाखों मजदूर बेरोजगार होने वाले हैं, किसान भूखे मरने वाले हैं, आत्महत्या किसान पहले ही कर रहे हैं, पहले ही वह कर्ज में हैं, कैसे कर्जा भरना, नहीं जानते, आप बाहर से माल ला रहे हैं, आयात शुल्क उठा लिया, क्वांटिटेटिव रिस्त्रिक्शन उठा लिया, इसके कारण कृषि का माल जो विदेश से आता है, वो सस्ते में बेचा जाता है, हमारे कृषकों का माल ज्यादा महंगा हो जाता है, इसीलिए वह पड़ा रहता है, कृषकों को आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा, लाखों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं।

तो त्रिवेन्द्रम में हमने कहा कि भाई, आप अपनी पार्टी का तो विचार कीजिए, आपकी पार्टी को आज नहीं कल, कल नहीं परसों चुनाव में आना पड़ेगा या नहीं, तो चुनाव में आपके जो मतदाता रहेंगे, वो अमेरिकन नहीं रहेंगे, जिनके दबाव में आप हर काम रहे हैं, वह तो भारतीय रहेंगे। और भारतीय लोगों को आप यदि गलत ढंग से और उनको सतायेंगे तो आपको मत कैसे मिलेंगे, संयोग की बात थी कि त्रिवेन्द्रम में हमारा भाषण हुआ, दूसरे दिन से इलेक्शन के रिजल्ट्स आना शुरू हुए, उत्तर प्रदेश, पजाब, उत्तरांचल और सारे रिजल्ट्स क्या आए? आप जानते हैं। पत्रकार हमारे पास आए। क्या ठेंगड़ी जी आप जानते थे कि क्या-क्या होगा, हमने कहा हम जानते नहीं थे। यह कॉमन सेन्स की बात है, तो अपनी पार्टी के हित के लिए इन्हें ठीक ढंग से व्यवहार करना चाहिए।

ठीक ढंग से व्यवहार नहीं हो रहा, इसका एक उदाहरण देकर और मैं यह भाषण पूरा करना चाहता हूँ। अभी-अभी की बात है, फारेन प्रिन्ट मीडिया की।

फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्रिंट मीडिया में लाना यह पुराना षडयंत्र है, नयी बात नहीं है। चुनाव होने के पहले हमने बीजेपी के नेताओं को कहा था कि आप इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी डिपार्टमेन्ट फलाने-फलाने आदमी को मत दीजिये। उन्होंने कहा- अरे आश्चर्य की बात है, अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं आप पर्टीकुलर आदमी का नाम ले रहे हैं, पर्टीकुलर डिपार्टमेन्ट का नाम ले रहे हैं; तो हमने कहा कि हम अफवाहों के आधार पर नहीं, मेरे पास डायरेक्ट जानकारी है कि इस आदमी को अपना हथियार बनाकर, अपना माध्यम बनाकर, हिन्दुस्तान के मीडिया पर छाने का षड़यंत्र विदेशियों का है।

उसको इतने दिन हो गए, इन्होंने प्रयास किया। किन्तु प्रेस वालों ने विरोध किया, जॉइन्ट पार्लियामेंट्री कमेटी इसके लिए बिठाई गई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे प्रिंट मीडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेन्ट नहीं आनी चाहिए। अब अचानक निर्णय आया कि प्रिंट मीडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेन्ट आ रही है। प्रेस वालों के विरोध के बावजूद, जनता की राय न लेते हुए, पार्लियामेन्ट की राय न लेते हुए, एकदम यह अचानक हमला हुआ।

लेकिन अपनी चमड़ी बचाने के लिए एक प्रचार शुरू किया, क्या था कि उसमें कहा कि प्रिंट मीडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेन्ट आनी चाहिए, इस बात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर-संघचालक माननीय सुदर्शन जी भी अनुमति दे रहे हैं, उनकी भी इच्छा है। अब इतनी झूठी बात आकाशवाणी से बार-बार प्रसारित होती है। आपने सुना होगा। और समाचार पत्रों में से, कई समाचार पत्र, मैं ऐसा नहीं कहता सभी इसका प्रचार कर रहे थे। वास्तव में सुदर्शनजी ने कहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेन्ट को हम लाए इसका उन्होंने स्वागत नहीं किया। उन्होंने

कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो मत लाईये, हाँ एन० आर० आई० है, एन० आर० आई० माने अनिवासी भारतीय, उसका पैसा यदि आता है, तो उसमें आपत्ति नहीं है। तो उन्होंने एन० आर० आई० का स्वागत किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का स्वागत नहीं किया। सरकार ने गलत ढंग से प्रचार किया। अब इससे और गलत काम क्या हो सकता है?

वास्तव में स्वदेशी जागरण मंच, प्रिंट मीडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है उसका विरोध कर रही है, इतना ही नहीं, इलेक्ट्रोनिक मीडिया में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं, हमारा कहना है कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया से पूरी तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वापिस जाना चाहिए। तो, हम तो इलेक्ट्रोनिक मीडिया से भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापिस हो जाए ऐसा कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आर० एस० एस० ने स्वागत किया है? इससे और झूठ बात क्या हो सकती है। मतलब यह कि अब प्रेस के कुछ लोग, सरकार के कुछ लोग झूठ बोलने पर भी उतारु हो गए हैं, ऐसा दिखता है। ऐसी परिस्थिति में से हम जा रहे हैं। सवा साल के बाद डब्ल्यु० टी० ओ० का मंत्रिपरिषद का जो मामला आने वाला है, उसके लिए दबाव बनाना है और यह जो एक-एक उद्योग विदेशियों के हाथ में जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, अरे! जो प्रॉफिट मेकिंग इंडस्त्रीज हैं, वो भी आज प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं। अगर आपको देना ही है, तो वहाँ के मजदूरों को दीजिए। अपने-अपने उद्योग वहाँ के मजदूर चला सकते हैं। लोग कहते हैं मजदूर कैसे चलाएंगे? हमने कहा- 'मिनिस्टर को भी क्या जानकारी होती है, वो भी मैनेजर और टेक्नोलोजिकल लोगों की सहायता से चलाते हैं, इसी तरह मजदूर भी चलाएंगे।

लेकिन पब्लिक सेक्टर की प्रॉफिट मेकिंग इंडस्त्रीज का भी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं।

एक-एक बात गलत ढंग से चल रही है। इस दृष्टि से जन-जागरण हो, लोगों को शहरों में, गाँवों में इस बात का पता चले कि गलत पॉलिसीज हैं और उसके कारण एक प्रचण्ड दबाव खड़ा हो। उधर से भी दबाव आएगा, विश्व बैंक, इंटरनेशनल मोनिट्री फण्ड, अमेरिकन सरकार, यूरोप की सरकारें इनका दबाव आएगा और उनका विरोध करना है तो इधर से जबर्दस्त दबाव, जनमत का, जन-जागरण का जाना चाहिए। तभी तो देश को बचाया जा सकता है। वरना अपना देश भी आर्थिक साम्राज्यवाद में आ जाएगा। तो हमारी 'सोवरनिटी' खतरे में है, संप्रभुता खतरे में है।

'सोवरनिटी' की परिभाषा अपने शास्त्रों ने की है "इक्षवांकुणामियम् भूमि स्सशैल जलकानना, मृगपक्षीमनुष्याणाम् निग्रहानुग्रहेशु च" याने सारी भूमि इक्षवाकु की है, शैल, जल, कानन इनके साथ सभी भूमि इक्षवाकु की है। 'मृगपक्षीमनुष्याणाम्' मृग हो, पक्षी हो, मनुष्य हो सबका 'निग्रहानुग्रहेशु च' उनका निग्रह करना और उन पर अनुग्रह करना, इसका पूरा अधिकार इक्षवाकु को है, यह सारी 'सोवेरनिटी' की परिभाषा है। हम सोवेरन हैं, ऐसा लिखा गया है। लेकिन सोवेरनिटी पर आँच आ रही है, आक्रमण हो रहे हैं। अपनी सोवेरनिटी जाएगी, इंडिपेंडेंस जाएगा, इस दृष्टि से यह जो गोरे देशों का षड़यंत्र है, उसको फेल करने के लिए और इस दृष्टि से भारत सरकार स्वदेशी के पक्ष में रहे, विदेशियों के पक्ष में न रहे यह दबाव सरकार पर लाने के लिए सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए। इतनी ही प्रार्थना करते हुए मैं मेरा भाषण पूरा करूँगा।

*****

स्वदेशी क्यों?

21-22 नवम्बर, 1992 को आयोजित स्वदेशी जागरण मंच की मुम्बई बैठक में, 22 नवम्बर को सम्पन्न सार्वजनिक सभा में राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी का उद्‌बोधन, यहाँ प्रस्तुत है।

देश में आर्थिक हालात के बारे में पिछले 45 वर्षों से योजनाबद्ध रूप से जनता को गलत सूचनाएँ दी गई हैं। डॉ० गोएबल्स कहते थे कि कोई भी झूठ सौ बार दोहराइए, वह सत्य हो जाता है। इस अवस्था में एक बार सत्य का सामना हो जाने पर भी, उस पर विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे एक कपड़ा अस्वच्छ है, शुभ्र नहीं है, मैला है तो उसके ऊपर चित्र बनाना बहुत कठिन हो जाता है। उस स्थिति में पहला काम, उसे साफ करना पड़ेगा तब उस पर नया चित्र बनाया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप- अब कहा जा रहा है कि कम्युनिज्म का पतन हो गया। लेकिन किसी का भी पतन एकाएक नहीं होता। जिस भवन को बनने में 100-150 वर्ष लगे हैं उसके गिरने में भी समय तो लगेगा। लेकिन इसकी प्रक्रिया चल रही है।

कहा जाने लगा है कि अब कम्युनिज्म पर से लोगों का विश्वास हट गया है और लोग बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था की तरफ जाएंगे। चूँकि और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए पूर्व कम्यूनिस्ट देश स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की ओर जा रहे हैं, ऐसा दिखता है। कम्युनिज्म पर से उनका विश्वास हटकर बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था पर हो गया हो, ऐसी बात नहीं है। दरअसल, तुरन्त कोई विकल्प

दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए वे बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था के जो दुष्परिणाम हैं, उन्हें वे जानते हैं और वे सभी लोग तीसरे विकल्प की खोज में हैं। आजकल पूर्व कम्युनिस्ट देशों में तीसरा विकल्प शद्व बहुत चल रहा है। और जब तक तीसरा विकल्प नहीं मिलता, तब तक वे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए यह धारणा बनाना कि कम्युनिज्म का पतन हुआ है इस कारण पूँजीवादी अर्थव्यवस्था लोकप्रिय हो गई है, ठीक नहीं है। वैसे यह भी एक भ्रांति है कि बाजारोम्मुखी अर्थव्यवस्था यानी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। बार-बार कहा जाता है कि कम्युनिस्टों की अर्थव्यवस्था यानी नियंत्रित अर्थव्यवस्था और इसके विरोध में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था यानी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। यदि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती तो उसमें एकाधिकार कैसे आ सकता है। व्यवहार में देखा गया है कि जहाँ पूँजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है वहाँ एकाधिकार भी होता है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का मतलब है प्रतिस्पर्धा और जहाँ प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र रूप से चलती है वहाँ एकाधिकार आ ही नहीं सकता। एकाधिकार आता है तो कानून के सहारे ही। पेटेन्ट्स और ब्रान्ड्स के कानून से एकाधिकार कायम होता है।

हमें यह बात बार-बार समझायी जा रही है कि देश के आर्थिक ढाँचे की मजबूती के लिए पश्चिमी अर्थतंत्र का अनुकरण करना ही पड़ेगा। तर्क यह दिया जाता है कि हमारे यहाँ न तो कोई अर्थतंत्र था और न ही अर्थशास्त्र। हमारा धर्म यानी पूजा-पाठ करना, तिलक लगाना, कर्म-कांड करना; इससे लोग सात्विक हो गए, लेकिन उनकी भौतिक बातों में कोई खास रूचि नहीं थी। इस कारण यदि आर्थिक क्षेत्र में कोई विकल्प खोजना हो तो वह पश्चिम में ही खोजना

पड़ेगा। यह धारणा गलत है। दरअसल, हमारा भी अपना हिन्दू विचार चिन्तन है, हिन्दू अर्थशास्त्र है, हिन्दू व्यवस्था है। यह जानकर आश्चर्य होगा कि अपने यहाँ नीतिगत सिद्धांत के रूप में सभी बातें मिलेगी। यद्यपि उनका विकास नहीं हो पाया, क्योंकि विकसित करने वाला कोई नहीं है। जिनके हाथ में शासन है वे हिन्दू अर्थशास्त्र को विकसित करना ही नहीं चाहते। लेकिन अपने यहाँ सब चीजों के बारे में मार्गदर्शक सिद्धांत बने हैं। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि प्राइस पॉलिसी के बारे में काफी चर्चा चलती है। एक कम्युनिस्ट नमूना, यानी सभी सरकार के द्वारा नियंत्रित हो। दूसरा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था माँग और पूर्ति के आधार पर। लेकिन हमारे यहाँ संतुलन भी किया गया था। कीमतों के बारे में शुक्राचार्य ने कहा था कि वस्तु के उत्पादन में जितना मूल्य लगेगा, वही लागत मूल्य उसकी वास्तविक कीमत है और यह कीमत बाजार में वस्तु की सुलभता, गुणवत्ता और आवश्यकता के आधार पर कम अधिक होती रहती है। लेकिन उसमें एक सीमा से अधिक अन्तर नहीं आना चाहिए। यानी, माँग और पूर्ति के नियम का विचार तो किया, लेकिन उसे नियंत्रण में रखकर यह स्पष्ट किया कि लागत मूल्य को आधार मानकर ही कीमत का निर्धारण होना चाहिए, मनमाने ढंग से अनाप-शनाप कीमत तय नहीं कर सकते।

हमारे विद्वान लोग विदेश के बारे में तो बहुत जानकारी रखते हैं, लेकिन स्वदेश के बारे में नहीं रखते। इसीलिए यह धारणा बन गई है कि हमारी संस्कृति और धर्म का अर्थशास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री केनिथ बोल्डिंग ने कहा है कि जहाँ धार्मिक भावना प्रबल है, वहाँ की माँग का स्वरूप अलग होता है। हमारे देश के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 12-13

अर्थशास्त्रियों में से एक पी० आर० ब्रह्मानन्द ने कुछ समय पूर्व कर्नाटक में एक भाषण में कहा कि हमारे यहाँ धर्म की क्या व्यवस्था थी यह तो हमने देखी नहीं, किन्तु इसी के आधार पर अर्थ होना चाहिए। उनका वाक्य था 'धर्माधिष्ठित अर्थ' होना चाहिए।

पश्चिम के लोग केवल भौतिकवादी है, हमारे यहाँ भौतिकता का अभाव नहीं है, लेकिन भौतिक और अभौतिक, समुत्कर्ष और नि:श्रेयस दोनों को एक माना गया है। इसका कारण हमारे यहाँ की धर्माधिष्ठित मनोरचना है। विदेशियों का सिद्धांत है अधिकतम उत्पादन - अधिकतम उपभोग। जब कि हमारा सिद्धांत रहा है अधिकतम उत्पादन - न्यूनतम उपभोग, नियंत्रित उपभोग, संयमित उपभोग। शायद पश्चिमी देशों को उसकी इतनी आवश्यकता नहीं, जितनी हमारे नव जागरूक, नव स्वतंत्र देश को है। जहाँ संयमित उपभोग की धारणा है, वहाँ बचत बढ़ती है और हमने यदि बचत बढ़ाई तो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी विकसित हो सकती है, जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होगा। हमने पश्चिम के भौतिकतावादी मापदण्ड अपनाए हैं, हमने भी उपभोक्तावाद को स्वीकार किया है। हम यदि अपनी संस्कृति के अनुसार न्यूनतम उपभोग को स्वीकार करेंगे तो कितना लाभ होगा इसकी कल्पना अभी नहीं है। हमारे जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उनमें से एक के मुखिया ने करीब 10-11 साल पहले एक वक्तव्य दिया था कि जहाँ तक घरेलू बाजार का सवाल है, उसमें हम स्वयं अपने आप में एक विश्व है।

आज जापान तकनीकी दृष्टि से सबसे विकसित देश है, लेकिन वहाँ भी संसाधन बाहर से लाने पड़ते हैं। इसीलिए जापान के बारे में कहा गया है कि वह एक गरीब देश है जिसकी जनता धनी है। हमारे पास संसाधन बहुत है,

हमारे बारे में कहा जाता है कि भारत धनी है, लेकिन इसकी जनता गरीब है। मानव-श्रम, वैज्ञानिक तकनीक और प्रतिभा हमारे पास इतनी है कि आज कि स्थिति में भी हम विश्व की तीसरी बड़ी वैज्ञानिक शक्ति है। पहला अमेरीका, दूसरा था सोवियत संघ और तीसरा है हिन्दुस्तान।

जहाँ तक घरेलू बाजार का सम्बन्ध है, यदि व्यापार पर हमारा ही कब्जा रहा तो कीमतें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। डॉ० अम्बेडकर, जो अर्थशास्त्री भी थे, ने बहुत पहले कहा था कि यदि यहाँ कि कीमतें कम रहती है तो भुगतान संतुलन की स्थिति में गड़बड़ी नहीं होगी। और फिर रुपये के अवमूल्यन करने की बारी नहीं आएगी।

हम आज आर्थिक गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं। 1947 में हमें राजनीतिक स्वातन्त्र्य मिला। हमारे नेता भले ही कहें कि यह हमारे पराक्रम के कारण मिला, लेकिन दूसरे महायुद्ध के पश्चात जो जागतिक परिस्थिति निर्माण हुई उसके दबाव के कारण अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र करना सभी श्वेत साम्राज्यवादी देशों के लिए जरूरी हो गया। यदि हमारे पराक्रम के कारण स्वतंत्रता मिली होती तो सिंगापुर को क्यों आजादी मिलती? छोटे-छोटे देशों को भी उस समय स्वतंत्रता मिली वह अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का दबाव था। अन्तर्राष्ट्रीय दबाव के कारण स्वतंत्रता उन्होंने तो दे दी, लेकिन स्वतंत्रता देने के बाद उनकी हालत जर्जर हो गई। उस समय हमारे यहाँ भ्रांति थी कि श्वेत साम्राज्यवादी देश बहुत समृद्ध हैं। वास्तव में ये देश समृद्ध नहीं थे। उपनिवेशों के शोषण के आधार पर वे समृद्ध दिखाई देते थे। उदाहरण के लिए यहाँ कपास पैदा होती थी। उनका शासन था इसलिए कम-से-कम मूल्य पर यहाँ की कपास खरीदते थे और

इंग्लैण्ड ले जाते थे। मैनचेस्टर में उसका कपड़ा बनाते थे और फिर यहाँ लाकर अधिक कीमत में वही कपड़ा बेचते थे। उपनिवेशों का दो तरह का काम रहता था। साम्राज्यवादी देशों को कच्चा माल सस्ती दरों पर देना और साम्राज्यवादी देशों के उत्पादों के लिए बाजार का काम भी करना। दोहरा शोषण होता था। उपनिवेशों के स्वतंत्र होने के बाद यह शोषण बंद हो गया तो साम्राज्यवादियों का आर्थिक ढाँचा चरमराने लगा, क्योंकि उनके पास इतने आर्थिक संसाधन नहीं थे। वे सोचने लगे कि अपनी अर्थव्यवस्था को पहले मजबूत कैसे किया जाए। उन्होंने सोचा कि जब तक अन्य लोगों का शोषण नहीं करते, तब तक आर्थिक ढांचा चल नहीं सकता। इसलिए उन्होंने एक तरिका निकाला, नव-स्वतंत्र देशों के शासकों को खरीदने का। लेकिन खरीदने की जो प्रक्रिया थी, वह उन देशों के लिए तो बड़ी आसान थी जहाँ तानाशाही थी, क्योंकि तानाशाह एक था। लेकिन इसके ठीक विपरीत जहाँ लोकतंत्र था, केवल 5-25 लोगों को खरीदने से काम नहीं हो सकता था। और हिन्दुस्तान तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश था।

हमारे यहाँ संविधान लागू किया गया, वह संविधान हिन्दुस्तान की भूमि से नहीं उपजा था। भारत की परम्परा और संस्कृति से निकला हुआ संविधान नहीं था। भारत में लोकतंत्र हमेशा रहा है। भारतीय प्रकृति का लोकतंत्र यदि यहाँ लाया जाता तो हमारी जनता उसे तुरन्त ग्रहण कर सकती थी, क्योंकि हमारे रक्त में वह परम्परा है। श्रेष्ठ विचारकों ने इसके विषय में पहले ही चेतावनी दी थी कि यह 'पश्चिमी मॉडल' हमारे देश के लिए अनुकूल नहीं है। 1909 में महात्मा गाँधी ने 'हिन्द स्वराज' नाम की एक छोटी पुस्तिका में आदर्श समाज-रचना का एक खाका प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिन्दुस्तान जैसे देश के

लिए इंग्लैंड का मॉडल अनुकूल नहीं होगा। 1915 में योगी श्री अरविन्द ने कहा कि यह पश्चिमी संसदीय लोकतंत्र हमारे अनुकूल नहीं है। गुरु गोलवलकर ने भी यही कहा। 1926 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (राजाजी) ने लिखा कि पश्चिम की तरह का लोकतंत्र, बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक के विचार वाला लोकतंत्र आएगा तो देश तबाह हो जाएगा। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ेगा। लोगों का चरित्र गिर जाएगा। इससे बचने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्ष पूर्व मानवेन्द्रनाथ राय ने देश-विदेश के संविधानों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंग्लैण्ड का मॉडल यदि हमारे देश में आ जाए तो यशस्वी होने की संभावना नहीं है। किन्तु देश के यशस्वी होने के लिए बड़े पैमाने पर जनता के शिक्षित होने की आवश्यकता है। आचार्य विनोबा भावे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र की बात कही थी।

इस संदर्भ में अधिक महत्त्व की बात यह है कि जहाँ 44 करोड़ लोग पूर्णरूपेण निरक्षर हैं, बचे हुए लोगों में से 12 करोड़ लोग अर्ध-शिक्षित हैं और 50-60 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। जिस देश में इतने लोग गरीब हो, इतनी निरक्षरता हो, वहाँ इंग्लैण्ड का मॉडल क्या काम करेगा? जहाँ इतनी निरक्षरता है, वहाँ घोषणापत्र पढ़कर कौन वोट देगा? ऐसे देश में सबसे आसान रास्ता यही माना गया कि वोट खरीदे जाएँ। यदि खरीदने है तो इसके लिए पैसा चाहिए। पैसा गरीबों से नहीं आएगा, पैसा पूँजीपतियों से आएगा। और पैसे वाले अपने आर्थिक सहयोग की कीमत भी वसूलेंगे। उनके पैसे से हुकूमत में आए शासकों पर अपना पैसा वापस पाने के लिए वे जनता का शोषण करने की खुली इजाजत देने के लिए दबाव डालेंगे, इसी शर्त पर जो पूँजीपतियों के लिए उपयुक्त है और इस तरह से परस्पर समझौता चलता

है। भारत में यही हुआ। इस संदर्भ में पूँजीपति का मतलब एकाधिकार वाले पूँजीपतियों से है, जिनमें मध्यम श्रेणी के पूँजीपति की कहीं गिनती नहीं है। देश के अर्थशास्त्र में छोटे और मध्यम वर्ग के पूँजीपतियों की गिनती ही नहीं है और न विश्व की अर्थव्यवस्था में इनके योगदान की चर्चा होती है।

इन सब देशी-विदेशी पूँजीपतियों के साथ राजनेताओं के समझौते केवल पैसे के लिए होते हैं। इसी पैसे के लिए ये राजनेता देश के साथ गद्दारी करते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या विदेशी पैसे के बिना हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकते हैं? इसका उत्तर भी सकारात्मक है। यदि लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत की जाती, जिसके कारण हम घरेलू बचत बढ़ाते, उपभोग को नियंत्रित रखते तो हमारे ही अन्दर पूँजी बनाने की ताकत बहुत ज्यादा आ जाती। जहाँ तक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और विदेशी पूँजी निवेश का सवाल है तो इन सारे निवेशों का विरोध करना दकियानूसी है। विदेशी निवेश पूरी दुनिया में चलता है। इंग्लैन्ड, फ्रांस, अमेरीका, जर्मनी, इटली जैसे विकसित देश भी विदेशी निवेशों का स्वागत करते हैं। लेकिन इस संदर्भ में यह समझना होगा कि विकसित देशो में जो विदेशी निवेश होता है और हमारे देश में जो निवेश होता है या तृतीय विश्व के सभी देशों में होता है, उसमें क्या अन्तर है। विकसित देशों में जो विदेशी निवेश होता है वह उनकी शर्तों पर होता है। वे अपने राष्ट्र हित का पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ जो विदेशी निवेश होता है वह निवेशकों की शर्तों पर होता है, इसमें हमारे देश के हित का ध्यान नहीं रखा जाता। कई निवेश तो ऐसे होते हैं जिनमें स्पष्ट दिखता है कि इससे देश का नुकसान होगा। यहाँ यह भी समझना होगा कि धनी देशों के सामने भी अपने पैसे को बाहर के देशों में खर्च करने की मजबूरी है। इस सम्बन्ध में

विदेशों में बातचीत के लिए जाने वाले हमारे राजनेता और सचिव यदि अपने देश के हित का विचार करते हुए अपनी शर्तों पर समझौता करते तो देश की यह दशा न होती। यह ठीक है कि लेन-देन में कुछ कम-ज्यादा होता है, लेकिन आज जिस प्रकार के खतरनाक समझौते हुए है, ऐसे समझौते नहीं होते। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पूर्व की बात है, उस समय राजीव गाँधी प्रधानमंत्री थे। मैं कलकत्ता में था। मेरे पास बैठे एक कम्युनिस्ट नेता ने समाचार पत्र देखकर कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गाँधी का वक्तव्य है कि अगली 1 अप्रैल से उत्तर-पूर्व क्षेत्र में राष्ट्रीय कपड़ा मिलों को केन्द्र सरकार से मिलने वाला अनुदान बंद कर दिया जाएगा। मैंने कहा कि यह वक्तव्य राजीव गाँधी का नहीं है, वह तो सिर्फ प्रवक्ता है। अगले दिन के अखबर में छपी खबर से यह भी साफ हो गया कि विश्व बैंक ने दो माह पूर्व प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र की राष्ट्रीय कपड़ा मिलों को दिया जा रहा अनुदान यदि आपने 1 अप्रैल से बंद नहीं किया तो जो ऋण हमें देना है, वह हम नहीं देंगे।

एक बहुत बड़ी भ्रांति हमारे देश में फैलाई गई है कि विदेशी तकनीक के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। यह पूर्ण सत्य नहीं है। आम आदमी भी समझता है कि स्वदेशी के नाम पर यदि हम विदेशी तकनीक का विरोध करेंगे तो यह निश्चित रूप से देश को पीछे छोड़ने वाली बात होगी। इसके विषय में शास्त्रोक्त कदम होना चाहिए कि हम राष्ट्रीय तकनीक की नीति विकसित करें। इस पर चार तरीकों से विचार करें। एक- हमारे जितने तकनीकी विशेषज्ञ हैं, वे दुनिया भर में जितनी विकसित तकनीक है, उसका अध्ययन करें। यह तो विदित ही है कि विज्ञान और तकनीक में हमारे देश के लोग पीछे नहीं है। नासा में भारतीय, अमेरीकी-जर्मन लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे

हैं, उनका बड़ा सम्मान है। इसलिए यह तय करें कि विदेशी तकनीक का कौन-सा हिस्सा देश की परम्परा, परिस्थितियों, आवश्यकताओं और भविष्य की आकांक्षाओं की दृष्टि से लाभदायक हो सकता है। दूसरा- ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें विदेशी तकनीक में थोड़ा हेर-फेर करते हुए उसे लाया जाए तो देश को फायदा हो सकता है। तीसरा- देश को हानि पहुँचाने वाली तकनीक को पूरी तरह अस्वीकार कर देना, छोड़ देना, उसे लाने के लिए सोचना ही नहीं। चौथा क्षेत्र है- परम्परागत दस्तकारियों का, जहाँ उनकी तकनीक का कोई उपयोग नहीं है, वहाँ हमें ही अपनी तकनीक विकसित करनी पड़ेगी। इसका निर्णय करने के लिए राष्ट्रीय तकनीक नीति होनी चाहिए।

तकनीक के बारे में भी भ्रम है। भ्रम यह है कि हर एक नई तकनीक मानवता के लिए उपयोगी है। लेकिन ऐसा है नहीं। नई तकनीक के बारे में यह स्पष्ट है कि वह अकेली नहीं आती, बल्कि पाश्चात्य सभ्यताएँ भी आती हैं। हमारे देश के लोग यह समझते हैं कि हमारी परम्पराएँ और संस्कृति तो अपनी ही रहे, जबकि नई तकनीक बाहर से लाई जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। नई सभ्यता के साथ आने वाली तकनीक से जितना हमारा पुराना ढाँचा है, वह सब नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात उनकी सारी तकनीक लोगों को बेरोजगार करने वाली है। यह संभव है कि कुछ क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था के ऐसे हैं, जहाँ उच्च तकनीक की आवश्यकता है। खासकर देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन ज्यादातर क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ उच्च तकनीक की आवश्यकता नहीं है और वहीं वे उच्च तकनीक लाना चाहते हैं। जबकि इसके विपरीत हाल यह है कि जहाँ हमको उच्च तकनीक चाहिए, वहाँ वे देने वाले नहीं हैं। हमारा कल्याण करना उनका उद्देश्य नहीं है। जहाँ उनकी उच्च तकनीक परम घातक है ऐसे क्षेत्र में वे ला

रहे हैं और वह खपत का क्षेत्र है - उपभोक्ता वस्तुओं का क्षेत्र। क्या हमारे देश में हम टूथ पेस्ट, टूथ ब्रश नहीं पैदा कर सकते। उपभोक्ता वस्तुओं का जो क्षेत्र है वह तो पूर्णरूपेण हमारे लिए खुला रहना चाहिए। हमें जहाँ निवेश की आवश्यकता है वहाँ वे नहीं करेंगे। उच्च तकनीक के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हम उनकी नई तकनीक स्वीकार कर सकते हैं, जो वे देने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी प्रगति हो यह उनकी इच्छा नहीं है। हमें किसी भी तकनीक का विवेकहीन विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन विवेकहीन स्वागत भी नहीं करें। वे लोग कहते हैं कि 'अप-टू-डेट' (अधुनातन) तकनीक ला रहे हैं। लेकिन कोई भी सरकारी नेता यह बताए कि 45 साल में हमने कौन-सी 'अप-टू-डेट' (अधुनातन) तकनीक ली है। विदेशों में ऐसी परिस्थिति है कि तकनीक प्रयोग चलते रहते हैं। होता यह है कि एक वस्तु के निर्माण करने के लिए आज जो तकनीक है वह 5-6 महीने में 'आउट-डेटेड' (प्रयोग से बाहर) हो जाती है। नई तकनीक का निर्माण होता है। लेकिन पुरानी तकनीक की मशीनरी, जो उनके गोदाम में पड़ी है, ऐसी पुरानी तकनीक वे हमारे देश पर लाद देते है। क्या हमारी सरकार यह बता सकती है कि पिछले सालों में जो तकनीक हमने ली है, देश को हर हाल में उनकी जरूरत थी? यह आश्चर्य की बात है कि हमारी सरकार नई के नाम पर जो मशीनरी आयात करती है वह 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक काम में ली जा चुकी होती है। अपनी मशीनरी को बेचना था, इसलिए बेचा जबकि हमारे राजनेताओं ने मजबूरी वश उसे स्वीकार किया और हमें बताते हैं कि आधुनिक तकनीक है।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री पी० वी० नरसिंह राव ने कहा कि नई तकनीक के कारण उद्योगों में जिन मजदूरों की छंटनी हो रही है, उनको हम नई तकनीक

का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। अमेरीका में भी पहले यही कहा गया था। लेकिन वहीं का अनुभव यह बताता है कि पुन: प्रशिक्षण के लिए जिस न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है, वह इस श्रेणी के मजदूरों में नहीं मिलती। इस वजह से अमेरीका में आर्थिक असंतोष बढ़ गया। यह सारी बात प्रधानमंत्री को बताने का काम सचिवों का है। लगता है कि उनको बताया नहीं गया।

पश्चिमी देशों में भी नई तकनीक का लाभ हुआ है क्या? अणु बम के निर्माण को लेकर आइंस्टीन रोने लगे। रोबर्ट औपन हाई मैन ने कहा कि गलती हुई है- यह नया अनुसंधान करना ही नहीं चाहिए था। राजनेताओं के हाथ में जाने के बाद नागाशाकी और हिरोशिमा का विनाश हुआ। दोनों वैज्ञानिक रोने लगे। आज तो परमाणु बमों के कारण विश्व विनाश के कगार पर खड़ा हुआ है, यह सारा नई तकनीक का परिणाम है।

कौन-सी तकनीक उपयुक्त है, कौनसी नहीं? विनाशकारी कौन-सी है, संवर्धक कौन-सी है, इसका विचार होना चाहिए। कम्प्युटर तकनीक के जनक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ० विन्नेर भी कहते हैं कि विज्ञान और तकनीक की अनियंत्रित प्रगति होगी तो मनुष्य को लाभ ही होगा, इसकी गारन्टी क्या है? उन्होंने कहा कि तकनीक पर नियंत्रण रखने वाली संस्था होनी चाहिए, जो वैज्ञानिकों और तकनीक के जानकारों की न हो, बल्कि सांस्कृतिक प्रवृत्ति के मानवजाति का कल्याण चाहने वाले जो लोग हैं उनकी नियंत्रित संस्थाएँ होनी चाहिए।

विदेशी आर्थिक साम्राज्यवाद के विषय में जनजागरण का अभियान प्रारम्भ ही हुआ था तो इतने में एक बड़ा कुठाराघात देश पर होने की स्पष्ट संभावना

दिखने लगी। यह आघात था डंकेल प्रस्तावों का। 'जनरल एग्रीमेन्ट ऑन टेरिफ्स एण्ड ट्रेड' के प्रधान आर्थर डंकेल के ये प्रस्ताव 'पक्षपातपूर्ण' हैं ऐसा आरोप प्रथम लगाने वाली भारत सरकार को, दबाव के कारण उनमें कुछ अच्छे पहलू भी हैं, यह साक्षात्कार होने लगा और उन प्रस्तावों की वकालत करना सरकारी नेताओं ने प्रारम्भ किया। किन्तु पार्लियामेन्ट के भीतर तथा बाहर उनके विषय में जो चर्चाएँ हुई उनमें से यह स्पष्ट हुआ कि- Trips, Trims, Gats तथा Gatt ये चारों घनिष्ठ रूप से परस्पर सम्बद्ध हैं; चारों मिलकर अविभाज्य 'पैकेज डील' बने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है 'लेना चाहोगे तो पूर्णरूपेण लेना होगा, छोड़ना चाहोगे तो पूर्णरूपेण छोड़ना होगा', 'पैकेज' में से कुछ हिस्सा दिया और कुछ छोड़ दिया ऐसा करने के लिए गुंजाइश नहीं है। डंकेल प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होते ही वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कानूनी दस्तावेज बन जाता है, 'द्विपक्षीय समझौता' ऐसा उसका स्वरूप नहीं रहता। अमेरिका के ख्यातनाम विशेषज्ञों ने तीसरी दुनिया के देशों को अपनी आर्थिक तथा वैज्ञानिक गुलामी में जकड़ने के लिए अति कुशलता पूर्वक तैयार किया हुआ यह प्रस्तावों का उलझाने वाला दस्तावेज ठीक ढंग से समझना राजनेताओं के बस की बात ही नहीं है, उसके लिए न्यायविद् (Jurists), शास्त्रज्ञ (Scientists) तथा अर्थशास्त्री (Economist) इनका आयोग बनाकर उसके द्वारा इन प्रस्तावों पर रिपोर्ट मंगवाना आवश्यक है, यह ध्यान में आता था। किन्तु विदेशी पूँजी के दबाव में चल रहे सरकारी नेता ऐसा आयोग नियुक्त करें, यह भी अपेक्षित नहीं था। देश के सभी न्यायविदों, राज्यशास्त्रज्ञों, अर्थशास्त्रियों तथा विभिन्न वाणिज्यक संस्थाओं न◌े (एफ० आई० सी० सी० आई० तथा Assocheme को छोड़कर) इनका

विरोध किया तो भी सरकार उनके रुख के सामने झुकेगी यह भी स्पष्ट ही है।

बजट, औद्योगिक नीति, आयात-निर्यात नितियों पर डंकेल की कृपा स्पष्ट दिखाई देती है। डंकेल प्रस्ताव हमारे विविधि क्षेत्रों पर विदेशियों का एकाधिकार प्रस्थापित करेगा,- दवाईयों का क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, नये बीजों का क्षेत्र, नये पौधों का क्षेत्र, नये जीवों का क्षेत्र, जीव विज्ञान का क्षेत्र, शास्त्रीय अनुसंधान का क्षेत्र आदि। बीज, पौधे एवं कृषि से सम्बन्धित अन्य वस्तुओं से जुड़े हुए तकनीकी ज्ञान अधिकारों को स्वीकार करने से हमारी (तथा तृतीय विश्व के देशों की) कृषि समाप्त हो जाएगी। उपरोक्त वस्तुओं के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश से हमारे लघु तथा कुटीर उद्योग समाप्त हो जाएंगे और बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगारी बढ़ेगी। प्रोडक्ट पेटेंट की व्यवस्था तथा उसका संरक्षण 20 साल तक उपलब्ध रहेगा यह प्रावधान हमारे लिये अति घातक है। उत्पादन की हमारी प्रक्रियाओं के आधार पर नये अनुसंधान करने वाले हमारे तकनीकी विशेषज्ञों के प्रगति के सभी द्वार बन्द हो जाएंगे। दवाइयों के क्षेत्र में हमारा उत्पादन समाप्त हो जाएगा, सब दवाइयां- जीवन संरक्षक दवाइयां भी विदेशों से मंगवानी पड़ेगी, उनका आयात हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा, दवाइयों की कीमतें आसमान को छू जाएंगी और लाखों गरीबों को दवाइयों के अभाव में अपनी जान खोनी पड़ेगी।

हमारे यहाँ के तथाकथित प्राथमिक बीजों को विदेशी अपने देश में ले जाएँगे, उनको वहीं अपनी प्रयोगशालाओं में 'संस्कारित' करेंगे, उनका 'प्रोडक्ट पेटेंट' होने के कारण, भेजा हुआ वह बीज उन्होंने तय किये हुए रेट पर खरीदने के

लिए हमारे किसान बाध्य हो जाएंगे, हालाँकि हमारे किसान सब तरह के बीजों का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं और हमारी प्रयोगशालाएँ उनको अधिकतम 'संस्कारित' करने की क्षमता रखती हैं। रासायनिक खादों की भी यही बात है भारत का कृषि अनुसंधान समाप्त हो जाएगा। प्राणी सृष्टि, वनस्पति सृष्टि तथा जीवसृष्टि का भी पेटेंट उन्होंने ले लिया तो हमारी कितनी दुर्दशा होगी?

अगर भारत के वैज्ञानिक किसी वस्तु को बदले हुए प्रोसेस के आधार पर पैदा कर लेते हैं तो उस पर भी रोक और उस प्रोसेस पर भी रोक जिस प्रोसेस को उन्होंने अपनी प्रतिभा से निकाला। प्रोडक्ट और प्रोसेस पर रोक लगाने का मतलब होगा हमारे विचारवानों के दिमाग को सील कर देना। उनको इस बात का अवसर नहीं होगा कि वे नई खोज, नये आविष्कार करें।

प्रोडक्ट पेटेंट के विषय में (अन्न, केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स के क्षेत्र में) हमें 09.09.2003 तक रियायत दी गई है। यह घोषणा भी भ्रांति पैदा करने वाली है। सन् 2003 में जिन लोगों ने पेटेंट का अधिकार प्राप्त कर लेना है, उन्हें ऐसे पेटेंट के लिए निवेदन पत्र भरने का अधिकार अगले वर्ष से ही प्राप्त होगा। इसका परिणाम क्या होगा? जो वस्तुएँ सन् 2003 में पेटेंट का विषय बनेंगी उनके क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास विभाग चलाने की मूर्खता कौन उद्योग करेगा? प्रत्यक्ष में डंकेल प्रस्तावों के कारण हमारी अनुसंधान की क्षमता भी अनुपयुक्त हो जाएगी और हम वैज्ञानिक क्षेत्र में भी गुलाम बन जाएंगे।

टेक्सटाइल तथा कृषि के क्षेत्र में डंकेल प्रस्ताव लाभदायक हैं यह दलील भी झूठ है। उद्योगों के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेशकों को देशी पूँजी निवेशकों के

स्तर पर लाने से देशी उद्योगों को धक्का लगेगा। अमेरिका खुद के उद्योगों को विशेष संरक्षण दे रही है और हमें बता रही है कि हमने 'मुक्त द्वार' नीति को स्वीकार करना चाहिए। विदेशियों के Equity Participation पर कोई रोक नहीं रहेगी। उनके किसी भी पूँजी निवेश पर कोई भी रोक नहीं रहेगी। स्थानीय कच्चा माल, स्थानीय अर्द्धनिर्मित माल देशी बाजार से ही खरीदना विदशियों के लिए अनिवार्य नहीं रहेगा। वे बाहर से विदेशी कच्चा माल तथा विदेशी कर्मचारियों को भारत में लाकर यहाँ उत्पादन प्रारम्भ कर सकेंगे।

अभी तक हमारे कानूनों में यह अनिवार्यता है कि विदेशी कम्पनियाँ भारत में जो उद्योग लगाएंगी, उनके उत्पादन का कुछ परसेन्टेज निर्यात के लिए उपलब्ध कराएगी। विदेशों को निर्यात करेंगी, ताकि विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। अब यह निर्यात की अनिवार्यता भी उनके ऊपर लागू नहीं होगी। स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी कल-कारखाने, स्वदेशी गुणवत्ता तथा स्वदेशी श्रम शक्ति के लिए डंकेल प्रस्तावों के कारण घातक खतरा पैदा हुआ है।

अमेरिका स्वयं अपने किसानों को कृषि माल के निर्यात के लिए करोड़ों डॉलर्स की सब्सिडी दे रहा है। किन्तु हमारे देश के किसानों को रासायनिक खादों को तथा सीमान्त किसानों को भी सब्सिडी नहीं देनी चाहिये, यह डंकेल का हमें आदेश है। सब्सिडी पर रोक लगने से औद्योगिक तथा कृषि माल के उत्पादन को बड़ा धक्का लगेगा। सब्सिडी के अभाव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब लोगों के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी। हमें बताया जा रहा हैं कि अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान व्यापक और खर्चीला है। अनिवार्य लाइसेंस के बारे में भारत अपने कानून बना सकेगा। किन्तु यह भी भ्रांतिपूर्ण बात है। डंकेल प्रस्तावों

में ही अन्यत्र यह व्यवस्था की गई है कि उसके कारण अनिवार्य लाइसेंसिंग के विषय में हमारा अधिकार व्यावहारिक स्तर पर समाप्त हो जाता है।

पेरिस कन्वेशन को स्वीकार किया गया, डंकेल ड्राफ्ट की 28 वीं धारा के अंतर्गत पेटेंट-धाराओं को कुछ नये अधिकार प्रदान किये गये तो अनिवार्य लाइसेंसिंग के क्षेत्र में भारत सरकार का अधिकार समाप्त प्राय: हो जाएगा। विदेशों में निर्मित पेटेंट प्राप्त दवाइयों के लिए कोई अनिवार्य लाइसेंसिंग नहीं रहेगा। उससे उन दवाइयों की कीमतें चाहे जितनी बढ़ सकेगी।

डंकेल के पश्चात भारत सरकार ने आत्म निर्भरता को क्रमांक एक के बजाय क्रमांक पाँच पर लाकर रखा है।

डंकेल की तलवार 108 अविकसित देशों पर लटक रही है। स्पेशल 301 की धमकी देकर अमेरिका किसी को भी ब्लैकमेल कर सकता है। अब तक तृतीय विश्व के देश इस मामले में भारत की ओर देखते थे। अब वे हमसे निराश हुए हैं। डंकेल प्रस्तावों के फलस्वरूप भारत का बजट बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ तय करेंगी, करों में छूट कहाँ देनी, किसी बात पर कितना कम या अधिक खर्चा करना है आदि सब बातें वे ही तय करेंगी। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ ही भारत की सच्ची शासक बनेंगी। भारत सरकार असहाय, प्रेक्षक की भूमिका निभाएगी।

सरकारी नेता आज बहानेबाजी कर रहे हैं। किन्तु यह स्पष्ट है कि जागृत देशभक्त जनमानस का पर्याप्त दबाव सरकार पर नहीं लाया गया तो सरकार राष्ट्र की संप्रभुता की बलि चढ़ाकर विदेशी आर्थिक साम्राज्यवाद के सम्मुख आत्म समर्पण करेगी।

इस मामले में सरकार को सही रास्ता लेने के लिए बाध्य करने की दृष्टि से 'स्वदेशी जागरण मंच' का अभियान चलाया जा रहा है।

******

स्वदेशी बनाम बहुराष्ट्रीय शिकंजा

2-3 अप्रेल, 1994 को पुणे में सम्पन्न, स्वदेशी जागरण मंच की प्रथम राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय श्री दत्तोपंत ठेंगडी का उद्‌बोधन।

स्वदेशी एक बहुआयामी विषय है। इसके कई आयामों पर चर्चा हुई है और कई आयाम अभी चर्चा में नहीं आए हैं। यह बहुत विस्तृत विषय है। इस कार्य में सिर्फ प्रचार माध्यमों के सहारे सफल नहीं हुआ जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर सघन कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यदि देश को कोई संदेश देना है तो उसका आरम्भ स्वयं से किया जाए। यही अपनी परम्परा है। अर्थात् हम स्वदेशी का आरम्भ अपने आप से करें, यह सबकी जिम्मेदारी है।

पिछले दिनों इस दिशा में जो कार्य हुआ और अब जो करने का विचार है, उसमें कुछ अन्तर है। अब तक हम लोगों ने जन-जागरण के माध्यम से प्रशिक्षण देने और स्वदेशी वस्तुओं के बारे में लोगों को बताने का कार्य किया है। अब एक आयाम और हमें इस कार्यक्रम में जोड़ना होगा। वह यह कि थोक वस्तुओं के विक्रेता और क्रेता दोनों से सम्पर्क करके उन्हें स्वदेशी वस्तुएँ बेचने और खरीदने के लिए सहमत करना। साथ ही अब उद्योगपतियों पर जोर डालना होगा कि वे अपनी वस्तुओं की उत्पादन-लागत वस्तु पर लिखकर दें। मेरे विचार से इस कार्य में सभी के सहयोग से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और भी कई संस्थाएँ इस कार्य में सहयोग करना चाहती हैं। सोचना यह है कि धीरे-धीरे किस प्रकार इन संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है।

कई बार पूछा जाता है कि राजनीतिक दलों का इसमें क्या सहयोग रहेगा? मेरे विचार से चूँकि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है, इसलिए हम सभी राजनीतिक दलों के सभी देशभक्त व्यक्तियों का आह्वान करते हैं कि वे इस कार्य में शामिल हों।

हमने अभी शिक्षण की बात कही। आज जो लोग सुशिक्षित हैं उन्हें शिक्षा देने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। और जो अल्पशिक्षित या अशिक्षित हैं उन्हें राष्ट्रीयता, संस्कृति और धर्म के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित करने की आवश्यकता कम है। चूँकि इस समाज के शिक्षित लोग धरातल से कट कर 'लौह कवच' में रहते हैं, कुछ लोग अभिजात्य कॉलोनियों में रहते हैं, उनका सम्पर्क जनसाधारण से नहीं होता है। ये लोग पश्चिमी संस्कृति में पले-पढ़े हैं। ऐसे लोगों को सुशिक्षित करना बहुत कठिन है। जहाँ-जहाँ ऐसे लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो सकते हैं, प्रश्न उठ सकते हैं, उन सबका उत्तर समझ लेने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसे लोग ये सारी बातें समझते हुए भी देश-भक्ति से दूर हैं, इसलिए इनको सुशिक्षित करना बहुत कठिन काम है; लेकिन यह काम करना पड़ेगा। ऐसे लोगों ने ईमानदार लोगों में भी ऐसा दुष्प्रचार कर रखा है जिसे समझना मुश्किल होता है। ऐसे लोग ही इस तरह की बात करते हैं कि विदेशी कम्पनियाँ कहाँ नहीं होती हैं? सभी देशों में विदेशी पूँजी-निवेश होता है, इसका विरोध करने वाले घटिया लोग हैं। किन्तु वास्तव में, हम विदेशी कम्पनियों का विरोध नहीं करते। विकसित देशों में जिस तरह से विदेशी पूँजी-निवेश होता है, वैसा ही पूँजी-निवेश हमारे देश में हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। दो देशों के बीच आपसी बातचीत के समय भी राष्ट्रीय-हितों को ध्यान में रखा जाता है, किन्तु हमारे यहाँ तो समझौता करने वालों ने एकदम आत्मसमर्पण कर दिया है।

कहा जाता है कि हम लोग आधुनिक तकनीक नहीं अपनाना चाहते, भारत को पन्द्रहवीं सदी में ले जाना चाहते हैं। यह बिकुल गलत आरोप है। हमें विदेशी और आधुनिक तकनीक के आगमन पर कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु राष्ट्रीय तकनीक नीति तय होनी चाहिए, जिसमें चार बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए-

1. कौन-सी तकनीक हम वैसी की वैसी ला सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं।

2. कौन-सी तकनीक हम थोड़े हेर-फेर के साथ उपयोग कर सकते हैं।

3. कौन-सी तकनीक पूरी तरह से निरस्त करनी पड़ेगी।

4. किस क्षेत्र में हमें अपनी तकनीक विकसित करनी चाहिए।

किसी के दबाव में आकर झुकने और राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखे बिना समझौतों पर दस्तखत करने की नीति का त्याग करना होगा।

डंकेल के कारण आज कुछ नये विवाद पैदा हो गए हैं। किन्तु विदेशी आर्थिक साम्राज्यवाद की प्रक्रिया तो 1945 में ही शुरू हो गयी थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद जब सभी आंग्ल देशों को बाध्य होकर अपने उपनिवेशों को स्वतंत्रता देनी पड़ी, तब उन्हें पता चला कि उनकी समृद्धि उनके अपने पैरों पर नहीं बल्कि शोषण के आधार पर खड़ी थी। उन्होंने सोचा कि उपनिवेश अब हमारे हाथ से जा रहे हैं। अब यदि शोषण का कोई और मार्ग नहीं ढूँढेंगे तो हमारी अर्थ-व्यवस्था टूट जाएगी। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने अन्य देशों का शोषण करने की योजना बनायी। इसमें विश्व बैंक, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ आदि शामिल थीं। डंकेल तब तक इतने प्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल नहीं था, लेकिन यह सही है कि 1 जनवरी, 1948 को गेट की स्थापना हुई थी।

1973 में अविकसित देशों ने प्रार्थना की कि आपके जितने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम हैं, वे सब हमारे विरुद्ध जाते हैं। इसमें जो विषमता निर्माण करने वाले नियम हैं, उन्हें बदलना चाहिए। 1981 में विकसित देशों ने एकत्र होकर कहा कि

तुम्हारी बात हम मानने को तैयार नहीं है, आज जो व्यवस्था है, वही आगे भी चलती रहेगी। डंकेल के आने के बाद पिछले 4-5 वर्षों में कुछ तकलीफें और बढ़ी हैं। किन्तु गेट के समय में ये तकलीफें इतनी नहीं थीं, तो भी किस तरह से शोषण की प्रक्रिया चल रही थी और विदेशी पूँजी की कार्य शैली और प्रक्रिया क्या है, इसे समझने की आवश्यकता है। हमारे देश में कुछ लोग कहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से गठजोड़ के बाद हमारी कम्पनियाँ उन्नति करेंगी और समृद्धि आ जाएगी। किन्तु इस सम्बध में हम दो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं।

अपने नजदीक के तीन देश हैं- सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान। 1981 में सिंगापुर के अध्यक्ष ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आह्वान किया। उन्हें अपने यहाँ सस्ते मजदूर और सस्ता कच्चा माल उपलब्ध कराया। ध्यान देने योग्य बात है कि इन तीनों देशों में प्रखर राष्ट्र-भक्ति की भावना नहीं थी। और जब समृद्धि आनी शुरू हुई तो सरकारी अधिकारी और नेता आराम-पसन्द हो गए। कुछ दिन तक आर्थिक समृद्धि रही भी। किन्तु जब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का झुकाव इनकी ओर से हटकर मलेशिया और इण्डोनेशिया की ओर होने लगा, तब इन देशों को पछतावा होने लगा। क्योंकि तब तक इनकी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अपने प्रयोग करने की क्षमता मर चुकी थी। चूँकि देश में मजदूरी महंगी हो गयी थी, उत्पादकता घट गयी थी, इस कारण बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भी इन देशों से मोहभंग हो गया। अब इन तीनों देशों में खुद को सम्भाल पाने की क्षमता भी नहीं रही है।

दूसरा उदाहरण कोरिया का है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने वहाँ भी पूंजी-निवेश करने का प्रस्ताव रखा। किन्तु कोरिया सरकार 1976 से 1980 तक इस बिन्दु पर सोचती रही कि विदेशी पूँजी-निवेश के प्रति कैसी नीति अपनायी जाये, इसका लाभ कैसे हो सकता है? 1980 में कोरिया ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से स्पष्ट कह दिया कि हम आपको स्वतंत्रतापूर्वक पूँजी-निवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते। जिस क्षेत्र में हम कहेंगे वहीं यदि आप करने के लिए तैयार हैं तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। कोरिया ने क्षेत्र छाँट लिए और कहा कि इन-इन क्षेत्रों में आप पूँजी-निवेश कर सकते हैं और इन-इन क्षेत्रों में आप कदम भी नहीं रख सकते, जैसे कृषि। यह शर्त भी लगायी कि आप जो उद्योग लगाएँगे, उनमें विज्ञान और तकनीक के हर क्षेत्र में हमारे देश के व्यक्तियों को शामिल करना होगा, ताकि आपके जाने के बाद भी हमारे उद्योग भली भाँति चल सकें। कोरिया ने दृढ़तापूर्वक ये बातें कही और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उसकी बातें माननी पड़ी।

हमारे देश में कुछ लोगों का मत है कि अनुदान के रूप में जो पैसा हमारे पास आता है, वह विशुद्ध हमारे हाथ में आने वाली चीज है। यह अर्द्ध-सत्य है। समाचार पत्र भी अर्द्ध-सत्य ही प्रकाशित करते हैं। एक उदाहरण देखिए- 1991 में विकसित देशों की ओर से विकासशील देशों की ओर 49 बिलियन डॉलर का अनुदान भेजा गया। समाचार-पत्रों ने यह समाचार तो प्रकाशित किया; किन्तु यह नहीं बताया कि उसी दौरान ब्याज आदि के रूप में 147 बिलियन डॉलर विकासशील देशों की ओर से विकसित देशों की ओर गया। 49 बिलियन डॉलर आया और 147 बिलियन डॉलर गया अर्थात् 98 बिलियन डॉलर विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर गया। यह बात समाचार-पत्रों ने नहीं प्रकाशित की।

एक उदाहरण फिलीपीन्स का भी है जिसे हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। वहाँ के राष्ट्रपति मार्कोस ने नाभिकीय संयंत्र लगाने के नाम पर 2 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज लिया। संयंत्र के निर्माण का समय आया तो निविदाएं आमंत्रित की गयीं; किन्तु बुलाया उन्हीं को जो मार्कोस के अपने लोग थे। फिर 85 मिलियन डॉलर का चेक मार्कोस की जेब में से ठेकेदार की जेब में आ गया। धीरे-धीरे वही 85 मिलियन डॉलर का चैक ठेकेदार की जेब से मार्कोस की जेब में आ गया, फलस्वरूप नाभिकीय संयंत्र का निर्माण हुआ ही नहीं और प्रतिदिन 3 लाख 55 हजार डॉलर का ब्याज इस राशि पर फिलीपीन्स को अदा करना पड़ा। बाद में जब मार्कोस को हटाया गया और एक्विनो आयीं तो उन्होंने वैज्ञानिकों को बुलाकर संयंत्र के बारे में विचार-विमर्श किया। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह भूचाल बहुल क्षेत्र है। यहाँ इस प्रकार के संयंत्र लगाने का कोई औचित्य ही नहीं है। वैज्ञानिकों की इस राय के बाद एक्विनों ने संयंत्र लगाने का विचार तो त्याग ही दिया, साथ ही कर्जदाता देश से स्पष्ट कह दिया कि हम कोई कर्ज या ब्याज अदा नहीं करेंगे। यह कर्ज मार्कोस ने लिया था। इसका एक पैसा विकास पर नहीं खर्च हुआ। इसलिए इसे मार्कोस-परिवार से ही वसूला जाये।

आज यही हाल हमारे देश का भी है। विदेशी कर्ज का बहुत भाग खर्च हो रहा है। इसमें से देश के विकास पर कितना खर्च हो रहा है यह देखने का समय है। यह अर्द्ध-सत्य, असत्य से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका अनुभव अनेक स्थानों पर हमें आ सकता है।

लोग कहते हैं कि अर्थशास्त्र और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नया विषय है। किन्तु डॉ० मा० गो० बोकरे ने अपनी पुस्तक 'हिन्दू इकानॉमिक्स' में लिखा है कि यह कोई नया विषय नहीं है। यह वेदकाल में भी था और विदुर नीति में इसका विश्लेषण किया गया है। लोग इसका किस प्रकार पालन करते थे उसका भी एक उदाहरण देखिए-

शिवाजी के समय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत जोर-शोर से चल रहा था। अनेक विदेशी व्यापारी यहाँ आते थे और अलग-अलग राज्यों में अपना व्यापार करते थे। उस काल का वर्णन करते हुए एक पत्र प्रकाशित हुआ है जिसमें एक व्यापारी ने लिखा है कि 'इस देश के बाकि जो सत्ताधारी हैं, वे तो सज्जन हैं। वे तो सब हमारा सीधा संबंध हमारे ग्राहकों से आने देते हैं। उन्हें हम अपना माल बेचते हैं और सीधा दाम वसूलते हैं। लेकिन यहाँ एक ही शासक (शिवाजी) ऐसा है जो अपने प्रजाजनों के साथ मेरा सीधा सम्बन्ध आने ही नहीं देता। वह पहले यह जानकारी लेता है कि उसके राज्य की आवश्यकताएँ क्या हैं। फिर हमसे बातचीत करता है। बातचीत भी वह स्वयं करता है, किसी और को नहीं करने देता। मामला तय हो जाने के बाद शिवाजी रुपयों में कभी हमको दाम नहीं चुकाता, बल्कि उतनी ही कीमत का नारियल और सुपारी हमें खरीदने को कहता है और उस नारियल और सुपारी का दाम भी खुद तय करता है।' यह था हमारे यहाँ का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार।

हमारी सरकार कहती है कि हम डंकेल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो विश्व में अकेले पड़ जाएँगे। वास्तव में हमारे देश का यह विचार कि अमेरीका सर्वशक्तिमान देश है, एकदम गलत है। बहुत बड़ा कर्ज अमेरीका पर है, बहुत

बेरोजगारी बढ़ रही है वहाँ, और भी तमाम समस्याओं से वह घिरा हुआ है। हमारे शोषण की यह प्रक्रिया जिस अमेरीका की ओर से शुरू है वह स्वयं आज पतन की ओर अग्रसर है। और हमें विश्वास है कि इस्वी सन् 2010 से पहले ही अमेरीका का यह साम्राज्यवादी ढाँचा ध्वस्त हो जाएगा।

हमारे सामने कोई निराशाजनक स्थिति आज भी नहीं है। हमारे पास सब है, जनशक्ति है, साधन है, सब कुछ है; बस इच्छाशक्ति नहीं है। यदि राष्ट्रीय इच्छाशक्ति इस स्वदेशी जागरण मंच के प्रयासों से जागृत हो जाती है तो ऐसा दिखेगा कि यह एक सोया हुआ शेर था। लोगों ने सारी व्यवस्था की थी कि भारत नाम का या हिन्दू नाम का जो शेर है, कभी जागृत न हो; लेकिन यह जाग जाता है तो इन सारे लोगों को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। ताकत उनकी नहीं है, ताकत हमारी है। इतना ही है कि हम सोए हुए हैं। जागृत होने का काम हम आने वाले समय में पूरी ताकत से करें, यही अपना लक्ष्य है।

*****

आर्थिक स्वतंत्रता का संग्राम

14, 15 एवं 16 फरवरी, 1997 को हैदराबाद में हुई स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय सभा में राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध की घोषणा की। तत्समय कार्यकर्ताओं को दिये गये मार्गदर्शन का सार।

कोई भी युद्ध दो चरणों में होता है। महाभारत का सुप्रसिद्ध युद्ध कब हुआ यह पूछने पर सर्व सामान्य लोग यही कहेंगे कि जिस दिन कुरुक्षेत्र में पाँडव और कौरव सेनाएं एक-दूसरे के सम्मुख खड़ी हुई तब से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। वास्तव में यह युद्ध का दूसरा चरण था। पहला चरण तभी शुरू हुआ था जब पाँडव और द्रोपदी वनवास में जाने के लिए निकले। पहले चरण में तेरह साल तक आने वाले युद्ध की तैयारी की गई। विभिन्न शस्त्रों का यानी कन्वेंशनल वेपन्स का, अस्त्रों का यानी नॉन कन्वेंशनल वेपन्स का, जैसे- पशुपातास्त्र, ब्रह्मास्त्र उनका संग्रह, विभिन्न राजाओं को, सेनापतियों को, जन साधारण को अपनी ओर लाने का प्रयास, तेरह साल दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी करते रहे। यह युद्ध की तैयारी का पहला चरण था और कुरुक्षेत्र में जो शुरू हुआ वह प्रत्यक्ष युद्ध था।

22 नवम्बर, 1991 में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई। उसी समय सब लोग जानते थे कि युद्ध का पहला चरण शुरू होना है, माने युद्ध की तैयारी। और जब प्रत्यक्ष युद्ध शुरू होगा तब वह दूसरा चरण रहेगा। युद्ध का दूसरा चरण आने तक युद्ध की ज्यादा-से-ज्यादा तैयारी करना, यह प्रयास था। और इस दृष्टि

से स्वदेशी जागरण जिसमें आम जनता को स्वदेशी की संकल्पना आने वाले आर्थिक साम्राज्यवाद की कल्पना, किस तरह उनसे मुकाबला किया जा सकता है इस दृष्टि से उनको जागृत करना, प्रशिक्षित करना। यह युद्ध की तैयारी पहले चरण में करनी थी। ज्यादा-से-ज्यादा शक्ति लगाकर केवल स्वदेशी जागरण मंच ही नहीं अन्य भी कुछ संस्थाएं जैसे बी० के० कैला जी (डॉ० बालकृष्ण कैला) की संस्था है, पेटेंट लॉ के बारे में नैशनल ग्रुप ऑफ वर्किंग कमेटी आदि संस्थाएं सब लोगों के परस्पर सहयोग से यह तैयारी चली। पिछले 13 दिसम्बर को युद्ध का दूसरा चरण शुरू हुआ, माने प्रत्यक्ष युद्ध शुरू हुआ। कौरवों की सेना और पांडवों की सेना एक-दूसरे के सम्मुख 13 दिसम्बर को खड़ी हुई।

हैदराबाद में हमारी प्रतिनिधि सभा होगी ऐसा तय किया गया था। उस समय इतना निश्चित नहीं था कि प्रत्यक्ष युद्ध का प्रारंभ इसी अवधि में होगा। किन्तु अब प्रत्यक्ष युद्ध प्रारम्भ हो चुका है। हम हैदराबाद में प्रतिनिधि सभा में एकत्र हो रहे हैं उसका विशेष सिग्निफिकेंस ये है कि केवल औपचारिकता के नाते जो राष्ट्रीय सभा एकत्रित होती है ऐसी यह सभा नहीं। तो राष्ट्रीय सभा का रूपांतरण, परिवर्तन, युद्ध सभा में हुआ है। प्रत्यक्ष युद्ध जो 13 दिसम्बर को शुरू हुआ उसमें क्या करना है, रणनीति क्या रहे?? तो अभी तक जो हुआ उसका सिंहावलोकन आने वाले युद्ध में क्या रणनीति अपनाई जाए इसके बारे में विचार, इस सभा में करना है इस दृष्टि से यह हैदराबाद की राष्ट्रीय सभा यानी राष्ट्रीय युद्ध सभा ऐसा इसका स्वरूप हो गया है।

पहले चरण में क्या-क्या हुआ उसका संक्षेप में विचार करना है, क्योंकि इसका सारा साहित्य आपके पास है। सारे भाषण आपने सुने हुए हैं। केवल संक्षेप में कहा जाएगा कि स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई उस दिन से कुछ वर्ष तक, एक-दो वर्ष तक सभी लोग स्वदेशी संकल्पना का उपहास करते थे। मुझे स्मरण है कि जब जर्नलिस्ट हमको मिलते थे, इन्टेलेक्चुअल मिलते थे, कुछ प्रोफेशनल छोटे-बड़े इंडस्त्रियलिस्ट लोग मिलते थे जो कहते थे कि "दिस इज आब्स्क्युरेंटिस्ट (obscurantist) - यह सब दकियानूसी है। अरे, दुनिया आगे चल रही है, आप यहाँ स्वदेशी की बात कर रहे हैं- स्वदेशी इज आइसोलिज्म।" हम लोग कहते थे आइसोलिज्म नहीं, वास्तविक जो विश्व कुटुम्ब है वह निर्माण करना - 'न्यू इंटरनैशनल ऑर्डर' यह निर्माण करने का यही रास्ता है। स्वदेशी का माने आइसोलिज्म नहीं है। तो हर देश स्वदेशी स्प्रिट का अवलंबन करें। इसके द्वारा स्टेट फ्रीलांश, स्वावलंबी बने। ऐसे स्वावलंबी देशों का परस्पर सहयोग हो, जागतिक कल्याण के लिए, माहितिक कल्याण के लिए इस तरह जो जागतिक राष्ट्र परिवार निर्माण होंगे वही वसुधैव कुटुंबकम् है। आज का यह ग्लोबलाइजेशन यानी केवल गोरे लोगों की हेगेमॉनी है - वर्चस्व है। तो ग्लोबलाइजेशन इज हेगेमॉनिज्म ऐसा हम कहते थे।

आज परिस्थिति में परिवर्तन है। सब परिवर्तन हमारे ही प्रयत्नों के कारण है ऐसा नहीं। कुछ बाह्य घटनाओं के कारण भी है। लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन है। आज हम जानते हैं कि हमारे आंदोलन को दकियानूसी कहने वाले वही जर्नलिस्ट, इन्टिलेक्चुअल, प्रोफेशनल और छोटे-बड़े इंडस्त्रियलिस्ट भी अब कहने लगे कि आपका कहना सही था। उस समय हम समझ नहीं पाए थे। ये तो सर्वग्रासी आर्थिक साम्राज्यवाद आ रहा है। जिसमें हमारा स्वातंत्र्य हमारी संप्रभुता

समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं हमारे सारे उद्योग विदेशियों के हाथ में जाएंगे, सारी कृषि विदेशियों के हाथ में जाएगी। हिन्दुस्तान के लोगों को क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए ये सारा वाशिंगटन में तय होगा। पूरी तरह से गुलाम, उनकी नीतियों के कारण न केवल भारत के, खासकर तृतीय विश्व के करोड़ों लोग भुखमरी से मर जाएंगे। यह कल्पना अब लोगों को आने लगी है। तो पहले की वृत्ति बदल गई। पहले केवल गरीब लोग हमारी बात समझते थे। गरीब, मजदूर और किसान हमारी बात समझते थे। धीरे-धीरे लघु उद्योग वाले भी हमारी बात समझने लगे। आज जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं उनमें से थोड़े अपवाद छोड़ दें, बाकि लोग हमारी बात समझ रहे हैं कि यह स्वातंत्र्य, संप्रभुता और हमारे देश की प्रगति के लिए बाधक, आर्थिक साम्राज्यवाद आ रहा है।

तो केवल हमारे कारण, हम ऐसा नहीं कहते किन्तु कुछ हमारा प्रचार कुछ बाकी बातें हैं जिसके कारण स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना के समय देश में जो सायकॉलोजी थी और जो आज है उसमें अंतर है, ये पहली बात है। दूसरी बात, स्वदेशी का आन्दोलन शुरू हुआ उस समय सभी लोगों को, जर्नलिस्ट और बाकी सभी लोगों को यह विश्वास करना बड़ा कठिन होता था कि स्वदेशी जागरण मंच, यह गैर-राजनीतिक आन्दोलन है, दलगत राजनीति में नहीं। हम कहते थे कि राष्ट्रनीति का सर्कल विशाल है, उसके अंतर्गत एक छोटा-सा क्षेत्र राजनीति का आता है। राजनीति का काम पॉलिटिकल पार्टी की तरह है, किन्तु हम राष्ट्रनीति का काम कर रहे हैं, इसलिए नॉन पॉलिटिकल है। अभी तक लोगों का जो अनुभव था कि नई संस्थाएं निर्माण होती है। शुरू में अपने को नॉन पॉलिटिकल कहलाती है, बाद में पता चलता है कि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते ये काम कर रही है।

स्वदेशी जागरण मंच भी ऐसा ही होगा, ऐसा लोगों को लगता था। इसमें लोगों का दोष नहीं, अनुभव के आधार पर दस बार गरम दूध पीने से जिसके होंठ जल गए हैं वो ग्यारहवें बार ठंडा छाछ भी सामने आता है तो उसको भी फूँक कर पीता है। स्वाभाविक है, इसमें दोष की बात नहीं। लेकिन जब काम शुरू हुआ लोगों को आश्चर्य हुआ कि हम केवल राष्ट्रहित का विचार करते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का विचार नहीं कर रहे। पार्टी कोई भी हो, देशहित का काम करेगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। देश के विरोध में जाने वाला काम करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। यह भी अनुभव के आधार पर लोगों ने देखा।

उड़ीसा में बीजू पटनायक के खिलाफ पॉवर सेक्टर में विदेशियों को एंट्री देने के प्रयास के कारण उनका विरोध, कोर्जेंट्रिक्स के कारण कर्नाटक में जनता दल के शासन का विरोध, महाराष्ट्र में एनरॉन के कारण शिवसेना, भाजपा सरकार का विरोध, केन्द्र में कांग्रेस सरकार नरसिंह राव की ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर जनता को गुमराह करते हुए और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हुए, देश को बेचने का जो षड्यंत्र चल रहा है उसके कारण कांग्रेस सरकार का विरोध। अलग-अलग जगह राष्ट्र हित के आधार पर आन्दोलन करने के कारण पहली जो धारणा थी कि यह वास्तव में नॉन पॉलिटिकल है या नहीं, तो यह भ्रान्ति भी दूर हो गई और इसके कारण स्वदेशी के मंच पर विभिन्न दलों के लोग, राजनीति में एक दूसरे को गाली देना जिनका खुलाचार है, ऐसे लोग भी, स्वदेशी के मंच पर एकत्रित होने लगे। इतना ही नहीं, स्वदेशी के कारण क्योंकि स्वदेशाभिमान केवल एक ही पार्टी की चिंता नहीं है - मोनोपोली नहीं है। विभिन्न दलों में देशभक्त हैं, देशद्रोही भी हो सकते

हैं, तो विभिन्न दलों के देशभक्त लोग एक मंच पर आ सकते हैं, इसके कारण मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंटेरिअन का जो एक ग्रुप बना, उस ग्रुप में भी अलग-अलग दलों के नेता एकत्रित हुए। सबकी पार्टी का नाम लेने में मैं समय नहीं बिताना चाहता। अलग-अलग लोग जो हमेशा एक-दूसरे के खिलाफ ही बात करते हैं ऐसे पार्टियों के सांसद उस ग्रुप में एकत्रित हुए। इतना ही नहीं, यह जो पार्लिमेंटेरिअन का ग्रुप था उन्होंने स्वदेशी के नाते, रणनीति के नाते, यह सोचा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्वदेशी का क्या है? इस दृष्टि से उन्होंने एमपी'ज की अंतर्राष्ट्रीय कॉंफ्रेंस बुलाई और जिसमें 17 देशों के विभिन्न प्रतिनिधि उपस्थित हुए। तो विदेशियों में भी खासकर तृतीय विश्व के देशों में स्वदेशी के पक्षधर लोगों के साथ संपर्क, कम्युनिकेशन प्रस्थापित करना यह भी काम इस पार्लिमेंटेरिअन ग्रुप ने शुरू किया। तो इस तरह से स्वदेशी का विस्तार होता गया। यह हमारे ध्यान में आ गया। हमारे देश में स्वदेशी का प्रभाव बढ़ता गया इतनी ही बात नहीं, जो साम्राज्यवादी देश हैं उनके समाने स्पष्ट कल्पना थी कि रणक्षेत्र कैसे रहेगा, दो शिविर कैसे रहेंगे? वो जानते थे कि नॉदर्न कैंप और साउदर्न कैंप। दो कैंपों में विश्व का बंटवारा होने वाला है। नॉदर्न कैंप में वो गोरे देश हैं, जो पूर्व साम्राज्यवादी हैं, जिनको विकसित देश कहा जाता है, वो अमेरीका है, यूरोप के देश है, जो साम्राज्यवादी नहीं लेकिन गोरे है उनके सभी देश और फिर अंतर्राष्ट्रीय फाइनःेन्शियल कारपोरेशन्स, मल्टीनैशनल्स, वर्ल्ड बैंक, इंटरनैशनल मोनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी फाइनेन्शियल आर्गनाइजेशन्स ये सब और जब हम गोरे देशों का नाम लेते हैं तो स्पष्टीकरण आवश्यक है। हम अमेरीका के सख्त खिलाफ हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन इसके कारण मिसअन्डरस्टेन्डिंग नहीं होनी चाहिए। हम सर्व-साधारण अमेरीकन के

खिलाफ नहीं। वो बेचारा उतना ही इनोसेन्ट है, जितना हम हैं। फिर हम किसके खिलाफ हैं, तो अमेरीका में हो या गोरे देशों में सरकारों और विदेशी पूँजी, इनकी जो सांठ-गांठ हैं, उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। तो यह मिसअन्डरस्टेन्डिंग नहीं होनी चाहिए कि हम संपूर्ण जनता के खिलाफ है। पूंजीपति और सरकार इनके खिलाफ हम बात कर रहे हैं। तो उत्तरी देश हैं और जो साम्राज्यवादी देशों के उपनिवेश के नाते हैं, जिनको साउदर्न देश कहा जाता है, नव स्वतंत्र देश कहा जाता है, विभिन्न नाम जिनके हैं। ये साउदर्न क्या, उधर नॉदर्न क्या? ऐसी सेनाएं एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी हो सकती है- अंदाजा उनको पहले से ही था।

जो युद्ध हो रहा है, वह विश्व युद्ध है, यह समझने की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि विश्व युद्ध है तो लोग कहते हैं कि यहाँ अस्त्र-शस्त्र तो दिखते नहीं। ऐसा है कि पहले दो महायुद्ध 1914 और 1934 में जो लड़े गए, वो मिलिट्री शस्त्रों से लड़े गए। ये तीसरा महायुद्ध पहले से तय किया गया कि आर्थिक शस्त्रों से लड़ा जाएगा, किन्तु है तीसरा विश्व युद्ध। और विश्व दो हिस्सों में बँटा हुआ है। हम जब कहते थे तो लोग कहते थे कि यह सब फैन्टास्टिक है, कल्पना रंजन मात्र है। फिर हम कहते थे कि 15 अगस्त, 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली, खंडित भारत ही क्यों न हो, स्वतंत्रता मिली। किन्तु यह केवल भौगोलिक दृष्टि से ही खंडित था ऐसा नहीं, यह फंक्शनल दृष्टि से भी खंडित था। राजनैतिक स्वतंत्रता मिली, किन्तु आर्थिक स्वतंत्रता अधूरी है और आर्थिक दृष्टि से हमें गुलाम करने का पूरा प्रयास गोरे देश कर रहे हैं। इसलिए दूसरा स्वतंत्रता संग्राम हमको करना पड़ेगा। ऐसा जब हम कहते थे तो लोग कहते थे- अरे! क्या बात कर रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्युशन है, हमारी

सरकार है, हम अपनी नीतियाँ तय कर सकते हैं, स्वातंत्र्य संग्राम की आवश्यकता क्या है? फैन्टास्टिक। आज लोगों के ध्यान में आ रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध के अंतर्गत भारत का दूसरा स्वातंत्र्य संग्राम शुरू हो रहा है। तो स्वदेशी की दृष्टि से लोगों की मिसअन्डरस्टेन्डिंग में बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है ये बीच के कालखंड में।

ठीक इसी अवधि में गोरे देशों और विदेशी पूंजीपतियों की चाल क्या थी कि दुनिया के सभी देशों की जनता को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं के बारे में अंधेरे में रखना। खासकर तृतीय विश्व के देशों को जो गोरे नहीं हैं, ऐसे देशों के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं से अलग रखना। वो समझ ही नहीं सकें कि क्या हो रहा है। उनको इसी में उलझाना कि तुम्हारे यहाँ मंत्री कौन रहेगा, प्रधानमंत्री कौन रहेगा और उधर सभी देशों के राज्यकर्ताओं को खरीदना। ये जिम्मेदारी के साथ मैं शद्ब प्रयोग कर रहा हूँ - 'टू परचेज द रूलर्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज' और फिर यदि देश, अमेरीका के लिए अनुकूल रास्ते पर नहीं आता, तो उनको वहाँ से हटाने की कोशिश। लोकतंत्र होगा तो बैलेट के माध्यम से, लोकतंत्र नहीं होगा तो बुलेट के माध्यम से, खून-खराबे से, अमेरीका के लिए प्रतिकूल, विरोधी राज्यकर्त्ताओं को खत्म करना। ये दूसरी बात; और फिर ऐसे खरीदे गए राज्यकर्त्ताओं के साथ ऊपर ही ऊपर, गोरे देशों के लिए अनुकूल ऐसे समझौते पर उनके हस्ताक्षर लेना। वो जो समझौते होंगे, उनको पूरी तरह से पब्लिश नहीं करना। उसमें जो हिस्सा थोड़ा अच्छा दिखने वाला है- मीठा-मीठा गप-गप, गुड़ी-गुड़ी टप। उतना ही पहले पब्लिश करना। जब क्रियान्वयन शुरू होगा और लोगों को जब अखरेगा कि अरे! यह क्या हो रहा है? तो उनको इतना अकस्मात लगेगा, क्योंकि अभी तक अंधेरे में रखा गया है

कि आकाश से कुल्हाड़ी आ रही है, इसका क्या प्रतिकार करें। वह कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे और प्रतिकार नहीं करेंगे ऐसी अवस्था में लोगों को पकड़ना ये सारी उनकी रणनीति पहले से तय थी। उन्होंने राज्यकर्त्ताओं को खरीदा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे राज्यकर्त्ताओं को भी उन्होंने खरीदा।

उनको यह कल्पना नहीं थी कि यह सारा होने के लिए जो समय लगता है, उसके बीच में उन्होंने अंधेरे में रखने का कितना भी प्रयास किया तो भी, खासकर तृतीय विश्व के जो देशभक्त नागरिक हैं, उनको पता चल सकता है कि किस तरह उनको आर्थिक गुलामी में धकेला जा सकता है। वे जागृत हो सकते हैं- लोगों को जागृत करने का प्रयास कर सकते हैं। प्रशिक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं और जब हम आकाश की कुल्हाड़ी उन पर डालेंगे तब तक वह सावधान रह सकते हैं। ये कल्पना भी उनको नहीं थी। उन्होंने समझा कि राज्यकर्त्ताओं को खरीद लिया तो फिर जनता तो पर्चेज हो ही जाएगी, लेकिन समय पर ऐसा नहीं हुआ। चीन और जापान में जागृति पहले से थी, किंतु अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उन्हें अमेरिका के सामने झुकना पड़ता था। किंतु जल्दी ही ऐसी स्थिति आ गई कि पहले ऐसा था कि अमेरिका घर आने लगे तो चीन और जापान दुम दबाते थे, आज वह स्थिति नहीं है, बराबरी के नाते बात करते हैं। तृतीय विश्व के हर देश में देशभक्तों का एक वर्ग निर्माण हुआ जो स्वदेशी जागरण का पुरस्कर्ता है और स्वदेशी की भावना कुछ देशों में कम कुछ देशों में अधिक, किंतु यह स्वदेशी लोबी तृतीय विश्व के सभी देशों में तैयार हो चली है। यूरोप के लोगों के बारे में अमेरिका को यह भरोसा था कि यूरोप के सब देश तो हमारे साथ ही है। हम जो कहे, वो करते जाएंगे और वैसा ही हुआ। किंतु बीच में कुछ घटनाएँ हुई। राजकर्त्ताओं से समझौते करना,

नीचे क्या होता है, लोगों को बताना नहीं। अकस्मात लोगों को ऊपर से कुल्हाड़ी लगे।

ऐसा यूरोप में भी हुआ, अमेरीका में भी हुआ। यूरोपियन यूनियन के देशों के किसानों और कृषि के बारे में लोगों को अंधेरे में रखकर समझौता किया। पहले से बताया नहीं। गुड़ी-गुड़ी टप, मीठा-मीठा गप-गप बताया। जब इसका क्रियान्वयन शुरू हुआ तब पता चला। बारह देशों के किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया और माँग की कि हमारी सरकारों ने इस समझौते पर जो हस्ताक्षर किया है वह हस्ताक्षर विड्रा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दुनिया के इतिहास में यह पहला प्रसंग है जब जनता ने कहा कि आपका समझौते पर हुआ हस्ताक्षर वापस होना चाहिए। 'नॉर्थ अमेरीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट'- इसका जो समझौता हुआ। जिस एग्रीमेंट को 'नाफ्टा' बोलते हैं।

मैक्सिको, कनाडा एवं अमेरीका यानी उत्तरी अमेरीका के तीनों देश थे ऐसे एग्रीमेंट में। लेकिन जब वह पता चला तो, मैक्सिको के लोग सोफिस्टिकेटिड नहीं हैं, वो राइफल लेकर खड़े हुए। हालांकि सेना को लाकर दबाया गया। कनाडा के लोगों को जब पता चला प्रत्यक्ष क्रियान्वयन के समय, पहले उनको अंधेरे में रखा गया था, तो प्रचंड जन-जागरण हुआ, स्वदेशी जन-जागरण हुआ। नतीजा यह हुआ कि उसके बाद जो इलेक्शन आया उस इलेक्शन में जिस रूलिन्ग पार्टी ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था- 'इट वाज राउटेड' सिर्फ दो मेंबर उनके पार्लियामेंट में आ सके और जो नया प्रधानमंत्री आया उसने पहला पत्र यूनाईटेड स्टेट्स के प्रेसीडेंट क्लिंटन साहब को लिखा कि हम जानते हैं कि पुरानी सरकार की कमिटमेंट का सम्मान करना चाहिए नई सरकार को,

किन्तु हमारी पुरानी सरकार ने जिस एग्रीमेंट पर- 'नाफ्टा' पर हस्ताक्षर किया वो इतना 'अनफेयर' है कि उसको मानना ही संभव नहीं। तो उसने पत्र लिखा कि 'कनाडा डिमान्ड्स री-निगोशिएशन ऑन द एग्रीमेंट।' उसी एग्रीमेंट पर हमारा फिर से निगोशिएशन होना चाहिए। मैं यह कह सकता हूँ कि ऐसा भी कहने का मौका दुनिया के इतिहास में पहली बार आया। और प्रॉपर अमेरीका की क्या बात हुई? सामान्यत: अमेरिकन नागरिक हमारे जैसा इनोसेंट है। उन लोगों के ऊपर सरकार और 'पूंजीपति षडयंत्र रचते रहते है। तो ध्यान में आया कि 'नाफ्टा' हमारे गरीबों के खिलाफ है तो वहाँ के मजदूरों व गरीब किसानों ने विरोध किया। वहाँ के गरीब किसानों की परिभाषा हमसे भिन्न है। किंतु मज़दूर किसानों ने विरोध किया और सबसे बड़ा विरोध वहाँ के ग्राहक पंचायत के अध्यक्ष - मिस्टर नादिर! उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। तो उन्हें लगा कि उनके घर में ही उनके खिलाफ एक आवाज उठाई जा रही है। ये सारी घटनाएँ इसी पीरियड में हुई। जागतिक जागरण विभिन्न देशों में अधिक प्रमाण में हुआ। इन षड्यंत्रकारी हरामखोर लोगों के खिलाफ जगह-जगह हुआ। यह पिछले दिनों का इतिहास है।

अब इस दृष्टि से देखा जाए तो 22 नवम्बर, 1991 में जो युद्ध की तैयारी का प्रारम्भ का दिन था तब से 14 दिसम्बर, 1996 तक कई बातें ऐसी हुई हैं जिसका सिंहावलोकन इस युद्ध सभा में हैदराबाद के स्वदेशी जागरण मंच ने किया है। जो हमारा काम हैं उसका सारार्थ बताना आवश्यक नहीं।

अब दूसरी जिम्मेदारी 13 दिसम्बर को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सिंगापुर के सम्मेलन में बार-बार यह घोषणा करने के बावजूद कि हम अमेरीका के सामने

कभी घुटने टेकेंगे नहीं, उनके दबाव में नहीं आएंगे। बारह तारीख सुबह तक यह घोषणा की गई कि हम किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। क्या चमत्कार हुआ, पता नहीं। 13 तारीख को हमारी सरकार ने घुटने टेक दिए।

और तब से यह युद्ध, प्रत्यक्ष युद्ध शुरू हुआ। सिंगापुर के बारे में भी बहुत सी जानकारी है, मैं उसको दुहराना नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इसमें यह योजना है कि पांच-छ: साल की अवधि में हमारा स्वातंत्र्य जाएगा। सारे उद्योग, कृषि उनके हाथ में जाएगी, वो कहेंगे वही खाना पड़ेगा, वो कहेंगे वही कपड़ा पहनना पड़ेगा। फिर से हम गुलाम पूरी तरह से। ब्रिटिश साम्राज्य में थे उससे भी अधिक बुरी अवस्था में हम गुलाम हो जाएंगे। इस पर हमारी सरकार ने हस्ताक्षर किया। तब से वह कुरुक्षेत्र शुरू हुआ है यह हमें समझाना चाहिए। अब हमारे सामने आगे की बात है कि युद्ध तो शुरू हो गया, इसके सारे डिटेल यहाँ बताने की आवश्यकता है। समझ नहीं है कि क्या रणनीति अपनानी चाहिये। तो इस तरह अध्ययन करें हम लोग कि इससे पहले भी तो विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमण का मुकाबला कब हम लोग सफलतापूर्वक कर सके, कब हमें आक्रमण का मुकाबला करने में असफलता प्राप्त हुई। यदि हम विदेशी आक्रमण को रोक न सके तो कारण क्या था। यह अध्ययन इस समय आवश्यक है और इस दृष्टि से सर्व-साधारण ख्याल रखें कि हमारी सेना प्रबल रही तो हम विजयी हो गए यह एक मात्र कन्सःीडरेशन बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, ऐसा इतिहास ने हमें बताया है। हमारी सेना प्रबल है। वास्तव में आज की स्थिति उल्टी है। एक तरफ सारे विकसित देशों की, गोरे देशों की सरकारें, उन्हीं के साथ सारे विदेशी देशों की पूंजी अलग-अलग नामों से। तो संपूर्ण विदेशी पूंजी और सम्पूर्ण गोरे लोगों की साम्राज्यवादी सरकारें एक तरफ और

दूसरे तरफ हम साउदर्न तृतीय विश्व के नव स्वतंत्र ऐसे देश कि जिनको अभी अपने उत्थान की प्रक्रिया शुरू ही करनी थी। ऐसे हम लोग साधन विहीन दक्षिण, संपूर्ण साधन संपन्न साम्राज्यवादी लोगों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकते हैं। कई थे अपने उदारहण। साधन संपन्न औरंगजेब तब दक्षिण में आए, तो जिनके पास एक इंच तक की स्वराज्य की भूमि नहीं थी, इतनी सेना भी नहीं थी, राजा नहीं था। सत्रह साल तक गुरिल्ला वारफेयर चलाते रहे। निर्णायक राजा, सेना, सेनापति के अभाव में गुरिल्ला वारफेयर चलाते रहे और आखिर में ऐसे देशभक्त लोगों ने इतने साल तक लड़ाई के बाद जो औरंगजेब दक्षिण में यह प्रतिज्ञा लेकर आया था कि हम हिन्दवी स्वराज की कब्र वहाँ रखेंगे, उसकी कब्र दफन हुई और वह दिल्ली वापस न जा सका। देशभक्त लोगों ने किया। साधन विहीन! एक नाम याद और आया। अमेरीका को गर्व था कि हमारे पास शस्त्र-अस्त्र है, पैसा है, वियतनाम छोटा देश है, क्या कर सकेगा? दस साल तक कोशिश की। छोटा-सा देश, न उतने शस्त्रास्त्र, न पैसा, न कुछ। किन्तु लगातार लड़ते रहे। साधन-संपन्न अमेरीका को शर्म के साथ, लज्जा के साथ वापस जाना पड़ा। देशभक्त वियतनामी लोगों की विजय हुई तो केवल सिद्धीत्व ही है, उपकरण में नहीं है, शस्त्रास्त्र में व साधनों में नहीं है, (क्रियासिद्धी: सत्वे भवति महतां नोपकरणे। -पंचतंत्र) ऐसी देशभक्ति जागृत हुई तो वे जो राक्षसी लोग हैं, मैं राक्षसी हैवानी शद्व प्रयोग जानबूझ कर करता हूँ। कभी-कभी हमारे भाषण में हरामखोर शद्व आता है, लोग कहते है, साहब ये अनपार्लियामेंट्री है, मैंने कहा ये ठीक है। लेकिन इनका योग्य वर्णन करना हो तो इससे कम गंदा शद्व शद्वकोश में नही। इसलिए इन शद्वों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ यह वास्तव में दुष्ट लोग है, हरामखोर है, दुनिया को खाकर हम मजे में कैसे रह सकते हैं, हमारा

कन्ज्युमेरिज्म कैसे चल सकता है, यह सोचने वाले हैं। तो इन देशों के खिलाफ हम साधनविहीन होते हुए भी देशभक्ति के आधार पर लड़ सकते हैं। यह दृढ़ सत्य है। किन्तु हमारी शक्ति बढ़ रही है, बढ़ेगी इनमें शक नहीं। तृतीय विश्व के जो भी लोग हैं, जैसे चीन और जापान की शक्ति बढ़ गई। अब वो पहले के जैसे गुर्राने से डरते नहीं। बाकी देश भी बढ़ गए। वहाँ स्वदेशी लौ भी बढ़ रही है, शक्ति में। किन्तु इतिहास हमें बताता है कि केवल अपने सैनिक की शक्ति बढ़ने से कुछ नहीं होता। वो एक मोर्चा है, हमारी शक्ति रहे। लेकिन हर लड़ाई जो हम हार गए विदेशियों के सामने उसमें दूसरा मोर्चा उधर हमने ख्याल नहीं किया था। वह कौन-सा मोर्चा था? वह अंदरूनी मोर्चा था। हम जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान हार गए। सैनिक की शक्ति कम नहीं थी, कई बार मुहम्मद गौरी को परास्त किया था और अंतिम लड़ाई में भी मुहम्मद गौरी की सैन्य शक्ति की तुलना में पृथ्वीराज चौहान की सैनिक शक्ति ज्यादा थी। क्यों हार गये?

दूसरा मोर्चा नहीं संभाला, जयचंद निर्माण हुआ और जयचंद की अपने घर की गद्दारी के कारण पृथ्वीराज हार गए। सन् 1757 में प्लासी की लड़ाई जिसके कारण बहुत कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन हुए। 23 जून, 1757 की इस लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की सैन्य शक्ति क्लाइव की तुलना में बहुत ज्यादा थी। तुलना नहीं थी। लड़ाई की जब शुरुआत होगी तो क्लाइव डरता था कि हम क्या इसके सामने खड़े हो सकते हैं? लेकिन शक्ति वाला सिराजुद्दौला हार गया, क्लाइव की जीत हुई।

सैनिक की शक्ति के कारण नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही भीतरघात की योजना बनाई थी। उनका एक सेनापति मीरजाफर सेना का बड़ा हिस्सा लेकर जब अपने मालिक को छोड़कर क्लाइव के साथ चला गया, इसके कारण लड़ाई हार गए। सैनिक शक्ति में कमी नहीं थी। आंध्र के लोग तो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, बोबली का स्वातंत्र्य संग्राम संपूर्ण आंध्र में प्रसिद्ध है। उसके पूर्व कथाएं भी चलती है। राजा रंगाराव बहुत प्रबल था। उसके राज्य पर फ्रेंच जनरल रेजीडेंट बुश की नजर थी, हिम्मत नहीं थी कि रंगाराव को हाथ लगाए। किन्तु इतना प्रबल होते हुए भी बुश ने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर उसको पराजित नहीं किया उसके साथ में उन्होंने हैदर जंग को अपने साथ मिलाया था। दोनों की संयुक्त सैनिक शक्ति भी रंगाराव की सैनिक शक्ति के सामने कम थी। किन्तु वह हार क्यों गया, भीतरघात। उनके ही बहनोई विजयराव राजू शत्रु में शामिल हुए। अंदर की बात शत्रु सैनिक को बताई। भीतरघात के कारण लड़ाई में हमारी पराजय हुई। तो जहाँ-जहाँ हमारी पराजय हुई उसका कारण यह है कि एक मोर्चा संभालने के लिए तो हम दक्ष रहते हैं, दूसरे मोर्चों की तरफ ख्याल नहीं देते, इसलिए हमारी पराजय होती है। अब पहला मोर्चा बलवान था, हमने उतना काम किया बहुत उसमें यश भी प्राप्त हुआ। अभी वह जारी रहेगा। क्योंकि सैनिक शक्ति तो अपनी बढ़ानी है। सैनिक की शक्ति का मतलब है कि जन-जागरण की शक्ति। वो काम जारी रहेगा। अभी तक जबकि प्रत्यक्ष युद्ध की शुरुआत नहीं थी, दूसरे मोर्चे की तरफ ध्यान देना, सबके ध्यान में लाना। ध्यान तो था, इतना आवश्यक नहीं था।

अब ये दूसरा चरण शुरू होता है। इसमें केवल मल्टीनैशनल, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आई०एम०एफ० गोरे देशों की सरकारें, इनके विरोध पर

कितने देश अपनी ताकत खरी कर सकते हैं। इतना ही देखकर काम नहीं चलेगा। इनका साथ देने वाले, जिनको इन्होंने खरीदा है, ये उनके दलाल, ये एजेंट जो बड़े-बड़े उद्योगपति हों, जो बड़े नेता भी बन चुके हों, ऐसे कौन से लोग है जो जयचंद का काम कर रहे हैं, विजयराव राजू का काम कर रहे हैं, मीर जाफर का काम कर रहे हैं और इधर बड़े शान से भी आश्वस्त है। लोगों को बताना है कि अंदरूनी, किस तरह से ये लोग गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों की खोज करने के बाद नया मोर्चा संभालने की दृष्टि से ऐसे लोगों को उचित दंड देना, उनका अलगाव करना याने दूसरा मोर्चा संभालना।

अब तक जागरण का किया काम ठीक-ठाक तो चलेगा, किन्तु अब केवल जागरण से चलेगा नहीं। ये जो जयचंद, मीर जाफर, विजयराव राजू हैं इनका बंदोबस्त कैसे होगा यह देखना चाहिए। यह बात ठीक है कि केवल अफवाह के आधार पर न हो, केवल कानाफूसी के आधार पर न हो। सबूतों के आधार पर कौन-कौन देशद्रोही हैं, कौन-कौन खरीदा गया है, ये पहले स्थापित होना चाहिए। किन्तु एक बार सबूतों के आधार पर निश्चय होने के पश्चात फिर कैसे दंड देना चाहिए, दूसरा विचार का विषय है। हमारे यहाँ तो ऐसा कहा गया है कि बिल्कुल प्राथमिक है 'धिक दंड।' धिक्कार। जनता के द्वारा धिक्कार। और अंतिम क्या है तो मौत की सजा अंतिम सजा है। आज उस समय तक जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धिक दंड से, धिक्कार से उनको समाज बहिष्कृत किया जा सकता है। लेकिन आपके वक्तव्य आने से, भाषणों से मानने वाले ये लोग नहीं हैं। निर्लज्ज हैं, बेशर्म हैं। कुछ उनके ऊपर असर नहीं है। कुछ न कुछ दंड देना चाहिए और इस दृष्टि से सोचना पड़ेगा। अभी हमारे राष्ट्रीय युद्ध

सभा की बैठक चल रही है। उसमें सोचा जाएगा कि किस प्रकार का दंड दिया जा सकता है।

अब यह स्पष्ट हुआ कि युद्ध के पहले चरण में जो आवश्यक बात थी जागरण तो चलाना है, तो उतना पर्याप्त नहीं है। तो क्या है अगला चरण? सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक बहिष्कार इसका क्या असर हो सकता है? ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है? और ऐसे जो गद्दार लोग चाहे वह सेक्रेटरी रहे, नौकरशाह यानी ऑफिसर रहे, नेता लोग रहें, राज्यकर्ता रहें, उनके ऊपर सामाजिक, आर्थिक बहिष्कार डालना कहाँ तक योग्य है, कहाँ तक संभव है और सामाजिक, आर्थिक बहिष्कार का क्या मतलब होता है। ऐसा जो आदमी है, उससे समाज में संबंध ही नहीं रखना है। उनके यहाँ जाना-आना बंद करिए। उनके यहाँ कोई समारोह हो, चाहे विवाह हो या शव यात्रा हो, जनता नहीं जाएगी। हम अपने यहाँ विवाह और शव यात्रा के लिए नहीं बुलाएंगे। उनके साथ लेन-देन नहीं। उनके साथ बातचीत नहीं। हर तरह से आर्थिक, सामाजिक बहिष्कार। इसकी क्या-क्या संभावनाएं हैं, क्या-क्या उपयोग हैं, कितना इससे हो सकता हैं? किन्तु इस कदम पर विचार करना पड़ेगा तो दूसरे चरण का प्रारंभ, रणनीति का, इस विचार से होगा। प्रत्यक्ष में क्या होगा, क्या नहीं इस पर बारी-बारी से विचार करेंगे। लेकिन इस रणनीति से होगा कि गद्दार लोगों की पहचान करते हुए उनका अलगाव करना, उनके साथ बहिष्कार करना, इस पर विचार हैदराबाद की राष्ट्रीय युद्ध सभा में कल होगा। जो परिणाम होगा वो आपके सामने आएगा। तो इस तरह से रणनीति पर विचार। तो अब तक पहले चरण में जो कुछ हुआ युद्ध की तैयारी के नाते उसका सिंहावलोकन। युद्ध 13 दिसम्बर को शुरू होने के पश्चात और जो आगे की रणनीति तय करनी है, उस रणनीति के बारे

में विचार। यह सारा हैदराबाद में हो रहा है, इसके कारण हैदराबाद की यह बहुत ऐतिहासिक महत्व की हमारी मीटिंग है, ऐसा मैं समझता हूँ। यहाँ सारे कार्य में निर्णायक मोड़ आ रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। और हैदराबाद की भूमि ऐसी है कि ऐसे महान् देशभक्ति के युद्ध के लिए सभी को प्रेरणा देने वाली यह भूमि है। स्वातंत्र्य संग्राम के जिस समय यहाँ निजाम का राज्य था, सब तरह की बातें यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं। वहाँ भाग्यनगर को, हैदराबाद को केन्द्र बनाकर देशभक्त लोगों ने यहाँ सत्याग्रह शुरू किया था जिसका नाम भाग्यनगर सत्याग्रह था। यह स्वातंत्र्य संग्राम विशुद्ध देशभक्ति का स्वातंत्र्य संग्राम है। विशुद्ध संग्राम की अगली दिशा तय करने के लिए हम यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ की प्रेरणा लेकर एवं आप लोग अपने-अपने कार्य क्षेत्र में जाएं, सद्भाव हमारे साथ है इस विश्वास के कारण हम अगले कार्य की दिशा तय करने में सफल होंगे।

इस आशा के साथ और आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, मैं भाषण पूरा करता हूँ।

****

विजय सुनिश्चित

14, 15 व 16 नवम्बर, 1997 को वाराणसी में सम्पन्न स्वदेशी जागरण मंच के तृतीय अखिल भारतीय सम्मेलन में राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी का कालजयी मार्गदर्शन अविकल रूप में प्रस्तुत है।

भाषण का प्रारम्भ करने से पूर्व, दो-तीन बातों का उल्लेख करना आवश्यक लगता है। पूर्व वक्ताओं के भाषण में एक बात डॉ० मनमोहन सिंह के बारे में आई। डॉ० मनमोहन सिंह उचित विचार करने वालों में से थे। महाथिर मोहम्मद की पहल पर जो साऊथ कमीशन का निर्माण हुआ, उसके तंजानिया के राष्ट्रपति डॉ० जूलियस न्येरेरे अध्यक्ष थे, उसके सेक्रेटरी जनरल डॉ० मनमोहन सिंह थे। उनको बताया गया था कि पश्चिम का आर्थिक-औद्योगिक आक्रमण कैसे हो रहा है इसका विश्लेषण करना, इसके विषय में क्या करना, क्या नहीं करना, उपाय योजना बताना। डॉ० मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, वह प्रकाशित हुआ इसका टाइटल है- 'चैलेन्ज टू दी साऊथ' और यह 'डॉक्यूमेन्ट' हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शक है। स्वदेशी जागरण मंच की दिशा और इस डॉक्यूमेंट की दिशा एक ही है, उपाय योजना जो इस डॉक्यूमेंट में बताई है वह आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। 'साऊथ-साऊथ कॉ-आपरेशन' माने गौरे-देशों के खिलाफ दक्षिणी देशों को आपस में आर्थिक-औद्योगिक सहयोग करना चाहिए। एक आदर्श दस्तावेज इनके वैचारिक नेतृत्व में तैयार हुआ उनको हम कहें कि ये उचित विचार नहीं करते यह ठीक नहीं होगा, लेकिन उनके लिए एक मजबूरी है। अंग्रेजी में एक डिजीज होती है, उसका नाम है-

'ऐमनेशिया'। एमनेशिया का मतलब होता है कि सब कुछ भूल जाना। आदमी को जब 'ऐमनेशिया' होता है तो वह भूल ही जाता है कि मेरा नाम क्या है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ कुछ नहीं, सब विस्मरण होता है।

जैसे ही उन्होंने अर्थ मंत्रीत्व का दायित्व ग्रहण किया, शपथ ग्रहण की, उनको खटाक से 'ऐमनेशिया' हो गया और तब तक जो कुछ विश्व में बोला था, वो सब भूल गये इस ऐमनेशिया के कारण। उनके गलत कदम हम देख रहे हैं इसमें उनका दोष नहीं है, इस ऐमनेशिया का दोष है।

गाँधीजी के बारे में भी विषय आया, 1943 में गाँधीजी ने स्वयं स्पष्टीकरण दिया था। उन्होंने लिखा कि पण्डित जवाहर लाल जैसा मानते है कि मैं पश्चिम के औद्योगिकरण के विरोध में केवल इसलिये हूँ कि सोशलिज्म सरकार वहाँ चलती है, ऐसा नहीं है। गाँधीजी ने कहा कि "मैं केवल सोशलिज्म का विरोध करता हूँ, ऐसा नहीं है, 'माई ऑब्जेक्ट टू वेस्टर्न इण्डस्त्रीयलिज्म इट शैल्फ', जो पश्चिमी औद्योगिकरण है उसी का मैं विरोध कर रहा हूँ। सोशलिज्म, कैपिटेलिज्म वगैरह की बात नहीं है।" चीन के प्रतिनिधि को उन्होंने यह स्पष्टीकरण दिया था।

अभी बाबू गेनू का उल्लेख आया। स्वदेशी का विचार देने वाले बहुत सारे श्रेष्ठ लोग हो गये, यह वाराणसी जिनकी कर्म भूमि रही, पं० मदन मोहन मालवीय जी उनमें से एक श्रेष्ठ पुरुष रहे, बहुत सारे रहे। पिछली शताद्बी से वासुदेव बलवंत फड़के से लेकर आज तक सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने स्वदेशी का पुरस्कार किया, किन्तु यह संयोग की बात है कि स्वदेशी के लिए प्रत्यक्ष आत्म बलिदान करने वाला एक कुली था, मजदूर था; अंग्रेजी कपड़ों की लॉरी मील से बाहर आ रही थी उसको रोकने के लिए लोग उस लॉरी के सामने सो गये थे। पुलिस

उनको वहाँ से उठा रही थी, ऐसे में बाबू गेनू लॉरी के सामने आया और हटने से इंकार किया, उठने से इंकार किया, वहाँ जो भारतीय ड्राइवर था, उसने गाड़ी चलाने से इंकार किया तो पुलिस ऑफिसर स्वयं ड्राईविंग सीट पर बैठा, उसने बाबू गेनू के शरीर पर से यह लॉरी चलाई, विदेशी कपड़े की, जिससे उसकी शहादत हुई, वह हुतात्मा हुआ। स्वदेशी मूवमेंट के लिए प्रत्यक्ष हौतात्मय स्वीकार करने वाला यह एक उदाहरण है, इस दृष्टि से स्वदेशी जागरण मंच 12 दिसम्बर को, स्वदेशी दिवस, बाबू गेनू दिवस मनाता है।

स्वदेशी जागरण मंच का निर्माण तो 22 नवम्बर, 1991 में हुआ, किन्तु भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के दबाव के कारण, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात, पूर्व साम्राज्यवादी देशों को परिस्थितियों के दबाव के कारण अपने उपनिवेशों को स्वराज्य देना पड़ा, स्वातन्त्र्य देना पड़ा। उन सभी उपनिवेशों में अब स्वदेशी भावना का जागरण हो सकता है, इसका अन्दाजा पूर्व साम्राज्यवादी देशों को था; उनको यह भी पता था कि उनकी जो ऊपर से दिखने वाली समृद्धि है, वह समृद्धि अपने खुद के पेरों पर खड़ी नहीं थी, उपनिवेशों का तरह-तरह से शोषण करके वो देश अपनी समृद्धि बढ़ा रहे थे।

उपनिवेश हाथ से खिसक जाएंगे, शोषण नहीं करने देंगे, कौन-सा स्वाभिमानी राष्ट्र बर्दाश्त करेगा अपना शोषण, तो फिर जो पूर्व साम्राज्यवादी गौरे देश हैं उनकी ही अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी यह वो समझ रहे थे, इसलिए जून 1945 से, तभी से उनके विचारकों ने यह विचार करना शुरू किया कि स्वातंत्र्य तो देना पड़ेगा, लेकिन उनका शोषण भी तो करना होगा, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी; किन्तु यदि हम शोषण करते है, इसका आभास सभी

नव स्वतंत्र देशों के, विकसनशील देशों के, स्वाभिमानी राष्ट्रभक्तों को हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो कैसे उनको गुमराह करना? जैसे लार्ड मेकाले के बारे में हम कहते हैं कि भारत के लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने नयी शिक्षा प्रणाली और बाकी सब थ्योरी वगैरह बनाई और अपने पिताजी को पत्र लिखते हुए कहा कि 'मुझे बहुत आनन्द होता है कि इतनी थोड़ी अवधि में, मैं ऐसे भारतीय निर्माण करने में सफल हो गया हूँ कि जिनकी चमड़ी तो काली है, लेकिन मन से जो ब्रिटिश हो गये हैं ऐसे लोगों का मैं निर्माण कर सका, इस बात की प्रसन्नता प्रकट की।' उसी तरह से लगातार प्रचार का परिणाम ऐसा हुआ कि सभी नव स्वतंत्र देशों में, विकासशील देशों में एक हीनता का भाव निर्माण हुआ कि हम अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो सकते। विदेशों का निवेश, विदेशों की टेक्नोलोजी, विदेशों का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होगा तो हम कैसे जिन्दा रहेंगे ऐसा प्रचार। तो 1945 से ऐसा प्रचार करना, इसकी योजना की गई। डॉ० गोयबल्स ने कहा था कि किसी भी झूठ बात को सौ बार दोहराओ तो वह सच हो जाती है और एक कदम आगे जाकर हिटलर ने कहा था कि 'झूठ ही बोलना है तो मामूली झूठ मत बोलो, ... इतना बड़ा झूठ बोलो कि सामान्य आदमी सोच ही नहीं सकेगा कि इतनी बड़ी झूठ बात बोली जा सकती है।'

तो 1945 से सोच-विचार करके तरह-तरह की गलत बातें देश में प्रचारित की गई कि आप अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो सकते, हमारा पैसा, हमारा निवेश, हमारी टेक्नोलोजी, हमारा मार्गदर्शन, इतना प्रचार किया कि इंग्लिश एज्युकेटेड लोगों के मन पर इसका बहुत असर हुआ और इसके कारण मैं यदि कहूँ कि अन्य नव स्वतंत्र देशों के साथ भारत में भी स्वदेशी भावना का विरोध करने

वाला प्रचार 1945 से शुरू हुआ और स्वदेशी का विशेष रूप से प्रचार करने वाला स्वदेशी जागरण मंच 1991 में निर्माण हुआ, तो 1991 में निर्माण हुए स्वदेशी जागरण मंच का विरोधी प्रचार 1945 से चल रहा था। इसके कारण हमें जो कठिनाई हुई होगी उसका अन्दाजा आप प्रबुद्ध लोग कर सकते हैं। जिस समय स्वदेशी जागरण मंच की घोषणा हुई, उस समय सारा बताया गया था कि विदेशी आर्थिक साम्राज्यवाद आ रहा है, उससे देश को बचाना है, आर्थिक गुलामी से देश को बचाना है, यह बात आई और साथ ही साथ और एक बात आई थी, उसका विश्लेषण यहाँ आवश्यक नहीं। पुन: स्मरण के लिए आपको थोड़ा बताता हूँ, उसी समय हमने यह बात कही थी कि स्वदेशी जागरण मंच यह चाहता है कि हर एक वस्तु का उत्पादन खर्चा घोषित होना ही चाहिये, ऐसा कानून आना चाहिये। इसके कारण पूँजीपति, चाहे विदेशी हो, देशी हो, उपभोक्ताओं का, ग्राहकों का शोषण नहीं कर सकेंगे। यह बात पहले ही कही गई, पहली ही मीटिंग में कही गई, यह बात ध्यान में रखने लायक है।

किन्तु जब स्वदेशी जागरण मंच का निर्माण हुआ तो चारों ओर से इसका उपहास हुआ, चारों ओर से। मुझे स्मरण है कि स्वदेशी जागरण मंच का हमारा प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन सन् 1993 में दिल्ली में हुआ। जस्टिस वी० आर० कृष्ण अय्यर ने उद्घाटन किया, उद्घाटन से पूर्व जब प्रेस के लोग मिले तो सभी खिल्ली उड़ाते थे कि 'स्वदेशी! आज जब सारी दुनिया एक हो गई है, आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं। आइसोलेशन हो जाएगा और फिर अभी तो 21 वीं शताद्बी का मुकाबला करना है, आप स्वदेशी की बात बोलकर 'यू ओनली पुट द क्लॉक बेक' (You only put the clock back) देश को 15 वीं शताद्बी में ले जाना चाहते हैं, वगैरह-वगैरह। अब जो जवाब देना था, दिया। उसका महत्व नहीं

है, लेकिन महत्व की बात यह है कि तब से लेकर आज तक, जिन्होंने उपहास किया था, खिल्ली उड़ाई थी, उनमें से लगभग सभी लोगों से हमारी मुलाकात होती है, वो हमारा अभिनन्दन करते हैं कि आपने इतना पहले कैसे भाँप लिया था कि आक्रमण हो रहा है, हमको अन्दाजा नहीं था। इसका कारण केवल हमारा काम है, ऐसा मैं नहीं कहता, इसका कारण केवल हमारा प्रचार है, ऐसा हम नहीं कहते, जो कुछ घटनाएँ, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई उसके कारण हम लोग जो बात कहते थे और जो बातें उपहासजनक मालूम होती थी, वो सही है ऐसा सबके ख्याल में आ जाता है। धीरे-धीरे स्वदेशी के अनुकूल ऐसा वातावरण निर्माण होता है।

स्वदेशी का उपहास करने वाले, विरोध करने वाले, तरह-तरह के लोग, एक तो ऐसे लोग है जो पहले से विदेशियों द्वारा खरीदे गये हैं। अभी हम भाषा प्रयोग करते हैं कि हमारे राज्यकर्त्ताओं ने गलत नीतियाँ अपनाई, वास्तव में ये कोई अज्ञान के कारण गलत नीतियाँ अपना रहे ऐसा नहीं है। आप हर दिन समाचार-पत्र पढ़ते हैं, आपको अन्दाजा हो सकता है कि किस तरह निगोशिएशन के लिए जाने वाले हमारे मिनिस्टर, हमारे सेक्रेटरी, हमारे प्रवक्ता किस तरह खरीदे गये हैं। यह आपको ध्यान में आ सकता है और कुछ लोग विदेशी प्रचार के प्रभाव में आ गये। 'आप अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं?' जब तक हमारी पूँजी, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा मार्गदर्शन नहीं होगा तो आप अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो सकते, तो कुछ लोग इनके प्रचार के चक्कर में आ गये, इसके कारण वो देशभक्त होते हुए भी स्वदेशी का विरोध कर रहे या उपहास कर रहे हैं और बाकी जनता को कुछ मालूम भी नहीं है।

आज, जैसा मैंने कहा कि जो प्रेस के लोग मिलते थे, उस समय उपहास करने वाले, आज हम लोगों का अभिनन्दन कर रहे हैं, लेकिन शुरू में जब हमने स्वदेशी की बात बताई उस समय सब ऐसा ही समझते थे कि मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, सब इनका ही विषय है, विदेशी पूँजी यहाँ आ जाएगी, विदेशी आर्थिक साम्राज्य यहाँ आता है, तो हमारा तो आर्थिक नुकसान होने वाला नहीं, तो गरीब लोगों का होगा, हम काहे के लिए इसकी चिन्ता करें। लेकिन धीरे-धीरे, जो लघु उद्योग चलाने वाले लोग थे उनको भी ध्यान में आया कि यदि विदेशी पूँजी यहाँ आती है तो हमारा नाश होगा, लघु उद्योग और उद्योगपति समाप्त हो जाएगें, उनको भी ध्यान में आया वो भी समर्थन करने लगे। विभिन्न राजनैतिक दलों के लोग जो स्वदेशी के बारे में सोचना पसन्द नहीं करते हैं उनके भी ध्यान में आया कि स्वदेशी की भावना का ऐसा प्रचार हो रहा है कि अब इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, इसका विरोध नहीं किया जा सकता, मन में रहे या न रहे, लेकिन जैसे श्रुति-श्रुति पुराणोक्त फल प्राप्तम, वैसे स्वदेशी के सम्बन्ध में कुछ वक्तव्य, कुछ लिखकर, कुछ प्रस्ताव पास करना चाहिये। यह सभी राजनैतिक दलों के मन में आने लगा, यह भी एक हुआ। अब दूसरा ये जो बड़े पूँजीपति हैं, टाटा-बिरला की श्रेणी के, वो पहले ऐसा समझते थे कि विदेशी पूँजी आएगी तो हमारा क्या बिगड़ेगा, लेकिन उनको भी ध्यान में आने लगा, वो भी अब सरकार से माँग करने लगे कि विदेशी पूँजी से, आपको हमें संरक्षण देना चाहिए, तो परिस्थितियाँ ऐसी आयी, घटनाएँ ऐसी हुई, जिसके कारण अधिकाधिक लोगों को, जो पहले बात कही गई थी 1991 वें में, उसकी सत्यता अधिकाधिक लोगों को जचने लगी और इसके कारण स्वदेशी का विचार बढ़ने लगा।

स्वदेशी जागरण मंच, यह एक वैचारिक आन्दोलन है और हमारा ऐसा आग्रह नहीं है कि स्वदेशी के लिए काम करने वाले और विदेशी पूँजी के खिलाफ काम करने वाले सभी लोग हमारे ही छाते के, हमारे ही अम्ब्रेला के नीचे आने चाहिये, ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। हम समझते हैं कि यह जो विदेशी पूँजी और विदेशी सरकारे हैं, इनकी जो सांठ-गांठ है, इस सांठ-गांठ का विरोध करना बहुत कठिन है, एक बहुत बड़ी ताकत है, इनकी तुलना में हम सब गरीब है, 'रावण रथी विरथि रघुवीरा' इस तरह की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में एक दम सारे एक छाते के अन्तर्गत आकर काम करे, ऐसी हमारी अपेक्षा नहीं है। तो जैसे, जब शत्रु सेना बहुत प्रबल रहती है और विरोध करने वाले लोग उतनी शक्ति नहीं रखते, तो वो मैदानी लड़ाई 'पिच्ड बेटल' (Pitched Battle) आमने-सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते बहुत देर तक, वो छापामार लड़ाई लड़ते हैं, गुरिल्ला वार से लड़ते हैं।

अलग-अलग गुरिल्ला ग्रुप, अलग-अलग स्थान पर रहते हैं। कोई केन्द्रीय मार्गदर्शन ऐसा उनका नहीं रहता, 'एक शिथिल सहयोग परस्पर उनका रहता है, सबका उद्देश्य एक, परस्पर शिथिल सहयोग, किन्तु अपने-अपने बेस (Base) से, अपने-अपने स्थान पर जहाँ-जहाँ शत्रु सेना का शिविर होगा वहाँ छापा डालना, जितना सामान उनका लूट सकते लूट लेना, जितने सिपाही मार सकते हैं मार देना, ऐसी छापामार लड़ाई, जैसे गुरिल्ला वार प्रेक्टिस चलाते हैं, वैसे ही यह जो आर्थिक युद्ध है, इस युद्ध में अलग-अलग शक्तियाँ, अपने-अपने स्थान पर इसी तरह यह छापामार लड़ाई चलाए, जब तक हम मैदानी लड़ाई की अवस्था में नहीं आते। तो एक छाते के अन्तर्गत सब हो ऐसा आग्रह नहीं, लेकिन सब लोगों

ने एक विचार और एक ध्येय रखना चाहिये, इस तरह की विचार प्रणाली, यह प्रारम्भ से रही।

अब, स्वदेशी को विचार के नाते मान्यता तो प्राप्त हुई, यह बात है तो भी इसके कारण यद्यपि स्वदेशी के पक्ष में तर्क देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं रही। जितनी 6-7 वर्ष पहले थी, फैक्ट्स एण्ड फिगर देना बड़ा कठिन था। जो घटनाएँ हुई है वह जनता के सामने आई है इसके कारण सब सावधान हो गये। पहले जो बोलना पड़ता था कि क्या होगा क्या नहीं? वह सब बोलने की आवश्यकता अब नहीं है और विशेष रूप से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो घटनाएँ हुई, जो घटनाक्रम रहा, वह सबकी आँखें खोलने वाला था। इन्होंने जब सोचा, जब मैं अमेरिका का उल्लेख करता हूँ कृपा करके ऐसा मत समझिये कि हम अमेरिका की जनता के खिलाफ है, नहीं! अमेरिका का सर्व साधारण नागरिक उतना ही निष्पाप है जितने हम निष्पाप हैं, उतने ही अज्ञानी हैं जितने हम अज्ञानी हैं। हम जब अमेरिका का उल्लेख करते हैं या विकसित देशों का उल्लेख करते हैं तो हमारा मतलब होता है युनाइटेड स्टेट और अन्य गोरे पूर्व साम्राज्यवादी विकसित देश, उनकी सरकारें और उनके फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यानि वित्तीय संस्थाएँ, पूँजीवादी वित्तीय संस्थाएँ इनकी जो सांठ-गांठ है, नेक्सस है, नेक्सस बिटविन रूलर्स एण्ड दी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ दी डवलप कंट्रीज, इनकी जो सांठ-गांठ है इसका हम विरोध कर रहे हैं, विकसित देशों के नागरिकों का हम विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, हम सोचते है कि हमको पता नहीं है, उनको भी पता नहीं है कि उन पर शासन करने वाले राज्यकर्त्ता और ये फाइनेंशियल कॉरपोरेशन मिलकर क्या पाप कर्म कर रहे हैं, इसका उनको भी पता नहीं। इसलिए हम जनता का विरोध नहीं

कर रहे हैं, ये जो नेक्सस है, साँठ- गाँठ हैं, पूँजी और विकसित देशों के शासन की, उसका हम विरोध कर रहे हैं।

उनका विचार यह था, वो जानते थे कि कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि अपना शोषण हो। इसलिए 1945 से ही यह विचार चला कन्सिसटेंट (consistent) - सुसंगत विचार चला कि नव स्वतंत्र देशों में ऐसे आदमी को या पार्टी को शासन में आने देना या लाना जो अमेरिका के लिए या विकसित देशों के लिए अनुकूल रहेगा, जो अपनी जनता को अंधेरे में रखकर, अपनी जनता के साथ गद्दारी करते हुए और पूर्व साम्राज्यवादी गौरे देशों को अपनी जनता का शोषण करने का पूरा अवसर देगा।

ऐसा ही व्यक्ति या ऐसी ही पार्टी पॉवर में आनी चाहिए। मतपेटी के द्वारा आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर खून-खराबे के द्वारा भी लाना चाहिए, जैसे चिली में राष्ट्रपति अलेण्डे (Salvador Allende) का हुआ तो अपने लिये अनुकूल राज्यकर्त्ताओं को लाना यह रणनीति का एक बिन्दू है। दूसरा बिन्दु, इन सब देशों की सामान्य जनता को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं के विषय में पूर्ण अंधेरे में रखना, उनको पता ही न चले, उनको इसी उधेड़बुन में रखना कि पॉलिटिकल क्या चल रहा है, कौन चीफ मिनिस्टर, कौन प्राइम मिनिस्टर है, किस नेता ने दूसरे नेता की कैसे टाँग खींची है, इसी बात में उनको उलझाये हुए रखना और फिर जनता को अंधेरे में रखकर, राज्यकर्त्ताओं से एग्रीमेंट्स करना, एग्रीमेंट्स पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं करना, तो मीठा-मीठा गप-गप, जितना ऐसा मीठा पोर्शन होगा उतना ही प्रकाशित करना, कोई विरोध नहीं करेगा। जब क्रियान्वयन शुरू होता है तब लोग एकदम समझेंगे कि आसमान से कुल्हाड़ी

गिरी है, अब क्या करें? वो तो बिल्कुल असमंजस में आ जाएंगे और हम आगे बढ़ सकेंगे, ऐसी रणनीति उन्होंने पहले से बनाई, किन्तु उनके दुर्भाग्य से यह सारा सफल नहीं हो सका। दो बड़े एग्रीमेन्ट्स ऐसे जो उन्होंने किये थे, एक तो यूरोपीयन कॉलोनी के 12 देशों के साथ किसान और खेती के बारे में किया था। ऐसा ही किया, 12 देशों की सरकारें अमेरिका के अनुकूल हो गई थी और जब प्रकाशित किया समाचार पत्रों में, टी० वी० में, उतना पोर्शन प्रकाशित किया जो अच्छा था। किसी ने विरोध नहीं किया। जब क्रियान्वयन शुरू हुआ तो 12 यूरोपीयन देशों के किसानों को पता चला कि यह तो हमारे पर आघात हो रहा है, वहाँ बड़ा असंतोष पैदा हुआ, फ्राँस में 'फ्रांस बंद' का कार्यक्रम हुआ और यूरोपीयन देशों के किसानों ने माँग की कि 'हमारी सरकारों ने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वह हस्ताक्षर वापस लेना चाहिए।' इसलिए यह आंदोलन हुआ। मैं समझता हूँ कि दुनिया के इतिहास में यह पहला ही उदाहरण है कि समझौते पर सरकार ने हस्ताक्षर करने के बाद यह माँग आ जाए कि वह हस्ताक्षर वापस लेना चाहिए। ऐसे ही 'नार्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट' 'नाफ्था' मेक्सिको, युनाइटेड स्टेट, केनेडा को लेकर हुआ, तुरन्त ही उसका कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रकाशित हुआ तो मीठा-मीठा गप-गप ऐसा ही प्रकाशित हुआ। अब क्रियान्वयन होने लगा तब पता चला, तो मेक्सिको के किसान हाथ में राइफल लेकर विद्रोह के लिए खड़े हो गये। सेना लाकर उनको दबाया गया, कुचल दिया गया, वह अलग बात है। केनेडा में घोर असंतोष हुआ और उसी समय चुनाव आने के कारण जिस रूलिंग पार्टी ने, शासक दल ने हस्ताक्षर किया था 'नाफ्ता' पर, उस रूलिंग पार्टी को चुनाव में केवल दो सीटें मिली और जो विरोधी दल के नेता थे वे प्राइम मिनिस्टर बने। प्राइम मिनिस्टर ने

पहला पत्र मिस्टर क्लिंटन को लिखा, कहा कि हम जानते हैं कि दो सुसभ्य देशों की यह कन्वेंशन है, संकेत है कि पूर्व सरकारों ने जो समझौते किये होंगे, कमिटमेंट्स किये होंगे उनका पालन करना चाहिये, हम जानते हैं, तो भी ये जो 'नाफ्ता' पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किये हैं, यह इतना स्पष्ट रूप से अन्याय कारक है, तो मैं इस पर 'री-निगोशिएशन' की माँग करता हूँ। 'आय डिमांड री-निगोशिएशन ऑन दिस।' मैं समझता हूँ कि दुनिया के इतिहास में यह भी पहला ही उदाहरण है, जब हो चुके ऐसे समझौते के बारे में री-निगोशिएशन की डिमांड आती है। धीरे-धीरे लोग जागृत होने लगे, जिस समय 'गेट' की टेबल पर विकसित देशों ने विकसनशील देशों तथा अविकसित देशों को दबोचना शुरू किया तो उस समय बाकी देशों ने भारत को प्रार्थना की कि आप बड़े हैं, आप हमारा नेतृत्व कीजिये, ये गौरे देश जो हमको हड़पना चाहते हैं, आपके नेतृत्व में हम काम करेंगे। भारत ने इंकार किया। भारत ने इंकार क्यों किया? आप समाचार-पत्र पढ़कर समझ सकते हैं जो-जो बातें हो रही हैं, आप समझ रहे होंगे, क्यों इंकार किया गया होगा? जो पैसा खाता है, वो जिससे पैसा लेता है उसके सामने उसका सिर झुक जाता है, आँखें झुक जाती हैं। मैं 'फुल सेंस ऑफ रेस्पोन्सिब्लिटि', पूर्ण जिम्मेदारी की भावना के साथ मैं कहता हूँ कि क्या हमारे राज्यकर्त्ता और क्या किंग मेकर, खरीदे गये हैं। यह कहना जरा अन-पार्लियामेंट्री लगेगा, 'बट दिस इज ए फैक्ट' ये खरीदे गये हैं और विदेशी पूँजी के हाथ बहुत लम्बे हैं, वो किसी को भी खरीद सकते हैं। माने केवल स्वदेशी का विचार किया, तो हम पार्टी वाइज विचार, ऐसा विचार नहीं कर रहे। कोई पार्टी का रहे न रहे। पॉलिटिकल रहे, नॉन-पॉलिटिकल रहे। हम दो ही पार्टियाँ समझते थे, एक पार्टी में ऐसे लोग हैं जो इतने कट्टर

राष्ट्रभक्त हैं कि जिनको कोई खरीद नहीं सकता, दूसरी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो खरीदे जा सकते हैं। ये दो ही हमारे सामने हैं।

महाथिर मोहम्मद ने इसमें पहल की और सभी विकसनशील देशों में यह भावना जागृत होने लगी। उनका जो आखिरी प्रयास था वो पिछले 3-4 नवम्बर को कुआलालम्पुर में जो जी-15 की काँफ्रेंस हुई उसमें प्रकट हुआ है। उनकी पहल पर यह काँफ्रेंस हुई। 15 विकासशील देश उसमें उपस्थित थे और उसमें जो प्रस्ताव पारित किया गया और उनका जो भाषण है, वास्तव में स्वदेशी जागरण मंच उनके विचार से, भावना से पूर्ण रूप से सहमत है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 'वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन', हालाँकि यह बात स्वदेशी जागरण मंच ने पहले से ही कही थी कि 'वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन' यह एक सुपर गवर्नमेंट बनने जा रही है और अमेरिका उसके माध्यम से बाकी देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता, 'सौवेरनिटि' हनन करना चाहती है। पहले से ही स्वदेशी जागरण मंच ने कहा था, अब इसमें महाथिर मोहम्मद के भाषण में और जी-15 के काँन्फ्रेंस के प्रस्ताव में स्पष्ट आया है कि 'वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन' आज जिस तरह से काम कर रही है, वह ठीक नहीं है। 'उन्होंने कई बातें लिखी हैं, यह नहीं होना चाहिये, वो नहीं होना चाहिये। कुल मिलाकर संक्षेप में मतलब यह है कि विकसित देशों को कोई भी 'फेवरड ट्रीटमेंट' न रहे, विकासशील देशों को दबोचने का कार्यक्रम न रहे, सब समान 'इक्वल फुटिंग' पर होने चाहिए, सबको समान अधिकार होने चाहिए, ऐसा यदि नहीं होता तो फिर विकसनशील देशों के लिए बाध्य हो जाएगा कि उन्होंने 'वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन' के बाहर आना चाहिये। ऐसा स्पष्ट उसमें कहा गया; स्वदेशी जागरण मंच इन विचारों से पूर्ण रूप से सहमत है। तो यहाँ भी इस तरह का विचार विकसनशील देशों में आ

रहा है और बहुत बड़ी भारी सम्भावना है, 'वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन' के अन्तर्गत रहना, नहीं रहना ये इन्टेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी इस पर विवाद कर सकते हैं, किन्तु ये विवाद जो हो रहा है, उसका कारण केवल इन्टेलेक्चुअल आर्ग्युमेंट्स नहीं है, इसका कारण और है, इस पर बाद में मैं आने वाला हूँ, लेकिन ये हम समझ लें कि विकसनशील देश, डब्ल्यु० टी० ओ० के अंतर्गत रहे या बाहर रहे, सभी विकसनशील देश मिलकर एक गुट तैयार हो, यह प्रक्रिया शुरू हो गई, बढ़ने वाली है। हम भी इसको समर्थन देते हैं, हम लोगों का भी एक कॉ-ऑर्डिनेशन सभी विकासशील देशों का रहे, ऐसा प्रयत्न पहले से रहा है।

यह प्रयास प्रारम्भ करने वाले, हमारे यहाँ से प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति, हमारे बी० के० कैला जी, जिन्होंने कई वर्षों से यह प्रयास शुरू किया है कि किस प्रकार से विकसनशील देशों को, और अधिक इक्कट्ठा लाया जाये, संगठित किया जाऐ।

तो इस तरह से जो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ थी, उनका जो विचार था कि बाकी लोगों के सावधान होने से पहले ही 'सरप्राइज अटैक', सब देशों पर करना और फिर उनकी स्वतंत्रता, उनकी सम्प्रभुता, उनके उद्योग, उनकी कृषि सब कुछ उनसे हड़प लेना, यह उद्देश्य सफल होने में अब कुछ बाधायें आने लगी हैं। इसलिए वे और भी 'डेस्परेट' होकर प्रयास कर रहे हैं। यह दूसरी बात है, लेकिन उनका जो मूल 'प्लान' था, वह सफल नहीं हो रहा, इसके कारण अपने ही देश के ऐसे लोग जो स्वदेशी की भावना से सहमत नहीं थे, उनके भी विचारों में परिवर्तन होने लगा है, वो भी अब समझने लगे है, उनको आर्ग्युमेंट देने की अब आवश्यकता नहीं है। मैं भी यहाँ फैक्ट्स, फिगर्स,

स्टेटिस्टिक्स, आर्ग्युमेंट यह देने की आवश्यकता नहीं समझता, वो समझ रहे हैं कि वास्तव में स्वदेशी ही एक ठीक मार्ग है, किन्तु वो सब अपने साथ आयेंगे क्या? और जब तक साथ नहीं आते है तब तक हम अपनी सरकार पर दबाव नहीं डाल सकते। लोकतंत्र में सरकार पर दबाव डालना, सरकार ने सही रास्ते पर आना चाहिये इसके लिए दबाव डालना, इसका एकमात्र उपाय यह होता है- 'लोक जागरण'। तो उन लोगों को जो पहले उपहास और विरोध करते थे उनको भी यह बात ठीक है, अब समझ में आ रही है, लेकिन अपने साथ आज नहीं आएगें, परन्तु इसका कारण यह नहीं है कि उनको समझता नहीं है। इसका कारण यह भी नहीं है कि वे देशभक्त नहीं हैं। हम स्वदेशी जागरण मंच के लोग ऐसा नहीं समझें कि हम ज्यादा देश भक्त हैं। और जो हमारे साथ नहीं आ रहे वे सारे देशद्रोही हैं, ऐसा नहीं है। वो भी देशभक्त हैं, लेकिन यह प्रश्न आर्थिक या वैचारिक नहीं होकर मानसिक प्रश्न है, सायकोलोजिक प्रश्न है। सायकोलोजी क्या होती है? आदमी की सायकोलोजी यह है कि सर्वसाधारण मनुष्य, जहाँ दो विरोधी गुट होते हैं, वहाँ कौन-सा गुट अच्छा है? यह जानते हुए भी वह सोचता है कि उधर झुकना मेरे लिए कहाँ तक हितकारक है। रामायण की बात है आप सब लोगों ने रामायण पढी है कि राम-रावण युद्ध शुरू हुआ। सब जानते थे कि राम के पास जब तक रथ नहीं है, तो वो बड़े प्रतिकूल अवस्था में थे। रथ की आवश्यकता थी, आकाश में सब देवता-गण रोज एकत्रित होते थे, युद्ध देखने के लिए। स्पष्ट है कि सारे देवता रावण से संत्रस्त थे, चाहते थे कि रावण का नाश होना चाहिये। आकाश में एकत्रित होते थे और देखते थे, लड़ाई। मन में तो था कि रामचन्द्र की विजय होनी चाहिए, लेकिन सोचते थे कि 'रामचन्द्र जी की जय हो' ऐसा यदि कहा; और कल इत्तेफाक

से, संयोग से, रावण की अगर विजय हो गई, तो वह हमारी हड्डी नर्म करेगा। तो 'रामचन्द्र की जय' कहने की मन:स्थिति नहीं थी, लेकिन रावण की विजय हो, ऐसी इच्छा नहीं थी। इसलिए वो उद्घोष लगाते थे- 'जय हो, जय हो, जय हो', किसकी जय हो, इसका उल्लेख नहीं करते थे। जिनको हम जनता कहते है, जनता की यही वृत्ति होती है- जिधर बम, उधर हम। जब तक उनको यह निश्चित नहीं होता कि यह पक्ष विजयी होने ही वाला है, क्योंकि वहाँ भी 84 दिन तक यह बात चली, 84 वें दिन इन्द्र का रथ रामचन्द्र जी की सहायता के लिए आया, जब रावण के सारे सेनापति मारे गये, रिश्तेदार मारे गये, रावण निश्चित रूप से हारने वाला है, यह निश्चित होने के बाद यह रथ इन्द्र ने भेजा; सामान्य जनता की यही वृति होती है, इसलिए जब हम स्वदेशी जागरण मंच का काम करते है, तो हमको जन-जागरण तो करना चाहिए, लेकिन जहाँ तक इन्टेलेक्चुअल का सवाल है, बुद्धि-जीवियों का सवाल है वो सब तरह की बातें समझ रहे, यद्यपि एक तो व्यक्तिगत कारण से या किसी के पैसे खाने के कारण से, ऐसे कुछ लोग होंगे लेकिन ज्यादातर लोग अपनी बात समझते है, बौद्धिक स्तर पर, किन्तु साथ में कन्धे से कन्धा लगाकर, तब तक खड़े नहीं होंगे जब तक, वो यह नहीं देखेंगे कि यहाँ पर एक मजबूत गुट ऐसा है, जिनके साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा जब तक विश्वास नहीं होता तब तक वो हमारे साथ नहीं आते। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच जहाँ जागरण का काम करता है वहाँ उस नाते संगठन का और ऐसा प्रचार का इतना काम बढ़ाना चाहिये कि सब लोगों के मन में यह विश्वास निर्माण हो कि अब यह आन्दोलन यशस्वी हो सकता है, तो फिर वो जय हो, जय हो, नहीं कहेंगे, सीधे स्वदेशी की जय हो, ऐसी घोषणा करेंगे। अभी जो हो रहा है जैसे मैंने कहा जो

विश्व 45 से प्रचार कर रहा है कि तुम निक्कमें हो, हीनता का भाव हमारे अन्दर डाला कि तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते और इसलिए लोगों के दिमाग में कि भाई स्वदेशी बात तो ठीक है, किन्तु क्या हम सफल हो सकते है, बगैर उनके टेक्नोलोजी के कैसे होगा, बगैर उनके निवेश के कैसे होगा, हम कैसे टक्कर कर सकते हैं, उनके पास पूरी दुनिया का पैसा और बड़ी-बड़ी सरकारें, जी-7 की सरकारें, हमारे खिलाफ है, कैसे होगा? उनको यह पता नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में यह जो षड्यंत्र युनायटेड स्टेट, डवलप कंट्रीज इनके राज्यकर्त्ता और इनके पूँजीपति, इनका जो सांठ-गांठ है, इनका जो षड्यंत्र है वह लोगों के ध्यान में आ रहा है, जगह-जगह विरोध हो रहा है, इतना ही नहीं तो विकसित देशों में यद्यपि मैंने कहा कि वहाँ के शासक और वहाँ के पूँजीपति और इनकी सांठ-गांठ, सामान्य जनता इसमें शामिल नहीं है गौरे देशों की; और मैं आपको आश्वासनपूर्वक कहता हूँ कि जिन विकसित देशों के राज्यकर्त्ता और फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, साँठ-गाँठ करके यह षड्यंत्र चला रहे हैं, उनके ही देश में धीरे-धीरे इस विषय में जागृति होने लगी है और अब 'दी अदर इकॉनोमिक समिट' के नाम से जी-7 के खिलाफ दूसरा एक संगठन खड़ा हो रहा है। 'दी अदर इकॉनोमिक समिट' जिसमें विकसनशील देशों के प्रतिनिधि तो आते ही है, विकसित देशों के, गौरे पूर्व-साम्राज्यवादी देशों के भी कई मानवतावादी लोग, कई बुद्धिमान लोग, स्कॉलरर्स इसमें आते हैं और इन्होंने अपने-अपने देश की सरकारों तथा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का वैचारिक विरोध शुरू कर दिया है, बड़ा आंदोलन नहीं है आज, किन्तु वैचारिक विरोध उनकी भूमि पर ही हो रहा है। इतना ही नहीं, तो युनायटेड स्टेट प्रोपर जो बदमाशों का बादशाह है, उनके ही देश में जब लोगों

को पता चलता है कि ये क्या पाप कार्य कर रहे हैं, वहाँ भी विरोध शुरू हो रहा है; वहाँ के मजदूर विरोध करते हैं, वहाँ के ग्राहकों का आंदोलन, उपभोक्ताओं का आन्दोलन, जिसके नेता श्री मान 'नेडर' हैं, उनके नेतृत्व में, उपभोक्ता, ग्राहक इनका विरोध कर रहे हैं, सर्वसाधारण जनता, इस षड्यंत्र में शामिल नहीं है तो उनके देश में भी विरोध होना शुरू हुआ है। ऐसी स्थिति में पूर्व प्रचार के कारण क्या हम इनका मुकाबला कर सकेंगे? यह जो भावना है यह अब केवल मानसिक स्तर का प्रश्न है, बौद्धिक स्तर का प्रश्न अब नहीं रहा। माने यह ऐसी स्थिति है, जब हनुमान जी समुन्द्र के किनारे आये, सब जानते हैं, लंका में जाना है सीता जी की खोज करने के लिये, यह भी निश्चय है किन्तु मन में यह अविश्वास है कि मैं समुन्द्र कैसे पार कर सकता हूँ? समुन्द्र पार करने की ताकत है, परन्तु अविश्वास है, अपनी शक्ति के बारे में कि मैं समुन्द्र पार कैसे कर सकूंगा? अपनी शक्ति को भूल गये। हमारे लोग भी अपनी शक्ति को भूल गये है, विदेशी प्रचार के कारण, पहले कि कैसे हम अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं? तो हनुमान जी भूल गये, वो सब जानते हैं कि जाम्बवंत आये और जाम्बवंत ने बताया कि तुम कौन हो, यह बताया तब हनुमान जी को आत्म साक्षात्कार होकर उनकी सारी शक्ति, पूरी ताकत जागृत होकर समुन्द्र को उन्होंने पार किया। यह सब जानते हैं, इस तरह के जाम्बवंत की आवश्यकता है, आर्ग्युमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। हमारे अन्दर वो ताकत है, हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। जिन्होंने 1945 से यह प्रचार चलाया है, यह बदमाश लोगों का प्रचार है, हरामखोर लोगों का प्रचार है, हमको जानबूझ कर गुमराह कर रहे है, यह हम सब के ध्यान में आने की आवश्यकता है। तो यह आत्मविश्वास यदि जागृत होता है, आगे की लड़ाई बराबर हो सकती है, लोग

समझते नहीं हैं, यह मानसिकता बहुत बड़ा फेक्टर है, आत्मविश्वास खोना, इसके कितने दुष्परिणाम होते हैं, जैसे हनुमान जी का उदाहरण दिया, ताकत थी समुन्द्र पार करने की, लेकिन शक्ति को भूल गये, इसलिये बैठ गये। दूसरा जो उदाहरण, अभी नया एक उदाहरण 1945 का हमारे ख्याल में है अपनी शक्ति को भूलने का; हमारे संघ कार्यालय दिल्ली में एक प्रचारक है, उनका गाँव लाहौर के पास था, पार्टीशन से पहले वहाँ नवाब का शासन था, अब पहले जमाने में राजा, महाराजा या नवाब सभी को ऐसा शौक था कि किसी न किसी कलाकार को अपने दरबार में रखना, तो इन नवाब साहब को कुश्ती का शौक था, तो पंजाब का सबसे नामी पहलवान उनके पास था और इसलिए उन्होंने पूरे पंजाब में घोषणा की थी कि मेरे पहलवान को जो भी कुश्ती में हरा देगा, चित्त करेगा तो मैं उसको इतने-इतने हजार रुपये इनाम में दूँगा, किन्तु जो हरा नहीं सकता और कुश्ती खेलने आ गया, उसे जेल में जाना पड़ेगा। तीन-चार लोग आये वो हार गये, उसके बाद, यह 1945 की घटना है। नवाब का गाँव छोटा था। वहाँ धर्मशाला में पास के गाँव से एक बाप और बेटा आये। बेटा 19-20 साल का था, ऐसा लकड़ी पहलवान, माने उसने दंड बैठक कभी लगाई नहीं, सूर्यनमस्कार कभी किया नहीं, अखाड़े में जाने का सवाल नहीं, ऐसा उनका लड़का और उसके पिता जी धर्मशाला में आये। कमरा ले लिया, ताला लगा लिया, रहने लगे और पिताजी को नवाब साहब के पास भेज दिया और नवाब साहब को कहा कि मेरा लड़का, आपके पहलवान के साथ कुश्ती लड़ेगा। नवाब साहब ने कहा कि सोचो, चार लोग अभी जेल में है; नहीं-नहीं! बोले, मेरा लड़का जीतने वाला है, तारीख तय हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, आप यदि अन्याय करना चाहें तो दूसरी बात है, परन्तु न्याय करना चाहें तो एक बात आप को मानना

पड़ेगा, नवाब ने पूछा क्या? लकड़ी पहलवान के पिताजी बोले, ऐसा है कि आप तो अपने पहलवान को अच्छी खुराक देते हैं, अखरोट, पिस्ता, बादाम, सब कुछ, मैं तो गरीब आदमी हूँ खिला ही नहीं सकता, तो खाने-पीने की दृष्टि से 5-6 महीने तक, हमारे बेटे की व्यवस्था आप करेंगे, फिर बराबरी की कुश्ती हो सकती है। नवाब बोले- ठीक है। कितना पैसा चाहिए पैसा दे दिया, ये धर्मशाला में आये और आराम से खाना-पीना करते, वो लड़का क्या करेगा वो कभी ना कुश्ती खेला है, ना कभी व्यायाम किया है, चार महीने जाने के बाद यह जो नवाब का पहलवान था इसके मन में विचलितता नहीं आई थी, किन्तु चार महीने के बाद उसको लगा कि वैसे तो मैं हारने वाला नहीं हूँ, लेकिन देखना तो चाहिए कि वह कौन है जिसके साथ कुश्ती खेलना है, उसने अपने एक साथी को भेजा कि भई उसको देखलो, कौनसा पहलवान है? छोटे गाँव में तलाश करना कोई कठिन बात नहीं, वह धर्मशाला में पहुँच गया, पिताजी के साथ दोस्ती की, लड़के को देखा तो आश्चर्य हुआ, ये लकड़ी पहलवान, यह हमारे पहलवान के साथ लड़ेगा। फिर धीरे-धीरे दोस्ती बढ़ाई जानबूझ के; और फिर पूछता रहा कि यह लकड़ी पहलवान हमारे पहलवान से कैसे लड़ेगा? पिताजी ने कहा, 'तो इसमें बड़ी बात क्या हुई? जीतेगा, तो मेरा ही लड़का जीतेगा', उसने जानने के लिए बात आगे बढ़ाई कि 'यह कैसे जीतेगा? इसने कभी व्यायाम नहीं किया, कभी कुश्ती नहीं खेली। पिताजी ने कहा- मैं जानता नहीं क्या? मैं तो इसका बाप हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ और मैं आप को आश्वासन देता हूँ कि जीतेगा तो कुश्ती में मेरा बेटा जीतेगा। 'अब यह बात पहलवान के पास पहुँच गई, पहलवान ने कहा कि भई इसके पीछे कोई राज है, क्या राज है जरा खोज करो? अब पिताजी समझ रहे थे कि यह कुश्ती पहलवान का कोई मित्र

है, अब उसने जब ज्यादा पूछा तो पिताजी ने कहा- अच्छा बताता हूँ, लेकिन बात ऐसी है कि बड़ा गुप्त राज है, किसी को बताना नहीं। कोई भी बात दुनिया में जाहिर हो ऐसा यदि हम चाहते हैं तो किसी एक को बोल दो कि गुप्त बात है, सारी दुनिया के पास पहुँच जायेगी, तो पहलवान के मित्र को पिताजी ने ऐसी ही गुप्त बात बता दी।

पिताजी ने कहा कि 'मैं तो जानता हूँ यह क्या लड़ेगा, मच्छर के साथ भी यह कुश्ती नहीं लड़ सकता, लेकिन जीतेगा, इसका कारण है, मैंने योग साधना की है, योग साधना के कारण, यह सिद्धी मुझे प्राप्त हुई है, उस सिद्धी के कारण यह ताकत मेरे अन्दर है कि कुश्ती में मेरे लड़के के साथ में जो हाथ से हाथ मिलायेगा, शरीर के किसी भी अंग का, शरीर के किसी भी अंग से स्पर्श भी यदि होगा, जैसे ही मेरे पुत्र के शरीर के किसी भी अंग का स्पर्श, सामने वाले पहलवान के किसी भी अंग को होगा, तो स्पर्श होते ही, वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, उसके बाद वह जिन्दा बचेगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, यह शक्ति मेरे अन्दर है।' अब यह खबर मित्र ने उस पहलवान को दे दी, अब आज भी लोग विश्वास करते हैं, तो उन दिनों में तो और ज्यादा करते थे।

अब कुश्ती का दिन आ गया, छोटा गाँव था तो 3-4 हजार इधर-उधर के गाँव वाले आ गये, वो बड़ा जमघट माना जाता था, 3-4 हजार लोगों का, बीच में वो जमीन खोदकर कुश्ती के लिये अखाड़ा तैयार किया गया, सामने कुर्सी पर नवाब साहब बैठ गये, समय हुआ, उधर यह लकड़ी पहलवान लंगोट वगैरह पहन कर मैदान के एक ओर खड़ा हुआ, लोग हंसने लगे, अरे! यह लड़ेगा? लेकिन अभी तक नवाब साहब का पहलवान आया नहीं, लोगों ने पूछा पहलवान अभी

तक क्यों नहीं आया? बोला आता होगा, और 5-7 मिनट हो गये, बोले कि पहलवान को जल्दी बुलाओ, बुलाने वाले वापिस आये, बोले कि पहलवान आने को तैयार नहीं है। 'आने के लिये तैयार नहीं है?', अब नवाब साहब को पहलवान की इज्जत का नहीं खुद की इज्जत का सवाल था, घोषणा हो गई, बोले आने के लिए तैयार नहीं है तो खींचकर लाओ, तो फिर लोगों ने उसको पकड़ कर वहाँ लाया, उसने नवाब साहब का चरण स्पर्श किया और यह लकड़ी पहलवान उधर खड़ा था, दूसरे कोने पर वह खड़ा रहा, लेकिन इसके पैर लड़खड़ा रहे और उधर वो लकड़ी पहलवान शरीर को ऐसा-ऐसा करता हुआ, मैदान के बीच में आगे बढ़ा, जैसे ही यह थोड़ा आगे बढ़ा, वह लकड़ी पहलवान, इसके हाथ से हाथ मिलाने के लिए जैसे ही आगे आया, उसने भागना शुरू किया और लोगों ने यह दृश्य देखा कि पंजाब का नम्बर एक का पहलवान, सामने भाग रहा है और यह जो लकड़ी पहलवान, जो मच्छर को नहीं मार सकता, उसका पीछा कर रहा है, ऐसा दृश्य लोगों ने देखा।

तो जब आत्मविश्वास आदमी खो देता है गलत प्रचार के कारण तो क्या हो सकता है? यह इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे बुद्धिजीवी लोग और बाकी सारे लोग, यह आत्मविश्वास खो रहे, गलत प्रचार के कारण खो रहे। वैसे जो सारी ताकतें हमारे खिलाफ खड़ी हैं, आपने धीरज के साथ कुछ देर तक यदि लड़ाई जारी रखी, जो होगा, शुरू में हमें कुछ 'रिवर्सेज' लेने पड़ेंगे, कुछ सेटबेक्स मिलेगी, कुछ पीछे हटना पड़ेगा, कई जगह जैसा विंस्टन चर्चिल (winston Churchill) ने कहा, 'We may loose battel, but win the war' यानी इंग्लैंड कुछ लड़ाईयाँ हार सकता है, परन्तु युद्ध इंग्लैंड ही जीतने वाला है, तो इस

विश्वास के साथ, शुरू में हमें कुछ सेटबेक मिलें, 'रिवर्सेज' मिलें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, धीरज के साथ हमें भी लड़ना होगा।

अमेरिका के बारे में सब बोलते हैं कि अमेरिका में बाकी सब कुछ होगा, किन्तु अमेरिका के लोगों में धीरज नहीं है, पेसेंस नहीं है। अमेरिका का सिपाही भी लड़ता है, 'सोल्जर' तो वह नहीं लड़ता है; उसके शस्त्र लड़ते है और लड़ाई पर भी जाएँगे तो, जब तक अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, तब तक वह लड़ भी नहीं सकता, ऐसी आदतें भी बिगड़ गई हैं, तो वो ज्यादा देर तक धीरज नहीं रख सकते, यहाँ तक हम लोग जानते हैं। वियतनाम वैसे एक छोटा-सा देश है, कोई तुलना ही नहीं है, किन्तु उन्होंने गुरिल्ला वार फेयर लगातार चलाये, अमेरिका के नेताओं ने बताया था कि एक दो साल में लड़ाई खत्म होगी, लेकिन लड़ाई आगे चलने लगी, दो-चार साल, छ: साल, आठ साल, फिर अमेरिका के लोगों का धीरज छूट गया, उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि 'हमारे बच्चों को मरने के लिए वहाँ क्यों भेज रहे हो, उनको वापिस बुलाओ', तो वियतनाम जैसे छोटे-से देश के सामने अपमान जनक रूप से जिनको पीछे हटना पड़ा, मुँह की खानी पड़ी, क्योंकि धीरज नहीं। हमारे अंदर एक हजार एक दोष होंगे, कमजोरियाँ होगी, सब कुछ होगा, लेकिन एक बात दुनिया ने मान ली है कि धीरज के मामले में, पेसेंस के मामले में, हमारे हिन्दुओं की तुलना में, दुनिया का कोई भी समाज बराबरी में नहीं है, इतना तो दुनिया ने मान लिया है, हमारे अंदर दोष हो सकते हैं, कई बातों में हम निक्कमें भी हो सकते हैं, परन्तु जहाँ तक पेसेंस का सवाल है, धीरज का सवाल है, लगातार हम लड़ सकते हैं, धीरज के साथ।'

सुप्रसिद्ध उदाहरण हम जानते हैं, औरंगजेब का जब दक्षिण पर 'आक्रमण' हुआ तो सत्रह (17) साल तक न राजा था, ना कोई शासकीय केन्द्र था, न सेनापति था न सेना थी न कोष था, किन्तु अलग-अलग गुरिल्ला पेटर्न'स, छापामार लड़ाई सत्रह (17) साल तक करते रहे और आखिर, जो यह प्रतिज्ञा लेकर औरंगजेब यहाँ से गया था, उसको जो उसकी प्रतिज्ञा थी कि मैं हिन्दवी स्वराज्य की कब्र यहाँ खोदूंगा, उसी की कब्र दक्षिण में खोदी गई, यह इतिहास हमें बताता है। पेसेंस है, बहुत पेसेंस है, बहुत पेसेंस है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रोहिडेश्वर के मंदिर में खून से अभिषेक करते हुए शिवलिंग को, यह प्रतिज्ञा की हिन्दवी स्वराज्य की, तब से लेकर कई 'अप्स' और 'डाऊन' (ups & down) आये, कई बार पीछे हटना पड़ा, कई बार आगे बढ़े, किन्तु अटक से लेकर कटक तक हिन्दुओं के घोड़े संचार करने लगे, जब तक यह समय आया, इसके लिए लगातार 115 (एक सौ पन्द्रह) साल लड़ाई करनी पड़ी।

गुरु गोविन्द सिंह जी का यह जो पँच प्यारा का उदाहरण है, 1699 वें का है, तब से लेकर रणजीत सिंह के घोड़े, अफगानिस्तान में जाकर घुसे, 135 साल का पीरियड लगता है, पेसेंस के साथ, बीच में अप्स (ups) आये हैं, डाऊन आये हैं, सब कुछ आये हैं, परन्तु जैसा चर्चिल ने कहा था कि 'वी मे लूज बैटल, बट विन द वार', किन्तु इसके लिए जो पेसेंस चाहिये, वह हम लोगों के पास है। जैसे कुश्ती में आपने देखा होगा, एक बलवान पहलवान होता है, एक मामूली पहलवान होता है, मामूली पहलवान जानता है कि यदि मैं सीधे कुश्ती में आगे बढ़ूँगा तो यह धोबी पछाड़ मारकर मुझे गिरा देगा, वो जमीन पकड़ कर बैठता है, कुश्ती में जो जमीन पकड़ कर बैठता है, उसको गिराना कठिन होता है, और जब तक वह हिलता नहीं और खड़ा नहीं होता तब तक उसको गिराना कठिन

होता है, लेकिन जो दूसरा पहलवान है, वह उसकी बैठक गिराने की कोशिश करता है, इधर से उधर, उधर से इधर, हां-हूं फां-फूं, बहुत करता है, उधर उस पहलवान को ताकत ज्यादा नहीं देनी पड़ती, क्योंकि उसको तो केवल जमीन पकड़ कर बैठना है, लेकिन दूसरा जो उसकी बैठक हिलाने वाला पहलवान, उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, ज्यादा हां-हूं फां-फूं करने के बाद उसका दम जब कम होने लगता है, तब नीचे वाला पहलवान अंदाजा लेता है कि अब इसका दम कम हो गया है, अब बराबरी का दम है, फिर वह अपना बैठक छोड़कर खड़ा होता है और फिर बराबरी की कुश्ती होती है।

हमें समझना चाहिये, बैठक लगातार बैठने का यह समय है, माने पेसेंस के साथ 'गुरिल्ला वार फेयर' जैसे होती है, जिस तरह का, जहाँ, जितना, जैसा, मौका मिले वैसा, जन जागरण भी करना, प्रचार भी करना, जब आक्रमण होता है किन्हीं उद्योगों में, वहाँ उसका विरोध भी करना, यह सब करते रहना चाहिये, लम्बी देर तक, थोड़ी लम्बी देर तक, यदि हम यह सब करते हैं तो, सारे गौरे देशों का दम उखड़ने वाला है।

लेकिन यह लड़ाई का स्वरूप क्या होगा, यह कहना कठिन है, इसका एक कारण है, क्योंकि इसमें पहल उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। अभी तक हमारे देश के लोगों को 1947 के पश्चात संघर्ष का एक ही स्वरूप जो मालूम है, वह है संवैधानिक, अहिंसात्मक, वगैरह-वगैरह, राज्य सरकार के खिलाफ, केन्द्र सरकार के खिलाफ, रेली है, हस्ताक्षर संग्रह है, डेपुटेशन है, मास डेपुटेशन है, हड़ताल है, धरना है, सत्याग्रह है, यही हमको पता है और वो ठीक है, क्योंकि अपनी सरकार है, हम स्वतंत्र है, खण्डित भारत का ही क्यों नहीं, स्वातंत्र्य अपने

पास है, अब यहाँ संविधान है, दोषपूर्ण हो तो भी, उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन संविधान है तो संवैधानिक अहिंसात्मक मार्ग से ही सारा हो सकता है, ऐसा 49 साल का अनुभव होने के कारण, किन्तु यह 49 साल की जो सारी लड़ाई है, किसानों की, मजदूरों की, राजनैतिक दलों की, ये जो लड़ाई है, वह दिल्ली सरकार के खिलाफ थी, अपने सरकार के खिलाफ यही रास्ते अपनाने चाहिए इसमें, दो मत नहीं हो सकते, लेकिन जहाँ विदेशियों का मामला है, वो जब एक्शन करेंगे तब हमको रिऐक्ट करना पड़ेगा, इनकी जैसी पहल होगी, वैसा उनको जवाब देना पड़ेगा, क्या उनकी पहल होगी, पता नहीं। लेकिन हम जानते है कि उनकी पहल के कारण, क्या मैक्सिको, क्या लेटिन अमेरिका के देश, क्या अफ्रीका के देश, बर्बाद हो चुके हैं, यह हम जानते हैं। अब वहाँ जो उन्होंने नीति अपनाई वही अपनाएँगे या एकदम उनके मन में उदारता, सात्विकता आदि का भाव आकर वो हमारी सहायता करने के लिए आ रहे, देखना पड़ेगा, एक दम हम प्री-जज न करें, तो भी 'होप फोर दी बेस्ट एण्ड प्रिपेयर फोर दी वर्स्ट', कि अच्छे से अच्छी घटनाएँ होगी, यह आशा रखना, किन्तु अगर खराब से खराब घटनाएँ होगी तो क्या-क्या करना चाहिये इसके बारे में सोचना, यह आवश्यक है और इस दृष्टि से यह समझना चाहिये कि 49 साल के अनुभव के आधार पर सर्व साधारण जन-मानस में जो एक बात आ गई है कि भाई संघर्ष करना भी है तो 'सैंस ऑफ रेस्पोंसिब्लिटि' के साथ करना चाहिये, बिल्कुल सही बात है, एकदम संवैधानिक ढंग से होना चाहिये, बिलकुल सही बात है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि यह सारा तब तक है, जब तक लड़ाई का दायरा, ज्यूरिडिक्शन, दिल्ली तक है, जहाँ दिल्ली के बाहर ज्यूरिडिक्शन जाता है और अब लड़ाई का ज्यूरिडिक्शन वाशिंगटन तक पहुँचता है और जब विदेशों

के साथ पाला पड़ता है, तब क्या-क्या होता है, इसका भी अध्ययन करना पड़ेगा, अपने इतिहास से भी अध्ययन करना पड़ेगा और 'हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा, हर तरह की।

ये 49 साल का जो अनुभव है, उसके आधार पर हम अपनी रणीनति नहीं तय कर सकेंगे, क्या करेंगे, आज नहीं बता सकते, जैसे उनकी पहल होगी, वैसा अपना जवाब होना चाहिये, किन्तु हमारी हर तरह से मानसिक तैयारी होनी चाहिये और यह हमारे लिए सबसे कठिन प्रश्न आने वाला है कि हमारे ही मित्र नहीं समझ सकते कि जन संघर्ष का दायरा जब तक दिल्ली तक है, तब तक की परिस्थिति और जब जन-संघर्ष का दायरा दिल्ली से बाहर वाशिंगटन तक जाता है, उस समय की परिस्थिति, तो फिर संघर्ष के रास्ते, उसके बारे में पुनर्विचार करना होगा, यह बात भी जनता के ख्याल में नहीं आएगी, जनता को समझाना पड़ेगा, हमारे मित्रों के भी ख्याल में नहीं आयेगी, उनको भी समझाना पड़ेगा और हमें भी यह ध्यान में रखना चाहिए। और पहला हमला भारतीय उद्योगों पर होने वाला है, इसलिए हमने भारतीय मजदूर संघ में सब लोगों को यह कहा कि विचार करो, अभी तक यह हड़ताल है, यह है, वह है, सब ठीक है। अब दायरा संघर्ष का जब दिल्ली से आगे, वाशिंगटन तक जा रहा है, अब उनके हाथ में जब पहल है, तो हमने कहा कि विंस्टन चर्चिल का एक वाक्य अपनी डायरी में लिख लो, उसका अर्थ आज बताने की आवश्यकता नहीं, प्रसंग जब आयेगा तो आपको यह समय नहीं मिलेगा, किसी उद्योग को कि वह दिल्ली में कहे कि हमारे भगत जी का नम्बर क्या है? ठेंगडी जी के साथ बात करना है, समय नहीं मिलेगा, अचानक हमला होगा, 'ऑन द स्पॉट' आप को निर्णय करना पड़ेगा, तुरन्त, तो यह वाक्य हमने सभी लोगों को अपनी डायरी में लिखने

के लिये कहा, भारतीय मजदूर संघ के लोगों को कहा, क्योंकि पहला हमला हमारे ऊपर होगा। यह विंस्टल चर्चिल का वाक्य है, यह यशस्वी ऐसे नेता है, उन्होंने कहा 'इट इज बेटर, टू बी इररेस्पोंसिबल एण्ड राईट देन टू बी रेस्पोंसिबल एण्ड रोंग' हमने सभी मजदूर भाईयों को अपनी डायरी में लिखने के लिये कहा, जब वक्त आयेगा तो डायरी का वाक्य ध्यान में आयेगा, अभी अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमने मजदूर संघ में बोला, हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब लड़ाई का दायरा दिल्ली से हटकर वाशिंगटन तक जाता है, तो 49 साल के हमारे सारे 'वेज एण्ड मीन्स' (Ways and Means) वो इर्रिलेवेंट हो जाते है, क्या-क्या इस पर पुनर्विचार करना चाहिये, इस दृष्टि से जनता को और अपने मित्रों को अभी से सावधान करना चाहिये, इतना यदि होता है, तो हमारे अंदर ताकत है, 90 करोड़ का देश, इतने नेचुरल रिसोर्सेज, इतने टेलेन्ट्स, वो डर रहे है, वो डरें कि हिन्दुस्तान जागृत हो जाएगा तो क्या होगा? और हम डर रहे हैं कि मर गये रे, बाप....

अपने लोगों में हम आत्मविश्वास जागृत करें, वास्तव में हमारे देश की शक्ति क्या है, इसका साक्षात्कार जनता को दें और इस लड़ाई के 'वेज एण्ड मीन्स' के बारे में अपने मित्रों को जरा समझाएँ, इतना यदि हम करते हैं, तो इस लड़ाई में, क्योंकि हमारा धीरज ज्यादा है, हम ही विजयी होंगे, धीरज छोड़ने वाले अमेरिकन्स की दुर्गति होने वाली है, चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। चिन्ता इतनी ही करनी है कि हम अपना जन जागरण का काम ज्यादा करें, संगठन को मजबूत करें और अपने मित्रों को 'मेनिफेस्टो' की जानकारी दें, धीरज के कारण हमारी विजय सुनिश्चित है।

*****

स्वदेशी जागरण मंच का समारम्भ

21-22 नवम्बर, 1992 को मुम्बई में सम्पन्न स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय बैठक में दिनांक 21 नवम्बर को राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन।

प्रिय बंधु-भगिनीगण,

इस दो दिवसीय बैठक के लिए यहाँ उपस्थित हुए आप सब स्वदेशी भक्त बँधु-भगिनियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ।

ठीक एक वर्ष पूर्व (दिनांक 22 नवम्बर, 1991 को) नागपुर में हुई इसी तरह की एक बैठक में 'स्वदेशी जागरण मंच' की स्थापना हुई थी। उस बैठक में अखिल भारतीय स्वरूप की पांच संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे। 'मंच' के निर्माण के साथ-साथ मंच की केन्द्रीय संयोजन समिति का भी निर्माण किया गया था और स्वदेशी जागरण अभियान की सामान्य रूपरेखा भी बनाई गई थी। उसके अनुसार पिछले एक वर्ष यह अभियान चलाया गया।

स्वदेशी जागरण के लिए उपयुक्त साहित्य निर्माण करने का सुझाव उस बैठक में आया था। तदनुसार साहित्य की निर्मिति सभी भारतीय भाषाओं में तथा अंग्रेजी में हुई और

उसका विस्तृत वितरण भी हुआ। इस अवधि में नवीन स्वदेशभक्त साहित्यकारों से भी संपर्क प्रस्थापित हुआ।

अभियान के प्रथम चरण में साइक्लोस्टाइल्ड साहित्य विभिन्न प्रदेशों में भेजा गया था। इसके आधार पर अपने प्रदेश की परिस्थिति के अनुसार हर प्रदेश अपनी भाषा में साहित्य निर्मिति करे यह योजना थी। इसके पश्चात नियमित मुद्रित साहित्य का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ।

नागपुर बैठक में यह भी तय हुआ था कि जागरण के नित्य कार्य के अलावा विभिन्न प्रदेशों में इस जागरण के सघन अभियान के हेतु एक पखवाड़ा मनाया जाए और हर प्रदेश अपनी सुविधा के अनुसार पखवाड़े का कालावधि निश्चित करे। सभी प्रदेशों ने इस निर्णय को ठीक ढंग से क्रियान्वित किया।

यह सोचा गया था कि यह मंच गैर-राजनीतिक तथा सर्वसमावेशक रहे। हर प्रदेश में सर्वसमावेशकत्व की दिशा में प्राथमिक प्रयत्न किए गए। कुछ स्थानों पर यह प्रयास संतोषजनक रहा। 'स्वदेशी जागरण मंच' की मुम्बई समिति इसका एक उदाहरण है। अन्य स्थानों पर भी विभिन्न विचारधाराओं के स्वदेशभक्त बंधुओं को एक मंच पर लाने का प्रयत्न हुआ। इसमें कुछ स्थानों पर मिली आंशिक सफलता अति सीमित तथा अपर्याप्त है। यह भी अनुभव किया गया कि यदि इस दिशा में सुनियोजित प्रयास सभी स्थानों पर किए गए तो अपेक्षित यश निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि विभिन्न विचारधाराओं, दलों तथा संस्थाओं में बंट जाने के बावजूद सभी व्यक्तियों तथा व्यक्ति समूहों में स्वदेश भक्ति हमेशा जागृत एवं एक समान रहती है और इस एक बिंदु पर, शेष सभी मतभेदों को भूलकर, एक मंच पर आने की मानसिक तैयारी सबकी हो सकती है। जीवन में फैले हुए वायुमण्डल के कारण देश का हर एक व्यक्ति तथा व्यक्ति समूह सर्वप्रथम यह परीक्षा

लेना चाहेगा कि 'मंच' के संयोजकों के उद्देश्य विशुद्ध हैं या नहीं। हमारे उद्देश्य विशुद्ध होने के कारण सबको अपने साथ लाने में हम अवश्य यशस्वी होंगे। किन्तु इसके लिए सतत, व्यापक तथा सघन क्रियाशीलता की आवश्यकता है।

नागपुर बैठक में हमारे लिए प्रेरणादायक बात रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह आदरणीय शेषाद्रि जी की बैठक के अंतिम चरण में हम लोगों के बीच उपस्थिति। उनके प्रेममय सान्निध्य तथा समयोचित मार्गदर्शन से हम सब लाभान्वित हुए। उस समय उनकी मूलगामी चिंतन की प्रवृत्ति का हम सबको परिचय हुआ। आगे चलकर परमपूज्य सरसंघचालक बालासाहेब देवरस जी का शुभाशीर्वाद इस अभियान को प्राप्त हुआ। अन्यान्य अवसरों पर परमपूज्य बालासाहेब के दिये हुए तेजस्वी संदेश सभी देशभक्तों के लिए स्फूर्तिदायक रहे। विशेषत: नागपुर शाखा के पिछले विजयादशमी महोत्सव के अवसर पर उनका इस उपक्रम को समर्थ समर्थन तथा दूरगामी मार्गदर्शन ऐतिहासिक महत्व का रहा। उसके कारण पूरे देश में स्वदेशी के बारे में उत्साह की एक नई लहर पैदा हुई।

नागपुर बैठक की एक उपलब्धि यह भी रही कि केन्द्रीय संयोजन समिति के प्रमुख के रूप में डॉ० मा० गो० बोकरे प्राप्त हुए। ये सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं तथा कुछ समय तक नागपुर विद्यापीठ के उपकुलपति भी रह चुके हैं। वे कट्टर मार्क्सवादी रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के एक चोटी के विचारक, यह मान्यता उन्हें प्राप्त हुई थी। बौद्धिक प्रामाणिकता और वास्तव में शास्त्र शुद्ध ढंग से विचार करते रहने के उनके स्वभाव के कारण उनके विचारों में उचित परिवर्तन हुआ। उनकी Hindu Economics यह पुस्तक आगामी मकर संक्रमण महोत्सव के शुभ मुहूर्त पर प्रकाशित होने वाली है।

उस प्राथमिक बैठक में केवल पांच संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सहकार भारती, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भारतीय किसान संघ तथा भारतीय मजदूर संघ। किन्तु जहाँ प्रत्यक्ष अभियान में और भी कई संस्थाओं ने पूरी शक्ति के साथ हिस्सा लिया, उन सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इस बैठक में निमंत्रित किया गया है। किन्तु जहाँ नागपुर में हर संस्था के सभी पदाधिकारी निमंत्रित थे, यहाँ इस बैठक में हर संस्था के केवल दो प्रतिनिधियों को ही निमंत्रित किया गया है। नव निमंत्रित संस्थाए निम्न हैं- (1) विद्याभारती, (2) भारतीय शिक्षण मंडल, (3) राष्ट्र सेविका समिति, (4) प्रज्ञा भारती, (5) वनवासी कल्याण आश्रम, (6) स्वदेशी साइन्स मूवमेंट, (7) शैक्षिक महासंघ, (8) विश्व हिन्दू परिषद, (9) संस्कार भारती।

अब तक के अभियान में यह ध्यान में आया कि इस उपक्रम में हमारी भगिनियों की भूमिका वैशिष्ट्यपूर्ण तथा महत्त्वपूर्ण हो सकती है। वास्तव में उन्होंने अब तक वैसा प्रत्यक्ष कार्य किया भी है। इस दृष्टि से उनका सहभाग इस बैठक के विचार विमर्श में रहे, यह अनिवार्य प्रतीत हुआ। राष्ट्र सेविका समिति की प्रतिनिधियों की उपस्थिति के कारण इस त्रुटि की पूर्ति हो रही है।

ठीक एक वर्ष के पश्चात बुलाई गई यह बैठक प्रमुख रूप से संगठनात्मक विचार-विमर्श के लिए है। इसके उद्देश्य तथा स्वरूप के विषय में कुछ क्षेत्रों में स्वाभाविकत: थोड़ी-सी गलत धारणा निर्मित हुई थी। क्योंकि लोगों को अधिकतर अभ्यास सभाओं-सम्मेलनों, अधिवेशनों का हुआ करता है। किन्तु अपना यह एकत्रीकरण उस स्वरूप का नहीं है। यह बैठक है संगठनात्मक विचार-विमर्श के लिए। इसमें सोचना है कि अब तक कार्य कितना हुआ है और आगे की कार्य

की दिशा क्या रहे। सभा-सम्मेलन, अधिवेशन आदि की कार्यवाही अलग ढंग की हुआ करती है। इस बैठक का हेतु वह नहीं है। अब तक हुए कार्य का प्रतिवृत्त तथा आगे दिशा के विषय में ठोस सुझाव, यह यहाँ अभिप्रेत है। हाँ, एक तरह से इस बैठक के समारोप के रूप में कल, यानि दिनांक 22 नवम्बर को एक सार्वजनिक सभा 'मंच' के तत्वावधान में आयोजित की गई है। उसमें स्थानीय तथा अखिल भारतीय कार्यकर्ताओं के भाषण होंगे। उस सभा का उद्देश्य 'मंच' की भूमिका का प्रचार, यह रहेगा। बैठक का उद्देश्य सभा के उद्देश्य से भिन्न है। बैठक का यह स्वरूप ध्यान में रहा तो जितना अल्पसमय हमें उपलब्ध है उसका अधिकतम, रचनात्मक तथा उत्पादक उपयोग करने में हम सफल होंगे।

प्रतिवृत्त प्रस्तुत करते समय हर प्रदेश तथा हर कार्यक्षेत्र में इस दृष्टि से हुई गतिविधियों का वृत्त आएगा ही। किन्तु उसके साथ ही निम्न एक दो बातों का उल्लेख आना भी उपयुक्त रहेगा।

गत बैठक में यह तय हुआ था कि इस अभियान के दौरान जो भी कार्य होगा वह 'स्वदेशी जागरण मंच' के नाम से ही होना चाहिये, विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्त्ता काम करेंगे, किन्तु तत्वावधान 'मंच' का ही रहेगा। यह भी सोचा गया था कि यह रचना अगली बैठक तक चलेगी, अगली बैठक में हम पुनर्विचार करेंगे कि यही रचना जारी रखी जाए या उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। जैसे 'स्वदेशी जागरण मंच' के साथ अपनी-अपनी संस्था का नाम भी जोड़ना। उदाहरण 'स्वदेशी जागरण मंच' (सहकार भारती)। इस बात पर यहाँ हम विचार करेंगे ही। किन्तु गत वर्ष 'मंच' के तत्वावधान में ही विभिन्न संस्थाओं ने अकेले ही या अन्य लोगों से मिलकर जो कार्य किया उसका वृत्त प्रस्तुत होना चाहिए।

वैसे ही जिन संस्थाओं के प्रतिनिधि गत बैठक में उपस्थित नहीं थे, उन्होंने भी इस अभियान में कुछ उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उदाहरणार्थ, महिला जागरण की दृष्टि से राष्ट्र सेविका समिति ने किया हुआ कार्य या माननीय रज्जूभैया की सलाह पर 'विद्या भारती' ने किया हुआ हस्ताक्षार संग्रह। अन्य संस्थाओं ने भी ऐसे कुछ उपक्रम किए हैं। इन सबका विस्तृत विवरण सदन के सामने आना चाहिए। इससे अब तक हुए कार्य की पूरी जानकारी सबको होगी। वैसे ही एक-दूसरे के अनुभव से हम सब लाभान्वित होंगे और हममें से हरेक के चिंतन में कुछ नये आयाम जुड़ सकेंगे।

कार्य के मूल्याँकन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके विषय में हम इस बैठक में कितनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यह देखना है। स्वदेशी का प्रचार यह एक बात है। किन्तु उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों ने या परिवारों ने प्रत्यक्ष व्यवहार मैं विदेशी वस्तुओं का त्याग और उसके साथ स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कुछ न कुछ मात्रा में प्रारम्भ किया, इसकी आकड़ों के आधार पर जानकारी, यह दूसरी बात है। इसके लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता हुआ करती है। एक ही वर्ष की अल्पकालावधि में नये अभियान का प्रचार संगठित करना और उसके परिणामों का सर्वकष सर्वेक्षण करना, ये दोनों कार्य संपन्न करना कठिन था, यह तो स्पष्ट है। तो भी किसी भी प्रदेश में या कार्यक्षेत्र में इस दृष्टि से कुछ जानकारी उपलब्ध हुई है तो वह बैठक में प्रस्तुत करना उपयुक्त रहेगा।

हर प्रदेश में या कार्यक्षेत्र में विभिन्न विचारधाराओं के कितने लोगों का या संस्थाओं का सहयोग हमें प्राप्त हुआ, यह भी बताया जाना चाहिए। वैसे ही अपने

प्रदेश में समाचार पत्रों तथा अन्य मीडिया का रुख इस अभियान के प्रति क्या रहा, यह भी जानकारी देनी चाहिए।

विदेशी पूंजी के हाथ बहुत लंबे हैं। लोगों को गुमराह करने की उनकी क्षमता असीम है। झूठे प्रचार की कला के विशेषज्ञ बहुत बड़ी संख्या में उनकी सेवाओं में हैं। अपने हितों की रक्षा के हेतु तथा स्वदेशी जागरण को विफल बनाने के लिए विदेशी पूंजी ने इस कालावधि में कई हथकंडे अपनाए हैं। उनकी कार्यपद्धति के अनुसार प्रकट हथकंडे बहुत कम और अप्रकट ही अधिक हुआ करते हैं। स्थूल कम, सूक्ष्म अधिक। स्वयं परदे के पीछे रहते हुए ये विशेषज्ञ दूसरे माध्यमों से गलत तर्कों तथा तथ्यों का धुँआधार प्रचार करते तथा करवाते हैं। सामान्य जन ऐसे दुष्प्रचार का शिकार आसानी से बनते हैं, क्योंकि उसके पीछे विदेशियों का हाथ है ऐसा अस्पष्ट संदेह भी उनके सरल मन में निर्माण नहीं होता। इस दृष्टि से आए हुए अनुभव भी सदन के सामने प्रस्तुत होने चाहिए।

अपने प्रचार के प्रति सर्वसाधारण जनता की प्रतिक्रिया एवं विशिष्ट वर्गों की प्रतिक्रिया क्या रही, यह अवश्य बताना चाहिए।

उपर्निर्दिष्ट विशेष बातों के अलावा अभियान का सर्वसाधारण वृत्त तो प्रस्तुत किया ही जाएगा।

प्रतिवृत्त के पश्चात् कार्य की अगली दिशा के विषय में विचार करना है। नागपुर बैठक में सोचा गया था कि आगे चलकर इस अभियान में एक और आयाम जोड़ना आवश्यक है। वह है "उत्पादन खर्चा घोषित करो" यह माँग। वस्तु का प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चा और मार्केट में रखी गई उसकी कमित, इन दो बातों में

आश्चर्यजनक अंतर पाया जाता है। इतना अंतर कि इनकी कल्पना भी आम आदमी नहीं कर सकता। एक ओर कृषि के क्षेत्र में उत्पादकों को लाभकारी मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रहा, सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों से उनका उत्पादन खर्चा भी नहीं निकल रहा और दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादक अनाप-शनाप मुनाफा कमा रहे हैं। उत्पादकों को उनका उत्पादन खर्चा निकालकर उचित लाभांश प्राप्त होना चाहिए, यह बात तो समझ में आ सकती है। किन्तु 'उचित लाभांश' की कुछ परिभाषा, कुछ सीमा होनी चाहिये या नहीं? इस दृष्टि से हर वस्तु का उत्पादन खर्चा घोषित होना आवश्यक है। उसके बाद उस वस्तु पर उत्पादकों को लाभांश कितना मिलना चाहिए? इस पर शास्त्रीय चर्चा हो सकती है। किन्तु अब तक चल रहा उपभोक्ताओं का असीम शोषण आगे नहीं चलने देना चाहिए।

'उत्पादन खर्चा घोषित करो' यह नियम सभी उत्पादकों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। देशी उत्पादक तथा विदेशी उत्पादक, दोनों पर।

यह माँग एक और दृष्टि से आवश्यक है। विदेशी पूंजी के एजेंटों ने यह गलत प्रचार चलाया कि 'स्वदेशी जागरण मंच' के पीछे प्रेरणा वास्तविक स्वदेश भक्ति की नहीं है। देशी पूंजीपतियों ने अपने निजी लाभ के हेतु 'मंच' के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया है। विदेश से आने वाली जिस वस्तु का बहिष्कार किया जाएगा उस वस्तु को बनाने वाले देशी उद्योगपति को उस वस्तु पर चाहे जितना मुनाफा लेने की खुली छूट मिल जाएगी। यह प्रचार दबी जुबान से बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। 'उत्पादन खर्चा घोषित करो' इस माँग के कारण इस दुष्प्रचार की हवा ही निकल जाती है। हमारी यह माँग दोनों पर, विदेशी

तथा देशी उत्पादकों पर लागू है। उसके कारण उपभोक्ताओं का शोषण करने की दोनों की क्षमता समाप्त हो जाती है। और एक असमर्थनीय गलत धारणा का अपने आप निराकरण हो जाता है।

इस माँग को सम्पूर्ण मंच द्वारा उठाया जाए या मंच में सम्मिलित हुए आर्थिक क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं तक ही अभी तक इस दायित्व को सीमित रखा जाए, इस पर अगली बैठक में विचार होगा ऐसा नागपुर की बैठक में तय हुआ था। इस पर हम यहाँ विचार करेंगे।

नागपुर बैठक में तय किया गया था कि स्वदेशी जागरण के नित्य कार्यक्रमों के साथ ही उसके सघन प्रचार के लिए एक पखवाड़ा भी मनाया जाए। किन्तु इसमें सहभागी होने वाले देशभक्तों की सुविधा-असुविधा को ध्यान में रखकर यह भी तय किया गया कि हर प्रदेश इस पखवाड़े के लिए उपयुक्त समय स्वयं निश्चित करें। इस वर्ष भी निर्धारित नित्य कार्यक्रमों के साथ सघन प्रचार के लिए एक पखवाड़ा या सप्ताह मनाने का विचार उपयुक्त होगा क्या, यह विचार यहाँ करना है। मनाने का निर्णय हुआ तो यह भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे सप्ताह या पखवाड़े का समय क्या रहे। क्योंकि इसमें सक्रिय होने वाले देशभक्तों के सामने और भी राष्ट्रीय महत्व के आह्वान है। सप्ताह या पखवाड़े के समय का निर्णय राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रकाश में करना होगा।

वैसे ही उस अवधि में करणीय कार्य के स्वरूप पर भी विचार करना है। गतवर्ष के समान प्रचारकार्य तो सघन रूप से होना चाहिए। किन्तु इस वर्ष क्या हम इस कार्य में कोई नया आयाम भी जोड़ सकते हैं? जैसे- जिन शासकीय, औद्योगिक, शैक्षणिक या अन्य संस्थाओं में थोक खरीदी होती है, उदाहरण-

चपरासियों की वर्दियों के लिए कपड़े की थोक खरीदी; उन संस्थाओं के संचालकों से मिलकर उन्हें प्रार्थना करना कि उनकी सम्पूर्ण खरीदी स्वदेशी वस्तुओं की ही हो। ऐसे और भी कुछ आयाम हो सकते हैं क्या? जो नये हो तथा व्यावहारिक भी।

नागपुर बैठक में निश्चय हुआ था, तद्नुसार वैकल्पिक स्वदेशी-विदेशी वस्तुओं की सूचियाँ मंच की ओर से प्रकाशित हुई। ये सूचियाँ प्राथमिक स्वरूप की तथा अपूर्ण थी, यह स्पष्ट है। उसी समय यह भी सूचित किया गया था कि इस विषय में नई जानकारी जैसे-जैसे प्राप्त होगी, वैसे-वैसे वह प्रकाशित की जाएगी। यह कार्य चल रहा है। यह भी सही है कि इस समय हमारा ध्यान उपभोक्ता वस्तुओं तथा दवाइयों तक ही सीमित है। किन्तु इस कार्य को निरापद रूप से चलाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि 'स्वदेशी' तथा 'विदेशी' (उद्योग) की शास्त्रशुद्ध परिभाषा प्रथम निश्चित हो। इसकी शास्त्रशुद्ध कसौटियाँ तय की जाए। गहन तथा सूक्ष्म चिंतन के पश्चात ही इस विषय का निर्णय हो सकता है। कुल मिलाकर आज की औद्योगिक रचना इतनी उलझन वाली हो गई है कि उपयुक्त कसौटियाँ तुरन्त तय करना यह सरल कार्य नहीं है। यह कार्य हमें इस बैठक में पूरा करना है।

साथ ही और एक पहलू पर विचार करना है। आज हम सभी उपभोक्ता वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित कर रहे है। यह तो जारी रखना ही है। किन्तु इसके साथ ही दो या तीन नित्योपयोगी उपभोक्ता वस्तुओं (जैसे टूथपेस्ट, साबुन आदि) को अपना प्रमुख निशाना बनाकर उन पर प्रचार अधिक केन्द्रित किया तो उसमें कुछ अधिक ठोस परिणाम प्राप्त हो सकते हैं क्या? इसके दोनों (अस्ति-नास्ति) पक्षों पर इस बैठक में विचार होना उपयुक्त रहेगा।

पिछली बैठक के बाद, बीच की कालावधि में परिस्थिति में एक गुणात्मक परिवर्तन आया है। अपना कार्य प्रारम्भ हुआ उस समय कुछ सद्भावनापूर्ण बंधुओं के मन में यह संदेह था कि विदेशी आर्थिक साम्राज्य के विषय में स्वदेशी जागरण वालों का प्रतिपादन कहीं अत्युक्तिपूर्ण तो नहीं? स्वदेशी का सिद्धान्त तो अच्छा ही है, किन्तु आर्थिक गुलामी का जो चित्र ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, वह अतिरंजित तो नहीं? अब डंकेल प्रस्तावों के कारण उनका वह संदेह भी दूर हो गया है। किन्तु यह भी सत्य है कि सर्वसाधारण जनता उन प्रस्तावों के स्वरूप से तथा परिणामों से प्राय: अपरिचित है। विशेष रूप से जिन किसानों पर इन प्रस्तावों के कारण वज्रघात होने वाला है, वे इस विषय में पूर्णरूपेण अज्ञानी अतएव उदासीन हैं। वे कल्पना ही नहीं कर सकते कि पश्चिम के विदेशी पूँजी वाले उनके कृषि माल के लिए नई मंडियाँ निर्माण करने के प्रयास में तृतीय विश्व के सभी देशों की कृषि नष्ट करना चाहते हैं। उद्योग के क्षेत्र में विदेशी आर्थिक साम्राज्य के अग्रदूत के रूप में विदेशी तकनीकी आ गई है और आ रही है और उसके अविवेकपूर्ण प्रयोग के भीषण दुष्परिणामों के विषय में सभी को गुमराह करने की दृष्टि से आकर्षक तथा व्यापक प्रचार जोरों से चल रहा है। अज्ञान के कारण सामान्य भारतीय नागरिक विदेशी ऋण के विषय में उदासीन है। वह सोचता है कि इस विषय में मेरा क्या लेना-देना है, यह सरकार का सिरदर्द है, सरकार इसको देख ले। संकट सभी दिशाओं से बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस नाते अब तक हुई हमारी प्रगति असमाधान कारक नहीं है। किन्तु निरंतर बढ़ रहे आह्वानों के परिप्रेक्ष्य में हमारे कार्य की गति अति असंतोषजनक प्रतीत होती है। सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि कम-से-कम समय में इस जागरण को सर्वव्यापी बनाने की दृष्टि से मंच के कार्य की रचना कैसी हो, इस विषय की स्पष्ट कल्पना कार्यकर्ताओं के मन में अब तक नहीं है। सार्वजनिक जीवन में

लोगों को संस्था प्रधान रचना का ही अभ्यास सामान्यत: हुआ करता है। संस्था प्रधान रचना के कारण कार्य पर आने वाली मर्यादाओं से सभी परिचित है। इन मर्यादाओं के रहते हुए कार्य सर्वसमावेशक नहीं हो सकता, यह भी वे जानते हैं। कार्य को सर्वसमावेशक बनाने की उनकी हार्दिक इच्छा भी है। किन्तु सोचते है कि आखिर संस्था प्रधान रचना को छोड़कर और कौन-सी रचना हो सकती है? कोई भी कार्य करना है तो उसको संस्था के स्वरूप के ढांचे में बिठाना पड़ेगा; जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री आदि पदाधिकारियों का अस्तित्व अनिवार्य हो जाता है।

इस बैठक में हमें सोचना है कि हमारे उद्देश्य की दृष्टि से किस तरह की रचना 'मंच' के लिए अनुकूल रहेगी। परंपरागत, रूढ़, संस्था प्रधान रचना के आधार पर हम आज के अभूतपूर्व संकट का सामना नहीं कर सकते। असामान्य आह्वान असामान्य रचना की अपेक्षा करते हैं।

आक्रमण जितना सर्वव्यापी है, उतनी ही सर्वव्यापी कार्य रचना होना आवश्यक है। संस्था प्रधान रचना की भी अपनी एक विशेष स्वरूप की शक्ति हुआ करती है। सामान्य परिस्थिति में वह शक्ति परिणाम कारक होती है, इच्छित-फलदायी सिद्ध हो सकती है। किन्तु उस रचना की मर्यादाओं के कारण संस्था प्रधान रचना सर्वसमावेशक नहीं हो सकती। समान उद्देश्य को तथा उसकी प्राप्ति के लिए मोटे तौर पर तय की गई सर्वसम्मत रणनीति को ध्यान में रखकर देश में विभिन्न मतावलंबी देशभक्त विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से या व्यक्ति-समूह के रूप में, स्वयं प्रेरणा से तथा स्वयं की उपक्रमशीलता के आधार पर अकेले-अकेले या अन्य व्यक्ति-समूहों से मिलकर, कार्य के लिए सोत्साह आगे बढ़ रहे

हैं यह दृश्य संस्थाप्रधान रचना के फलस्वरूप निर्माण नहीं हो सकता। ध्येय की समानता तथा स्थूल रूप से स्वीकृत की गई सर्वसम्मत रणनीति- ये दो बातें तो अनिवार्य हैं। किन्तु विभिन्न व्यक्ति-समूहों की अस्मिता को अक्षुण्ण, कायम रहने देते हुए उनकी सभी शक्तियों का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए हो सके, इसकी गुंजाइश संस्था प्रधान रचना में हो नहीं सकती।

इस संदर्भ में एक समानांतर उदाहरण देना उपयुक्त रहेगा। किसी भी देश की सुरक्षा का आधार उस देश की जल-थल-अंबर की नियमित सेनाएं ही हुआ करती हैं। दूसरे देश पर आक्रमण करने की योजना हो तो उसका भी आधार नियमित सेनाएं ही हुआ करती हैं। किन्तु जब किसी पराये देश का सर्वव्यापी आक्रमण होता है, उसके दबाव के नीचे स्वदेश की प्रस्थापित संस्थाएँ तथा सैनिकी रचनाएँ नष्ट या निष्प्रभ हो जाती हैं, तब देशभक्त प्रतिकारक किस रचना को स्वीकार करते हैं? औरंगजेब की विशाल आक्रामक सेना पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न समय में स्वयंप्रेरणा से हमले करते हुए उसको हमेशा चिंताग्रस्त रखने का काम करने वाले गुरिला-युनिट्स को संस्थाप्रधान रचना की संज्ञा दी जा सकती है क्या? विभिन्न रचनाओं का महत्त्व विभिन्न स्वरूपों का हुआ करता है। अटक पर भगवा ध्वज लहराने वाले साबाजी शिंदे की नियमित सेना का अपना एक वैशिष्ट्यपूर्ण महत्व है, औरंगजेब की सेना की नींद हराम करने वाले धनाजी-संताजी के अनियमित गुरिला-युनिट्स का अपना एक अलग वैशिष्ट्यपूर्ण महत्व है। विभिन्न परिस्थितियाँ, विभिन्न रचनाओं की माँग करती हैं। स्वदेशी का अभियान पूर्णरूपेण शांतिपूर्ण तथा अहिंसात्मक है। इस अभियान में सहभागी होना यह सभी देशभक्तों का अधिकार तथा कर्तव्य है। अपनी-अपनी व्यक्तिगत या समूहगत अस्मिता को कायम रखते हुए सभी इसमें सहभागी हो

सकें ऐसी रचना का हमें विकास करना होगा। इस दृष्टि से पहली आवश्यकता यह है कि हममें से हर एक कार्यकर्ता के मन में यह भाव दृढ़ होना चाहिए कि 'स्वदेशी जागरण मंच' यह संस्था नहीं है, जन-आंदोलन है। इस दृष्टि से उपयुक्त रचना का विचार हमें इस बैठक में करना है। वैसे ही यह जन-आंदोलन ग्राम-ग्राम तक कैसे फैलाया जा सकता है, इसकी भी योजना यहाँ बनानी है।

हमारे लिए यह हर्ष का विषय है कि सरकार्यवाह आदरणीय शेषाद्रीजी इस बैठक में हमारे साथ है। इस बैठक की व्यवस्था का दायित्व 'मंच' की मुम्बई समिति के कार्यकर्ताओं ने सफलतापूर्वक निभाया है। हम सब इस सप्रेम आतिथ्य के लिए उनके हृदय से आभारी हैं। यह उल्लेखनीय है कि मुम्बई समिति में विभिन्न विचारधाराओं के स्वदेशभक्त बंधु क्रियाशील हैं।

बैठक में सभागृह का नाम 'बाबू गेनू' सभागृह रखा गया है। स्वदेशी आंदोलन के इतिहास में 'बाबू गेनू' का स्थान वैशिष्ट्यपूर्ण है। दिनांक 12 दिसम्बर, 1930 को मुम्बई के कपड़ा बाजार के इस कामगार ने कालबादेवी रोड़ पर विदेशी वस्त्रों की गाड़ी को रोकने के प्रयास में हौतात्म्य स्वीकार किया था। स्वदेशी के जागरण का सूत्रपात वैसे तो लाल-बाल-पाल तथा युवा सावरकर के समय ही हो चुका था। किन्तु इस प्रयास में प्रत्यक्ष आत्म-बलिदान करने वाले प्रथम हुतात्मा बाबू गेनू थे। उनकी स्मृति स्वदेश भक्तों को सदैव प्रेरणादायक रहेगी। इस संदर्भ में सामूहिक कार्यवाही के नाते सन् 1932 में हुई गोदी कामगारों की हड़ताल का भी उल्लेख यहाँ करना अप्रासंगिक नहीं होगा।

एक वर्ष पूर्व इस आंदोलन का श्रीगणेश हुआ। स्वातंत्र्य के द्वितीय युद्ध के प्रारंभ की घोषणा हुई। इस अवधि में जो तरह-तरह के अनुभव आए उनको तथा

परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में हम, संपूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता के अपने चिरवांछित ध्येय के प्रकाश में, कार्य की आगामी दिशा तय करने वाले हैं। हमारे संकल्प विशुद्ध होने के कारण हमारे निर्णय समुचित ही रहेंगे, इसमें संदेह नहीं।

इस कारण हमारी कल होने वाली सार्वजनिक सभा का व्यवहारिक अर्थ होगा।

पुनश्च हरि: ॐ

धन्यवाद।

****

निर्णायक संघर्ष की ओर

4-5 सितम्बर, 1993 को दिल्ली में सम्पन्न स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय श्री दत्तोपंत ठेंगडी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन।

मुंबई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अगले वर्ष के उत्तरार्द्ध में स्वदेशी जागरण मंच का प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन दिल्ली में संपन्न होना चाहिए। तदनुसार यह द्विदिवसीय अधिवेशन आज यहाँ हो रहा है।

यह संयोग की बात है कि यह अधिवेशन एक ऐतिहासिक महत्व के अवसर पर हो रहा है। मंच का कार्य नियमित, योजनाबद्ध रूप से चल ही रहा है। उसी के अंतर्गत इस अधिवेशन का आयोजन किया गया है। किन्तु एक विशेष घटना के कारण इस अधिवेशन को ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हो गया है।

लोकसभा का पिछला सत्र दिनांक 27 अगस्त को ही समाप्त होने वाला था। उसको एक दिन के लिए और बढ़ाया गया। उद्देश्य बताया गया 'कुछ अति आवश्यक विषयों पर चर्चा।' जिनमें प्रमुख विषय था डंकेल प्रस्ताव, किन्तु दिनांक 27 अगस्त को विषयों की रचना इस ढंग से की गई कि डंकेल प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए न्यूनतम समय भी उपलब्ध न हो सके। इस पर विपक्षी सांसदों ने सरकार से इस आश्वासन की माँग की कि सरकार किसी भी हालत में संसद की अनुमति के बगैर इस महत्वपूर्ण विषय पर अंतिम निर्णय नहीं लेगी और गैट समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने ऐसा आश्वासन देने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जहाँ वे

संसद की स्वीकृति की प्रक्रिया का औचित्य समझ सकते हैं वहाँ वे विपक्षी सदस्यों द्वारा मांगा गया आश्वासन देने में स्वयँ को असमर्थ पाते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामले बाह्य परिस्थिति के कारण कभी-कभी इतने अधिक गंभीर हो जाते हैं कि उस अवस्था में अधिक प्रतीक्षा करना असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में संसद की अनुमति की राह न देखते हुए किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये सरकार विवश हो सकती है।

प्रधानमंत्री का यह कथन सरकार के गलत इरादों को नि:संदिग्ध शद्बों में प्रकट करता है। इस पृष्ठभूमि के कारण 'मंच' के प्रस्तुत अधिवेशन को असाधारण महत्व प्राप्त हो गया है।

दिनांक 22 नवम्बर, 1992 की शाम को मुम्बई एकत्रीकरण का खुला अधिवेशन हुआ। उसकी कार्यवाही के कारण 'स्वदेशी जागरण मंच' की सर्वसमावेशकता का परिचय सबको हुआ। श्रीमती रोझा देशपांडे तथा श्री एस० आर० कुलकर्णी के भाषणों से 'मंच' की विशुद्ध देशभक्ति की भूमिका स्पष्ट हुई। उस एकत्रीकरण की यह विशेषता उल्लेखनीय है।

इसका एक प्रत्यक्ष परिणाम यह भी रहा कि 'मंच' की संगठनात्मक रचना के विषय में लिए गए निर्णय का आज की स्थिति में औचित्य आसानी से सबके ध्यान में आ सका। मुम्बई बैठक के पूर्व, कम से कम समय में इस जागरण को सर्वव्यापी बनाने की दृष्टि से 'मंच' के कार्य की रचना कैसी हो, इस विषय की स्पष्ट कल्पना कार्यकर्त्ताओं को नहीं थी। सार्वजनिक जीवन में लोगों को संस्था-प्रधान रचना का ही अभ्यास सामान्यत: हुआ करता है। संस्था-प्रधान रचना के कारण कार्य पर आने वाली मर्यादाओं से सभी परिचित थे। इन मर्यादाओं के

रहते हुए कार्य सर्वसमावेशक नहीं हो सकता, यह भी वे जानते थे। कार्य को सर्वसमावेशक बनाने की सबकी हार्दिक इच्छा भी थी। किन्तु सोचते थे कि आखिर, संस्था-प्रधान रचना को छोड़कर और कौन-सी रचना हो सकती है? कोई भी कार्य करना है तो उसको संस्था के स्वरूप के ढांचे में बिठाना पड़ेगा- जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री आदि पदाधिकारियों का अस्तित्व अनिवार्य हो जाता है। प्रदीर्घ चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि शीघ्र कार्य विस्तार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर परंपरागत, गूढ़ संस्था प्रधान रचना को छोड़कर 'संयोजक'-'समिति' प्रधान खुली रचना का ही स्वीकार संगठनात्मक दृष्टि से किया जाए। इसका औचित्य इस कारण भी सबको प्रतीत हुआ कि 'स्वदेशी जागरण मंच' को हम सब संस्था के रूप में नहीं, बल्कि जन-आंदोलन के रूप में विकसित करना चाहते हैं।

यह निर्णय कितना सुयोग्य था, यह खुले अधिवेशन के स्वरूप से अनायास ही सबके ध्यान में आ गया। यह भी एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही।

दिनांक 22 नवम्बर के पश्चात एक पखवाड़े के बाद ही देश के मनोवैज्ञानिक वायुमंडल में महान परिवर्तन आया। दिनांक 6 दिसम्बर की अभूतपूर्व क्रांतिकारी घटना का यह अद्‌भुत परिणाम था। सभी देशभक्त तथा देश विरोधी तत्व उस वायुमंडल से सक्रिय रूप से प्रभावित हो रहे थे। यह वातावरण 'मंच' जैसे कार्य को बढ़ाने की दृष्टि से अनुकूल नहीं था। तो भी 'मंच' के कार्यकर्ताओं के लिए यह अभिनन्दनीय बात रही कि इस तरह के प्रतिकुल वातावरण में भी उन्होंने अपना कार्य तत्परता से जारी रखा।

भारतीय शिक्षण मंडल, वनवासी कल्याण आश्रम, स्वदेशी साइन्स मूवमेंट, शैक्षिक महासंघ, संस्कार भारती इन संस्थाओं ने अपनी-अपनी संस्था के मंच से तथा अपने विभिन्न संस्थागत कार्यक्रमों में स्वदेशी के प्रचार को अग्र क्रम दिया।

विद्याभारती का स्वदेशी से संबंधित सघन तथा व्यापक रचनात्मक कार्य पूर्ववत् इन दिनों में भी चलता रहा और कार्य की व्याप्ति बढ़ाने की दृष्टि से तत्परता का परिचय भी विद्याभारती ने दिया। छोटे बालकों के माध्यम से देशभक्ति तथा स्वदेशी का प्रचार उनके परिवारों के बड़े लोगों में करना यह विशेषता उनके कार्य की रही है।

राष्ट्र सेविका समिति ने प्रारम्भ से ही स्वदेशी अभियान हाथ में लिया था। समिति ने घर-घर में जाकर स्वदेशी का संदेश परिवार वालों को दिया। उनके कार्य के कारण ही हम लोगों के ध्यान में आया कि इस अभियान में महिलाएं किस तरह सामरिक महत्व की भूमिका का निर्वाह कर सकती हैं। मुंबई बैठक के बाद समिति की सेविकाओं ने अपनी अन्य जिम्मेदारियों को संभालते हुए भी स्वदेशी जागरण का कार्य पूर्ववत् सघनता के साथ जारी रखा। महिलाओं में और उनके माध्यम से उनके परिवारों में स्वदेशी का भाव जागृत करने का कार्य पहले से अधिक व्यापक मात्रा में उन्होंने किया और वह भी किसी तरह का डिंडिम न बजाते हुए।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने अपने सभी सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों का एक अविभाज्य अंग इस नाते स्वदेशी को रखा ही, किन्तु इसके अलावा 'स्वदेशी' के लिए कई स्वतंत्र कार्यक्रम भी आयोजित किए। युवा पीढ़ी में स्वदेशी रूचि पैदा करने का कठिन कार्य विद्यार्थी परिषद् के कारण हो सका। वैसे ही

डंकेल प्रस्तावों के सर्वनाशक स्वरूप के विषय में सर्वसाधारण जनता को सावधान करने का कार्य भी विद्यार्थी परिषद् ने किया।

सहकार भारती के तत्वावधान में महाराष्ट्र के ग्रामीण विभाग में कई सभाएँ आयोजित की गई, जिनके द्वारा किसानों को यह बताया गया कि डंकेल प्रस्ताव किस तरह किसानों के, कृषि तथा सहकारी आंदोलन के लिए खतरनाक है।

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने प्रारंभ से ही इस आंदोलन को चुस्ती के साथ चलाया था। मुंबई बैठक के बाद वायुमंडल प्रतिकूल होते हुए भी पंचायत के कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी का प्रचार तथा डंकेल प्रस्तावों के विषय में ग्राहकों का प्रशिक्षण; दोनों मोर्चों पर प्रशंसनीय सक्रियता का परिचय दिया।

इस बीच दिनांक 20 अप्रेल को भारतीय मजदूर संघ ने डंकेल के प्रति देश के मजदूरों का तीव्र रोष प्रकट करने के लिए दिल्ली के लाल किले पर एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया। देश के मजदूरों की डंकेल विरोधी ऐसी यह पहली ही रैली थी।

भारतीय किसान संघ की सभी इकाइयों ने इस अवधि में देश के ग्रामीण अंचलों में सघन प्रचार किया। दिनांक 31 जनवरी को गुजरात किसान संघ ने केवल इसी विषय पर गांधी नगर में प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें गुजरात के सभी जिलों से 40 हजार किसानों ने हिस्सा लिया। कच्छ-भुज में कारगिल कंपनी के विरोध में वक्तव्य जारी करने का काम तो सभी वृत्तपत्रीय नेताओं ने किया, किन्तु प्रभावी विरोध-प्रदर्शन का कार्य केवल भारतीय किसान संघ ने किया। दिनांक 24 जून को हुए इस कारगिल तथा डंकेल विरोधी प्रदर्शन में

कच्छ-भुज के 50 हजार किसान सम्मिलित हुए, जिनमें 8000 महिलाएं भी थी। प्रदर्शन में ट्रैक्टर, मैटाडोर, ट्रक, जीप आदि वाहनों की संख्या 1600 थी।

सारांश, दिनांक 22 नवम्बर के बाद देश का वायुमंडल अन्य तरह का रहते हुए भी, स्वदेशी जागरण कार्य अनवरत रूप से अब तक चलता आया है।

यद्यपि यह सही है कि एक नए अभियान के नाते स्वदेशी जागरण मंच की अब तक की गतिविधियाँ असमाधान कारक नहीं कही जा सकती, तो भी यह भी सत्य है कि यह आंदोलन अब तक उतना शक्तिशाली नहीं हो सका जितना विदेशी आर्थिक साम्राज्यवाद को रोकने के लिए आवश्यक था। एक तो सामान्यजनों से कटे हुए हमारे तथाकथित बुद्धिवादी उच्च मध्यमवर्गीय लोग स्वदेशी की गंभीरता को न समझने के कारण अपनी विदेशी परस्त आदतों को देश के हित में छोड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे। देश जीवन-मरण के संघर्ष में से गुजर रहा है इसका आभास गरीब लोगों की बस्तियों में लोगों को जल्दी होता है, किन्तु इस गरीब देश के वातानुकूलित बुद्धिजीवियों को यह साक्षात्कार जल्दी नहीं हो सकता। उपभोगवादी जीवन की आदतें और ध्येयवादी व्यवहार, दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। और फिर अपने उपभोगवाद को ही प्रगतिशीलता मानने के पश्चात उसको त्यागने की बात मन में निर्माण नहीं हो सकती। इन लोगों की संख्या अत्यल्प है। किन्तु आज की व्यवस्था में ये सामरिक महत्व के स्थान पर आसीन है। इस कारण सार्वजनिक नेताओं के मन पर इनका दबाव रहता है। यद्यपि देश के करोड़ों गरीब लोगों पर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं है।

दूसरी बात यह है कि स्वदेशी के प्रचार तथा डंकेल प्रस्तावों के विरोध, इसका आज की स्थिति में कितना महत्व है, यह बहुसंख्य लोग ठीक ढंग से समझ रहे हैं, तो भी राष्ट्रहित की तुलना में अपने-अपने दलगत स्वार्थ को ही अधिक महत्वपूर्ण मानने की दशकों की आदत के कारण इस विषय पर सहमति होते हुए भी एक मंच पर आकर, कंधे से कंधा लगाकर खड़े होने की प्रवृत्ति का अभाव राजनैतिक दलों में दिखाई देता है। स्वदेशी के सूर्य का उदय हो यह सब चाहते हैं, किन्तु हर एक यह भी चाहता है कि मेरे मुर्गे के बांग देने पर ही भगवान सूर्यनारायण को ऊपर आना चाहिए, दूसरे किसी के मुर्गे के बांग पर यदि उनका उदय होता है तो उसका स्वागत नहीं किया जा सकता।

स्वदेशी के मुद्दे पर देश में ही सर्वांगीण एकता निर्माण न होने के कारण इसका एक आवश्यक कार्य भी सघन रूप से करना कठिन हो जाता है। वह यानी विदेशी आर्थिक साम्राज्यवाद से पीड़ित सभी अविकसित देशों के देश भक्तों के साथ सम्पर्क प्रस्तापित करना है और सभी अविकसित देशों के राष्ट्रभक्तों का संयुक्त मोर्चा साम्राज्यवाद के विरोध में निर्माण करना।

इस कार्य का प्रारम्भ तो हो चुका है, किन्तु जितनी शीघ्रता से यह आगे बढ़ना आवश्यक है उतनी शीघ्रता से इस कार्य का विस्तार नहीं हो रहा।

और दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय से संबंधित घटनाचक्र अत्यधिक तेजी से गतिमान हो रहा है।

पूर्व साम्राज्यवादी देशों की आर्थिक स्थिति पहले से ही बिगड़ रही थी। इसी कारण गेट (GATT) के टेबल पर चार नए विषय ले आना उनके लिए अपरिहार्य हो गया था। किन्तु पिछले कुछ दिनों में उनकी अर्थव्यवस्था उनके

लिए अनपेक्षित गति से गिरावट की ओर जा रही है। अमेरिका में यह खुले आम स्वीकार किया जा रहा है कि सन् 1930-31 के पश्चात आज के जैसी महान संकटमय स्थिति कभी भी निर्माण नहीं हुई थी। पीटर ड्रकर जैसे विशेषज्ञ सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी पूंजीवादी व्यवस्था शीघ्र ही टूटने वाली है। रॉबर्ट सैम्युअलसन जैसे अमेरिकी पूंजीवाद के प्रमुख प्रवक्ता यह लिखने में संकोच नहीं कर रहे हैं कि द्वितीय महायुद्ध के पश्चात सर्वसाधारण अमेरिकी नागरिकों के मन में अमेरिका की समृद्धि के विषय में जो एक मोहमय धारणा निर्माण हुई थी वह एक मृगमरीचिका मात्र थी। यह सिद्ध हुआ है और इस कारण उनका 'एज ऑफ एनलायटमेंट' का युटोपिया अब नष्ट हो रहा है। इस कारण उनका धैर्य अब समाप्त हो रहा है। अपनी अर्थव्यवस्था को जैसे-तैसे टिकाए रखने के लिए अविकसित देशों का पूर्णरूपेण शोषण करने का उनका षड्यंत्र पहले से ही चल रहा था। इस षड्यंत्र के लिए अनुकूल, स्वजन विरोधी नेताओं को अविकसित देशों के शासन में बिठाना और कायम रखना, यह गोरखधंधा भी पहले से चल रहा था। किन्तु जब जागतिक शोषण की यह प्रक्रिया शीघ्रातिशीघ्र पूरी नहीं हुई तो अपनी अर्थव्यवस्था को जैसे-तैसे टिकाना भी निकट भविष्य में असंभव हो जाएगा, यह धारणा सफेद साम्राज्यवादी देशों में बढ़ रही है। इसी कारण डंकेल के उत्तराधिकारी, गैट के महानिदेशक पीटर सदरलैंड सोच रहे हैं कि यह सारी प्रक्रिया आगामी दिनांक 14 दिसम्बर तक पूरी होनी चाहिए। इस दृष्टि से तृतीय विश्व के सभी देशों पर अत्यधिक दबाव डालने का काम गैट ने प्रारंभ किया है। हमारे प्रधानमंत्री का उपर्निर्दिष्ट कथन इसी दबाव के परिणामस्वरूप है।

हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे दबाव का सफल प्रतिकार करने के लिए राष्ट्रीय इच्छाशक्ति का जागरण कितने विस्तृत पैमाने पर और कितने शीघ्र होने की आवश्यकता है। कार्य बहुत कठिन है और समय बहुत कम है। ऐसी ऐतिहासिक महत्व की घड़ी में हम लोग 'मंच' के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधि स्वयं राष्ट्रीय इच्छाशक्ति से ओतप्रोत हैं। परिस्थिति का हर एक नया आह्वान याने अपने कर्तव्य का परिचय देने के लिए प्राप्त हुआ नया सुअवसर है, यह धारणा रखने वाले वीरव्रती ही इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। परिस्थिति के कारण इस अधिवेशन को ज्ञानतापूर्ण तथा संवैधानिक मार्गों से संघर्ष चलाने वाले दायित्वपूर्ण देशभक्तों का 'वॉर कॉन्सिल' (युद्ध समिति) यह स्वरूप प्राप्त हो गया है। देश को यह विश्वास है कि बाह्य शक्तियाँ कितनी ही प्रबल क्यों न दिखाई देती हो, उनका प्रतिकार करने की बीजभूत क्षमताएं इस सनातन राष्ट्र में हैं और इस राष्ट्र को उचित ढंग से आह्वान करने की मानसिक क्षमता यहाँ सम्मिलित हुए प्रतिनिधियों में है। संघर्ष की निर्णायक अवस्था में समस्या का सर्वांगीण विचार शांत चित से करना, परिस्थिति के तनाव का परिणाम अपनी निर्णयशक्ति पर न होने देना, यही हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। भगवान ने कहा है- 'युद्धस्व: विगतज्वर:।' सब तरह के मानसिक तनावों से मुक्त होकर युद्ध करो। इसी मानसिकता में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहते हुए आगामी रणनीति आप निश्चित करेंगे, यह विश्वास नियति को है।

*****

संरचना और कार्य पद्धति

सन्न 2000 मे वृन्दावन में आयोजित स्वदेशी जागरण मंच की चिन्तन बैठक में राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी द्वारा दिया गया उद्‌बोधन -

'स्वदेशी जागरण मंच का निर्माण' इस विषय पर मैं थोड़ी देर बोलने वाला हूँ। ऐसा लगता है, इस चिन्तन बैठक में उपस्थित नये लोगों को पहले रखे गए विचारों की जानकारी नहीं होगी। जब स्वदेशी जागरण मंच का निर्माण हुआ, उस समय क्या-क्या विचार किया गया? इस विषय में अभी तक जितना सोचा गया है, केवल उतना ही आपके सामने रखूँगा।

कुछ तीस-एक लोग (संघ के स्वयंसेवक) जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे थे, नागपुर में एकत्रित हुए और फिर सोचा गया कि एक संस्था की आवश्यकता है। आपस में विचार हुआ- स्वदेशी का अर्थ क्या होगा, स्वदेशी का प्रस्ताव (रिजोल्युशन) क्या होगा? सोचा गया, यह सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन की व्यापकता के समान व्यापक होगा (इट इज एज़ वाइड एज़ दि इन्टायर नेशनल लाइफ)। राष्ट्रीय जीवन (नेशनल लाइफ) का जितना क्षेत्राधिकार (जुरिस्डिक्शन) है, उतना ही स्वदेशी का है। उसमें राष्ट्रीय जीवन का सब कुछ आ जाता है, किन्तु सभी बातें पूरी तरह समाहित कर लेना संभव नहीं हैं।

आर्थिक मोर्चा ऐसा है, जहाँ कार्य करने वाली कोई अपनी इकाई नहीं है। अन्य क्षेत्रों में अपनी इकाइयां कार्य कर रही हैं- जैसे सांस्कृतिक क्षेत्र है, हिन्दू विज्ञान-आयुर्वेद आदि शिक्षा प्रणाली, संस्कारक्षम साहित्य, इतिहास का पुनर्लेखन,

अश्लील पोस्टरों का विरोध, विकृत सौन्दर्य स्पर्धा का विरोध, ऐसी कई बातें हैं जिन पर ध्यान रखने वाले लोग, नेता गण एवं सस्थाएँ कुछ सक्रिय हैं। कुछ सक्रिय हो सकती हैं। उनके साथ सम्पर्क रखा जाए, उनकी गतिविधियों को समायोजित किया जाए, 'उन्हें प्रचलित किया जाए तो पर्याप्त कार्य हो सकता है। किन्तु आर्थिक मोर्चे पर अपनी कोई इकाई नहीं होने के कारण हमें इस दिशा में अपना ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक होगा।

इस उद्देश्य से बनाई जानेवाली संस्था का स्वरूप क्या होना चाहिए- इस विषय में सोचा गया कि जैसे भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिन्दू परिषद है, इसी प्रकार के संघ और परिषद दोनों नाम विचार के लिए आए। पर दोनों नाम न लेते हुए जानबूझ कर मंच (फोरम) नाम रखा गया। इसका अर्थ आप लोग समझ सकते हैं, स्वदेशी है - मंच। इसका काम क्या है? आन्दोलन-संघर्ष। वे दोनों शद्व पर्याप्त नहीं लगे। आन्दोलन-संघर्ष की प्रेरणा और आधार जन-जागरण ही होता है, यही प्रमुख बात होती है। इसी में आन्दोलन और संघर्ष की सारी बातें आने वाली हैं। आन्दोलन और संघर्ष इन दोनों शद्वों को भी अस्वीकार कर जागरण शद्व को लिया गया और नाम रखा गया - स्वदेशी जागरण मंच।

उस समय विभिन्न क्षेत्रों से सात लोगों को लेकर इस संस्था की रचना की गई। इसमें केवल संयोजक को नियुक्त किया गया। अपने माननीय मदनदास जी को संयोजक के नाते दायित्व दिया गया और अध्यक्ष के नाते माननीय बोकरे जी का नाम आया। फिर भी बोकरे जी को अध्यक्ष नहीं कहा गया, किसी को

सचिव नहीं कहा गया। सहायक के नाते चार संयुक्त सचिव रखे गए और श्री एम० जी० बोकरे जी को राष्ट्रीय संयोजक कहा गया।

यहाँ बोकरे जी की एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख आवश्यक है। बोकरे जी कट्टर कम्युनिस्ट रहे। युनिवर्सिटी में इन्होंने अपने क्लास रूम का उपयोग कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों की भर्ती के लिए किया। ये संघ परिवार के विरोधी थे, संघ पर टीका टिप्पणी करने वाले थे, आर० एस० एस०, भारतीय मजदूर संघ और व्यक्तिगत मेरे भी विरोधी थे। ऐसे थे हमारे बोकरे जी। इन्हें राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया। इन्होंने 'थॉट फॉर डिस्क्राइब हिन्दू इकोनॉमिक्स' नामक एक शास्त्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा।

हिन्दू इकोनॉमी के विभिन्न पक्षों पर अलग-अलग लेख और पुस्तकें आई होंगी। किन्तु वर्तमान परिस्थिति में समग्र रूप से सभी आयामों को लेकर यह पहला ग्रंथ आया। इस ग्रंथ को एकेडमिक क्षेत्र में काफी मान्यता प्राप्त है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इसका विमोचन हुआ। यहाँ के ग्रंथालय में इसे रखा गया। अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी और हैदराबाद मुस्लिम युनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर रहे मिस्टर खुसरो ने दिल्ली में हुए एक सेमिनार में प्रकट रूप से हिन्दू इकोनॉमिक्स की तारीफ की। उन्होंने कहा था कि यह इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए। इस्लामिक और क्रिश्चिन इकोनॉमिक्स भी है। इन तीनों के प्रवर्तकों के विचारों को बार-बार एकत्रित रूप से विवेचन करके मानव जाति के लिए सर्वोचित आर्थिक व्यवस्था क्या हो, इसे खोजना चाहिए। इस विषय में श्रेष्ठता विषयक किसी विवाद को नहीं उठाना चाहिए। बंगलोर में जब इस्लामिक इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेन्स ऑफ इण्डिया का त्रिदिवसीय सम्मेलन हुआ, उसमें

इस्लामिक इकोनॉमिक्स की यह जो विशेषता है कि इन्ट्रेस्ट फ्री इकोनॉमिक्स हो, उसे आज की परिस्थिति में कैसे व्यावहारिक बनाया जा सकता है, इस विषय में अपना विचार रखने के लिए वहाँ बोकरे जी को निमंत्रित किया गया। ऐसे सुयोग्य विद्वान व्यक्ति को राष्ट्रीय संयोजक का दायित्व सौंपा गया।

फिर सोचा गया, ढाँचा है तो इसका स्वरूप क्या रहेगा? तो स्वाभाविक है कि संगठन रहे। किन्तु संगठन माने क्या? आजकल संगठन का अर्थ संवैधानिक ढाँचा (कान्सटिट्यूशनल बॉडी) निर्माण करना होता है। जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव आदि लोग होते हैं। यह वैचारिक आन्दोलन (थॉट मूवमेंट) है। वैचारिक आन्दोलन के लिए इस तरह की रचना करने की आवश्यकता नहीं है। फिर सोचा गया, जगह-जगह ऐसे दलों का निर्माण होना चाहिए, जो ध्येयवादी हों। और वहाँ भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष न रखते हुए एक संयोजक, एक दो सह-संयोजक, कुछ सदस्य मिलकर आन्दोलन चलाएँ। ये कोई पावर की लड़ाई नहीं है। इस तरह संवैधानिक संरचना जो सर्वमान्य है उसको न लेते हुए संयोजक, सह-संयोजक और सदस्य, इसी तरह के दलों का जगह-जगह निर्माण हो और फिर स्वदेशी जागरण मंच यानी उसके दो तरह के घटक रहेंगे। एक प्रशिक्षित स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का दल और दूसरी जो संस्थाएँ हैं उनके लोग हों जो अपने क्षेत्र में होंगे। ये दोनों मिल कर स्वदेशी जागरण मंच के लिए कार्य करेंगे। मंच नाम रखने का कारण यही था। और फिर यह भी तय हुआ कि जहाँ-जहाँ आन्दोलन होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वहाँ दोनों के नाम आवश्यकता के अनुसार हो सकते हैं। कुछ कार्यक्रम केवल स्वदेशी जागरण मंच के ही होंगे, वहाँ स्वदेशी जागरण मंच का नाम रहे। कार्यक्रम स्वदेशी जागरण मंच और विविध क्षेत्रों की संस्थाएँ मिलकर करें। बैनर पर जो उपयुक्त होगा, वह होगा-

स्वदेशी जागरण मंच ब्रैकेट में भारतीय किसान संघ अथवा भारतीय किसान संघ ब्रैकेट में स्वदेशी जागरण मंच। अवसर-प्रसंग जैसा होगा, वैसा लिखना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था का विचार-विमर्श हुआ। उस समय यह सोचा गया कि संघर्ष करना पड़ेगा। तब संघर्ष का स्वरूप क्या होगा? आज जो अभी सारी चर्चा हुई कि आगे हमें संघर्ष करना है तो इसके विषय का स्वरूप कैसा हो? इस प्रसंग में बहुत बारीकी से विचार किया गया और यह सोचा गया कि संघर्ष का स्वरूप कैसा रखेंगे?

एक होता है पिच्ड बैटल। पिच्ड बैटल, ये जो आर्मी का कमान्डेट चीफ है, उसके जो असिस्टेंट है, यह रेगुलर आर्मी कही जाती है, यह एक जगह से कमांड होती है। एक जगह से सारी रणनीति (स्त्रेटेजी), सारी टेक्टिस तय होती है। इसका डिप्लोयमेंट एक जगह से होता है, ऐसी रेग्युलर आर्मी होती है। किन्तु जब शत्रु सेना बहुत प्रबल होती है, तब पिच्ड बैटल, माने मैदानी लड़ाई, आमने-सामने की लड़ाई, बहुत देर तक नहीं लड़ सकते। ऐसी स्थिति में वो छापामार लड़ाई लड़ते है, गुरिल्ला वार से लड़ते है, अलग-अलग गुरिल्ला ग्रुप, अलग-अलग स्थान पर रहते हैं, कोई केन्द्रीय मार्गदर्शन ऐसा उनका नहीं रहता, एक शिथिल सहयोग परस्पर उनका रहता है, सबका उद्देश्य एक, परस्पर शिथिल सहयोग, अपने-अपने स्थान से, जहाँ-जहाँ शत्रु सेना का शिविर होगा, वहाँ छापा डालना, जितना सामान उनका लूट सकते है, लूट लेना, जितने सिपाही मार सकते है, मार देना, ऐसी छापामार लड़ाई, जैसे गुरिल्ला वार प्रेक्टिस चलाते है, वैसे ही यह जो आर्थिक युद्ध है, इस युद्ध में अलग-अलग शक्तियां, अपने-अपने स्थान पर, इसी तरह यह छापामार लड़ाई चलाऐ।

अभी स्वदेशी जागरण मंच के बारे में तरह-तरह के गलत ख्यालात प्रचलित हैं। एक इंग्लिश न्यूज पेपर ने ऐसा लिखा था कि क्या स्वदेशी जागरण मंच आज सरकार के लिए औपोजीशन पार्टी का रोल प्ले करना चाहती है, तो सरकार के विषय में हमारी भूमिका क्या है यह प्रश्न उपस्थित हुआ था। स्वदेशी जागरण मंच गैर-राजनीतिक नॉन-पॉलिटिकल है। हमारे यहाँ संविधान है, संविधान के अंतर्गत चुनाव होते हैं और चुनाव में निर्वाचित जो भी सरकार होगी किसी भी पार्टी की रहे, वह राष्ट्रीय सरकार हम मानते हैं और राष्ट्रीय सरकार के साथ हमारा रूख क्या है? तो वह सभी सरकारों के साथ किसी भी पार्टी की सरकार रहे हमारा एक ही रूख होगा और वो क्या है? रिस्पोन्सिव को-ऑपरेशन। रिस्पोन्सिव को-ऑपरेशन का मतलब होता है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो हम पार्टी की फिक्र नहीं करते, किन्तु सरकार की नीति यदि स्वदेशी के अनुकूल रहेगी तो स्वदेशी जागरण मंच सरकार का समर्थक होगा, स्वदेशी के प्रतिकूल रहेगी या विरोधी रहेगी तो स्वदेशी जागरण मंच सरकार का विरोध करेगा, इस तरह से उनकी पॉलिसी क्या है, यह देखकर हम समर्थन या विरोध तय करते है, कौन-सी पार्टी पॉवर में है यह देखकर हम तय नहीं करते।

यह रिस्पोन्सिव को-ऑपरेशन है। प्रतिकारक सहकारिता है। यही एक मात्र मानसिकता लेकर चलना पड़ेगा यह उस समय सोचा गया। फिर ख्याल में आया कि लोगों को सरकार का अर्थ ज्ञात नहीं है, आप लोगों को मेरा यह वाक्य कुछ अतिवादी लगेगा, पर यह सच्ची बात है कि सरकार क्या है, यह कैसे चलती है, इसका लोगों को पता नहीं है।

सरकार दो तरह की होती है- एक है स्थायी सरकार और दूसरी अस्थायी सरकार। स्थायी सरकार वह है जिसे नौकरशाह चलाते हैं। अंग्रेजों के समय से जो नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी) चलती आई, उस परंपरा के सारे नौकरशाह (ब्यूरोक्रेट्स) स्थायी सरकार होते हैं। और अस्थायी सरकार वह जो चुनाव जीत कर आते हैं। जो स्थायी सरकार के लोग हैं उनको यह आत्मविश्वास रहता है कि सरकार तो हम चलाते हैं। सरकार की सारी बातें हमको मालूम हैं। नये आए हुए मंत्री को इसके बारे में क्या पता है? ये लोग आज हैं, कल चले जाएँगे। इस तरह की वृत्ति इनके मन में रहती है। यदि मन्त्री बहुत योग्य न रहा, बहुत बुद्धिमान न रहा तो नौकरशाही पर पकड़ जमाना बहुत कठिन हो जाता है। नौकरशाह सरकार को पथभ्रष्ट कर सकते हैं। गलत सूचनाएँ देकर उन्हें भ्रमित कर सकते हैं। ये नौकरशाह ऐसे होते हैं जिनको खरीदा जा सकता है। देशी पूँजीपतियों द्वारा या फिर विदेशी पूँजीपतियों द्वारा इन्हें खरीदा जा सकता है। विशेष बुद्धिमान, बहुत मेहनत करने वाला अध्ययनशील व्यक्ति ही इन पर पकड़ रख सकता है।

अपने देश में एक व्यक्ति हुए हैं- सी० पी० रामास्वामी अय्यर पीरावाला मिर्जा इस्माइल। इनकी एक छोटी-सी घटना लोग बताते हैं- मॉर्टेंग्यु चेम्सफोर्ड सुधार के आने के बाद मद्रास प्रेसीडेन्सी के आई० जी० ऑफ पुलिस ब्रिटिशर्स थे। और वहाँ होम मेम्बर की एक पोस्ट थी। किन्तु होम मेम्बर का स्थान आई० जी० ऑफ पुलिस के ऊपर का है या नीचे का है, इस विषय में उसकी नियमावली में लिखा हुआ नहीं था। उनके मन में था कि यह काली चमड़ीवाला होम मेम्बर है और मैं ब्रिटिशर हूँ, यह मेरे ऊपर है या नीचे? एक दिन ऐसा हुआ कि जहाँ रामास्वामी अय्यर रहते थे - मोईलमपुर में, वहाँ दंगा हुआ। उन्होंने फोन किया।

आई० जी० ऑफ पुलिस ने ही उनका फोन उठाया, उन्होंने कहा- **मेरे घर के पास दंगा हो गया है, कृपया पुलिस बल भेजिए, यह आपके लिए एक अवसर है** (देयर इज ए रॉइट नियर हाउस, काइन्डली सेन्ट पुलिस एस्क्वाड, इट इज योर ऑपरच्युनिटी)। उसने पूछा कि- **पुलिस बल तक्काल भेजा जा सकता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ यह आपका आग्रह है या आदेश?** (पुलिस एस्क्वाड कैन बी इमिडिएट डिस्पैच, बट लैट मी नो वेदर दिस इज ए रिक्वेस्ट ऑर एन ऑर्डर?) तुरंत ही रामास्वामी ने जवाब दिया, यदि आप मेरी बात मान लेते हैं तो **यह मेरा आग्रह है और यदि आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो यह मेरा आदेश है** (दिस इज रिक्वेस्ट इफ यू एक्सेप्टेड एण्ड ऐन आर्डर इफ रिजेक्टेड)। इस क्षमता के लोग रहें, तो नौकरशाही पर पकड़ आ सकती है। थोड़ा सरकार के स्वरुप को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

प्रत्यक्ष व्यवहार में ऐसा अनुभव होता है कि लोगों को लगता है, स्वदेशी वाले आर्थिक साम्राज्य के आने की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्र में स्वातंत्र्य है, हमारी सम्प्रभुता (सोवेरनिटी) है। कौन हमें गुलाम बना सकता है? हाँ, आर्थिक क्षेत्र में ठीक है कुछ विदेशी निवेशक आते होंगे। इससे हमारी स्वतंत्रता और सम्प्रभुता को धक्का कैसे पहुंच सकता हैं वे लोग नहीं जानते कि स्वतंत्रता और संप्रभुता रहते हुए भी यदि हमारा आर्थिक जीवन विदेशियों के हाथ में जाता है, हमारी इन्डस्त्री, हमारी कृषि, हमारे लघु उद्योग, सारा आर्थिक आधार यदि विदेशियों के हाथ में जाता है, तो हमारी स्वतंत्रता और सम्प्रभुता का कुछ मतलब नहीं रहेगा। यानी स्वदेशीत्व चला जाता है तो फिर आप राजा बने रहें, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। बाइबल में एक वाक्य आता है। जीसस ने ऐसा कहा है- 'फोर व्हाट विल इट प्रोफिट ए मेन इफ ही गेनस् दि किंगडम

ऑफ दी होल वर्ल्ड, एण्ड लूज हिज ओन सोल।' **क्या लाभ होगा? सारे पृथ्वी का राज्य तुम्हारे हाथ में आ जाए लेकिन उस प्रक्रिया में तूने अपनी आत्मा को ही खो दिया तो क्या होगा।** वैसे ही राजा बने रहें और स्वदेशी का सारा अस्तित्व खत्म हो जाए तब अपने राज्य का क्या मतलब होगा? लोगों के ख्याल में यह आना चाहिए और लोगों के ख्याल में ला देना अपना काम है। संवैधानिक राज्य और सम्प्रभुता वगैरह का महत्त्व तभी तक है जब आर्थिक साम्राज्य यहाँ नहीं आता। मैं समझाता हूँ स्वदेशी का विरोध करने वाले या स्वदेशी के बारे में उदासीनता दिखाने वाले जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वे लोग कम देशभक्त हैं, उनके ये ख्याल में ही नहीं है कि वे लोग आत्मा गवां रहे हैं। यह उनको समझा दिया तो मैं ये समझता हूँ कि वे समझ सकेंगे। फिर अपने आन्दोलन में इन लोगों का ज्यादा सहभाग हो सकता है।

अब विविध प्रश्न हैं। लोगों को सभी प्रश्न, आँकड़े और सांख्यिकी समझाना संभव नहीं है। किन्तु मूल धारणा को उन्हें समझा देते हैं तो उसके कारण लोग अपने-अपने क्षेत्र में स्वदेशी का प्रयोग कर सकेंगे। यही सारी धारणा लेकर स्वदेशी जागरण मंच का, सम्पूर्ण विचार के आधार पर निर्माण होगा। और इसके लिए जो रचना तैयार हो, इसके जो कार्यक्रम बनें, उनसे इनकी विशेषताओं का परिचय मिलता रहे।

इसका उद्घाटन किसने किया? जस्टिस वी० आर० कृष्ण अय्यर ने किया। नॉन-पार्टिएस्ट, केरल में वह पहले मार्क्सिस्ट गवरन्मेन्ट के लॉ मिनिस्टर रहे। जैसे उन्होंने उद्घाटन करने का आग्रह स्वीकार किया, मार्क्सवादी आए, कहने लगे तुम कहाँ जा रहे हो, ये आर० एस० एस० वाले लोग हैं। वी० आर० कृष्ण

अय्यर ने कहा कि मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं जा रहा हूँ। मैं आर० एस० एस० की फिलॉसाफी का विरोध करता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये लोग समझदार हैं और इस कार्य का कोई व्यक्तिगत या राजनैतिक लाभ ये उठाने वाले नहीं हैं। वी० आर० कृष्ण अय्यर आए। अपने मंच पर तरह-तरह के लोग हैं। इसमें मेनका गाँधी आईं, डांगे की सुकन्या रोजा देशपाण्डे आईं, सोशलिस्ट लीडर एस० आर० कुलकर्णी आए, मौलाना वहिदुद्दीन आए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर जी भी आए, दिल्ली में आए, मुम्बई में भी आए। विशेष बात, परम पूज्य बाला साहब देवरस जी ने एक पुस्तक की प्रस्तावना लिखी थी। वह पुस्तिका स्वदेशी के बारे में थी। चंद्रशेखर जी ने बाला साहब का लेख पाँच-छ: सभाओं में पूरा पढ़कर बताया। उसकी जिरॉक्स की कॉपी का पत्राचार से वितरण किया। आर० एस० एस० के विरोधी श्री चन्द्रशेखर ने स्वदेशी के बारे में बाला साहब के लेख का वितरण किया। हम लोगों ने बीड़ी बुनकर, मच्छीमार और पशुधन सम्बन्धी जो आन्दोलन किए उसमें पशुधन की रक्षा के लिए गाँधी जी की कुटिया से अलकबीर तक यात्रा की जाने वाली थी। उस दिन सुबह सर्वोदयी लोग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग यात्रा में शामिल होने वाले थे। दोनों दलों ने सुबह-सुबह महात्मा गाँधी की कुटिया के सामने बैठकर प्रार्थना की। महात्मा गाँधी की पोती निर्मला गाँधी का भाषण हुआ। सर्वोदयी कार्यकर्ता राधा कृष्ण का भाषण भी हुआ। उन्होंने कहा ये जो गौवंश का प्रश्न है, अब तक हम लोग उसको हल नहीं कर सके। किन्तु इन संघ के लोगों ने इस समस्या को हल करने का विचार किया है। हम जानते हैं कि ये संघ वाले हैं, ये लोग आखिर तक लड़ते हुए इस प्रश्न को हल करेंगे। यह हमें विश्वास है। तब निर्मला गाँधी ने आशीर्वाद दिया था। आज देखने में छोटी

घटना दिखती है, पर इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। इस तरह से सभी लोगों को साथ लेकर चलने का यह प्रयास रहा।

जो लोग अखबार में स्वदेशी जागरण मंच के विषय में पढ़ते हैं, उन्हें पता है कि कभी इसकी ताकत एकदम बढ़ जाती है और फिर थोड़ी देर में यह खबर आती है कि पहले तो ताकत बढी थी अब यह खत्म हो रही है, क्योंकि समाचार पत्र वालों को वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं है। हमने दोबारा स्वदेशी पखवाड़ा मनाया। अपनी ताकत तो जो है सो है, उसे सब जानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ऐसा तय किया था कि अपनी मशीनरी का पूरा उपयोग स्वदेशी पखवाड़ा मनाने में करेंगे। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी भी कार्य को शुरू में एक धक्का देने के लिए, सक्रियता लाने के लिए, थोड़े दिन साथ दे सकता है। लेकिन एक-एक काम को अखण्ड चलाते रहना, यह संघ का कार्य नहीं है। तो एक बार पन्द्रह दिन का, फिर एक बार पन्द्रह दिन का पखवाड़ा संघ ने चलाया। जब संघ मशीनरी मैदान में आई, तो समाचार-पत्रों ने लिखा अब तो स्वदेशी जागरण मंच बहुत बढ़ गया है। पन्द्रह दिन के बाद जब यह मशीनरी पीछे हट गई, तो समाचार पत्रों में कहा कि अब तो स्वदेशी जागरण मंच का नामो निशान कहीं दिखता नहीं है। इसमें मेरे लिए दु:ख की बात यह है कि समाचार पत्रों में वस्तु स्थिति की स्पष्ट जानकारी का अभाव हो तो बात अलग है, हमारे लोगों में भी इस तरह की गलतफहमी चलती है। हमारे लोग भी कभी सोचते हैं कि हमारी ताकत तो बहुत बढ़ गई, कभी सोचते है कि हमारी ताकत तो खत्म हो गई। तो हम अपने बारे में कम से कम इस भ्रांति में न रहे। यह आवश्यक विषय है।

दूसरी बात है, आन्दोलन की। इस दृष्टि से देखें तो अपनी सहयोगी संस्थाओं के आन्दोलन हमेशा चलते रहते हैं, अपना भी चलता है। लेकिन, मुझसे यहाँ कहा गया कि बीच में एक साल हो गया है पर हम कुछ नहीं कर सके। एक साल हम निष्क्रिय पड़े रहे, यह गलत बात थी। समझना चाहिए कि घटनाक्रम किस प्रकार तेज गति से बदल रहा है। अब देखिए कि पिछले साल की आखिरी मीटिंग 25 फरवरी 1999 को हुई थी। उस समय क्या परिस्थितियाँ थीं? मुझे स्मरण है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में भरतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय अधिवेशन नागपुर में था। उसके उद्घाटन समारोह की प्रेस-रिपोर्ट बनाने के लिए संवाददाता आए हुए थे। उसमें हमने हमेशा की तरह वाजपेयी सरकार राष्ट्रहित विरोधी नीतियाँ लेकर चल रही है, ऐसा कहा था। प्रेस ने कवर भी किया था। वहाँ मुम्बई और दिल्ली के नेशनल पेपर्स हमने मँगवाए थे। हमको आश्चर्य हुआ। हमने शुरू से क्या नीति सरकार को अपनानी चाहिए, इसके बारे में एक भूमिका दी थी, हमने कहा था कि हम डब्ल्यु० टी० ओ० में है तो क्यों हैं? काहे के लिए हमें विकसित देशों के खिलाफ विकासशील देशों को एकत्रित करके नेतृत्व करना चाहिए, भारत सरकार को नेतृत्व करना चाहिए। क्योंकि विकासशील देशों के सामने नई समस्या इसलिए निर्माण हुई कि जब तक रशिया था, हालाँकि वह कम्युनिस्ट था तो भी अमेरिका के लिए वह वैकल्पिक शक्ति था। इसके कारण छोटे देश को भी यदि अमेरिका का विरोध करना है, तो रशिया का सहरा लेता था। रशिया के विघटित होने के बाद सहारा किसका है? विकासशील देशों में सबसे बड़ा देश भारत ही है। यदि भारत नेतृत्व करता है तो लोगों का हौंसला बढ़ सकता है, नहीं तो कोई अमेरिका के खिलाफ जाने को तैयार नहीं हो सकता। तो विकासशील देशों को

एकत्र करना चाहिए। हम विश्व व्यापार संगठन को छोड़ कर बाहर जाएंगे, अपना अलग ग्रुप बनाएँगे। बाहर से विरोध करेंगे, इस तरह की भूमिका हमने पहले से ली थी। अब हमारे ये जो नौकरशाह हैं, ये तो सरकार को ऐसी भूमिका लेने देने के लिए तैयार नहीं थे। किन्तु इत्तेफाक से अटल जी जमैका गए। जहाँ विकासशील देशों के 14-15 देशों के लोग आए थे। वहाँ का सारा माहौल देखकर अटल जी का मत परिवर्तन हुआ, जो हम लोग उन्हें यहाँ समझा नहीं सके वह उन्होंने वहाँ समझा। उनका मत परिवर्तन हुआ और उन्होंने कहा कि सिएटल में कॉन्फ्रेन्स होने वाली है, वहाँ हम लोगों को मिलकर विरोध करना चाहिए और विरोध कैसे किया जाए यह तय करने के लिए अगले साल अगस्त माह में, मैं दिल्ली में सब देशों के व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन कराऊंगा। वहाँ हम लोग अपनी रणनीति तय करेंगे। ऐसा एक मत परिवर्तन हुआ। भारतीय मजदूर संघ के उद्घाटन भाषण में हमने वाजपेयी सरकार पर टीका किया था और समारोह के भाषण में हमने सरकार की प्रशंसा की और कहा कि बिल्कुल कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हैं। इसमें हम सरकार का साथ देंगे। अब बीच में क्या हुआ कि अखबारों ने कहा, ये तो 'समर सॉट' ले रहे हैं। ये जो भूमिका बन गई, तो कहना पड़ेगा कि इस सब भूमिका पर वाजपेयी सरकार सिएटल मसले पर बराबर स्थिर रही। हालाँकि वहाँ पर अफ्रीकन देशों ने ज्यादा पहल की। लेकिन वाजपेयी सरकार भी सिएटल पर स्थिर रही, यह मानना पड़ेगा। 25 फरवरी 1999 से लेकर आज तक जो घटनाएँ हुई उसमें से ये बातें सामने आई हैं। दूसरी बात मैं मानता हूँ कि एक तरफ सरकार हमारी इच्छा के अनुसार भूमिका का निर्वाह करते हुए दिखी, दूसरी तरफ हम जिसे राष्ट्र विरोधी कर्रवाइयाँ समझते हैं, जैसे आयात कर के बारे में है और ये मात्रात्मक प्रतिबंध

है और भी ऐसी कई बातें हैं जो घातक हैं, राष्ट्रहित के विरुद्ध हैं। ऐसी सरकारी नीतियाँ जो परस्पर विरोधी हैं, फिर भी दोनों साथ-साथ चलती हैं। और यह इस सरकार की विशेषता है कि परस्पर विरोधी बातें साथ-साथ चलती हैं। सीटीबीटी मानेंगे, नहीं मानेंगे। विमान अपहर्ताओं के विषय में भी देखिए..... सरकार का एक हिस्सा कहता है, अपहर्ताओं को बताओ कि आप हमारे लोगों को मार सकते हैं, लेकिन जितने पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे जेलों में हैं, हम सबको मार देंगे। दूसरा कहता है, नहीं। विदेशमंत्री तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को छोड़ने कंधार जाते हैं। एक जगह कहा जाता है कि मुख्यमंत्री राज्य के विधायकों की इच्छा से चुना जाएगा। लेकिन चौबीस घंटे के अन्दर ही दूसरा बयान आता है कि नहीं, फलाना आदमी ही मुख्यमंत्री होगा। इस सरकार में परस्पर विरोधी बातें चलती हैं। इसमें क्या सरकार की नीति है? यह सरकार को ही पता नहीं, हमको पता चलना तो और कठिन है। किन्तु इस सारी अवधि में यह जो कहा गया कि स्वदेशी जागरण मंच निष्क्रिय था, इस प्रसंग में मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस अवधि में सक्रिय रहना उचित था क्या? इसी अवधि में ये सारी घटनाएँ चल रही हैं। जम्मू-कश्मीर का आतंकवाद, नार्थ ईस्ट का आतंकवाद और प्रत्यक्ष कारगिल वगैरह की कार्रवाई भी। आप क्या सोचते हैं कि कारगिल में हमारी सेना के सिपाही अपनी जान की बाजी लगा रहे थे हम स्वदेशी के उत्साह में आकर यहाँ आन्दोलन करें? ये सारा समय इस तरह का रहा है।

दूसरी एक और बात है, संघर्ष के बारे में जैसा मैंने कहा - एक रेग्युलर आर्मी की तरह, जी हाँ, इसका मतलब होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय नियंत्रण में (अंडर वन सेंट्रल कमांड), सबको मिलकर एक रणनीति और

टैक्टिस के तहत आदेश आएगा। नीचे उसका पालन होगा। 'टू वे कम्युनिकेशन' ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसा आपने नमक का उदाहरण दिया। आपने यदि नमक का आन्दोलन किया, ये रेग्युलर आर्मी का काम है। केंद्रीय नियंत्रण (सेंट्रल कमांड) रहेगा। क्या होगा, क्या नहीं, एक जगह से सारा कमांड किया जाएगा। यह तो एक बात है किन्तु गुरिल्ला युद्ध के बारे में मैंने कहा- अब जो अलग-अलग विभाग हैं इनकी अलग-अलग समस्याएँ हैं। अभी पिछले दस दिन पहले भारतीय मजदूर संघ ने दो प्रदर्शन संसद के सामने किए। उसमें सभी स्वदेशी जागरण मंच के लोगों को बुलाया नहीं गया था। भारतीय किसान संघ के लोगों ने अपना ज्ञापन प्रधानमंत्री को दिया। अलग-अलग दलों के अलग-अलग तरह के संघर्ष चलते रहेंगे। और दोनों का संयुक्त समन्वयन भी होता रहेगा। किन्तु एक तीसरी बात भी होने वाली है, हमारा स्वदेशी आन्दोलन यशस्वी होगा या नहीं, यह दो तत्वों पर निर्भर है। एक है हमारे राष्ट्रवादी तत्व स्वदेशी जागरण मंच और दूसरा हमारे- स्वदेशी आन्दोलन को यशस्वी करने की जिम्मेदारी विदेशी पूँजी की है, फॉरेन कैपिटल की है। यह परिस्थिति आ रही है - यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ी तेजी से आक्रमण हो रहा है, 'टू फास्ट'। इसके कारण यह परिस्थिति आ रही है। क्या होगा, इसकी कल्पना साधारण आदमी नहीं कर सकता। हम 1947 से अब तक केवल एक तरीका अपनाते रहे। क्योंकि स्वराज्य था, अपनी सरकार थी, आन्दोलन का एक ही प्रकार था धरना, अनशन और हड़ताल। यानी संवैधानिक तरीका अपनी सरकार के खिलाफ अपनाया गया। किन्तु जब विदेशियों के खिलाफ कार्य करना पड़ेगा। तब इस तरीके से काम नहीं चलेगा। स्वातंत्र्य संग्राम में हमने देखा है जो स्वातंत्र्य मिला वह इस मार्ग से नहीं मिला। 1942 के बाद स्वातंत्र्य प्राप्ति तक कोई ऐसा आन्दोलन नहीं हुआ

था। फिर जो आंतरिक परिस्थिति का दबाव आया वह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज, हमारी नेवी का विद्रोह, हमारे एयर फोर्स का विद्रोह, बिहार पुलिस का विद्रोह, इन सारी परिस्थितियों से दबाव आया। विदेशियों के साथ ये सारा कुछ हुआ। कहा जाता है कि औद्योगिक क्रान्ति सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में आई उससे नई मशीनरी आई। इसके कारण वहाँ के बुनकर लोग बेकार हो गए। उन्होंने मशीनरी को तोड़-फोड़ करना शुरू किया। इन तोड़-फोड़ करने वाले लोगों के नेता का नाम था मिस्टर लेड।

इसलिए तोड़-फोड़ करने वाला जो आन्दोलन है, उसे लेडिज्म कहते है। इंग्लैण्ड की सरकार के सामने समस्या थी कि मशीनरी लाते हैं तो वह तोड़ दी जाती है, इतने लोगों को दबाना कठिन है। तभी उनके सौभाग्य से ऐसा हुआ कि उसी समय इंग्लैण्ड के लिए समुद्र मार्ग खुल गया। लोगों को समुद्र मार्ग से बाहर भेजना प्रारंभ हो गया। व्यापार के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए इंग्लैण्ड के लोग बाहर जाने लगे। इंग्लैण्ड में जो लोग नई मशीनरी के कारण बेकार हो रहे थे उनको रोजगार के लिए बाहर जगह मिल गई।

हमारे देश में ऐसी कोई योजना नहीं है। जब नई मशीनरी आती है तो हम लोगों में से 35% लोग बेकार हो जाते हैं। लौटकर घर में जाएँगे तो अपने बाल-बच्चों को क्या खिलाएँगे? यह सवाल आता है। बीवी बच्चों के साथ आत्महत्या करने की बारी आ सकती है। किसानों की आत्महत्या के कितने ही उदाहरण लोगों के सामने हैं। अब हमें आदत हो गई है कि दायित्व बोध होना चाहिए। कानून के मुताबिक चलना चाहिए। जो नेता लोग वातानुकूलित कमरे में बैठकर अच्छा नाश्ता और भोजन खाते हैं, वे लोग भूख से विवश होकर

आत्महत्या करने वालों को बताएँगे कि बेटा, दायित्व बोध (सेंस ऑफ रिस्पांसिब्लिटी) होना चाहिए। जो व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा है, वह चिंता करेगा आपके भारत की? मुझे स्मरण होता है विन्सटन चर्चिल का एक वाक्य। उन्होंने कहा है कि कभी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, जिसमें 'इट इज बेटर टु बी इर्रिस्पॉन्सिबल एण्ड राइट दैन टु बी रिस्पॉन्सिबल एण्ड रोंग।' यह वाक्य उन्होंने पढा हो या न पढा हो लेकिन उन लोगों की मनोवृत्ति ऐसी हो गई है। ये जो तीसरा प्रतिकार होगा, ये न रेग्युलर आर्मी का है, न छापामार गुरिल्ला युद्ध का है। यह स्वयँ स्फूर्त होकर जगह-जगह होने वाला है। और इसे बढ़ाने का कार्य बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ करने वाली हैं। इसके कारण देश में जगह-जगह अराजकता आने की परिस्थिति बन सकती है। सरकार को इस बात का अभी पता नहीं है। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, ... की उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है। यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। तो इस दृष्टि से यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम तीन तरह की लड़ाई के साथ होने वाला है और इसमें आधारभूत है स्वदेशी जागरण मंच का संगठन। संगठन कॉन्स्टीट्यूशनल नहीं है, प्रेसिडेन्ट, वाइस प्रेसिडेन्ट वाला भी नहीं। तो जैसा हमने बताया कि यह इस तरह का संगठन है, यदि हम इसे मजबूत करेंगे, तभी काम होगा।

विदेशी भी जानते हैं कि भारत के लोग जब तक सोये हुए हैं तब तक ठीक है। लेकिन यदि वे जागृत हो जाते हैं तो उनके साथ मुकाबला हम नहीं कर सकते। इसलिए विदेशियों की हमेशा नीति रही है कि बीच में वे किसी शिखण्डी को रखते हैं। जैसे भीष्म को अर्जुन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए भीष्म के जब तीर चलते थे तो वह शिखण्डी को बीच में खड़ा कर देता था। क्योंकि वह जानता था कि भीष्म शिखण्डी पर तीर नहीं चलाएँगे।

भारत सरकार को शिखण्डी की भूमिका नहीं करनी चाहिए। एक तरफ हम होंगे, दूसरी तरफ विदेशी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस युद्ध में हम विजयी होकर रहेंगे।

*****

विकास का स्वदेशी मॉडल

9-11 जनवरी, 2004 को कडी (गुजरात) मे सम्पन्न स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्र ऋषि श्रद्धेय श्री दत्तोपन्त जी ठेंगड़ी द्वारा दिया गया समारोप उद्‌बोधन यहाँ अक्षरश: प्रस्तुत है।

यह अन्तिम सत्र है। समारोप के भाषण में एक पद्धति ऐसी है कि सम्मेलन में जो-जो हुआ, उसको संक्षेप में दोहराना और इसका कारण है कि सामान्य आदमी की स्मरणशक्ति कमजोर होती है, किन्तु मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं की स्मरणशक्ति कमजोर नहीं है और इसलिए उसको दोहराने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता नहीं है।

एक बात जिसका जिक्र समारोप के भाषण में करना आवश्यक है और यह है कि स्वदेशी जागरण मंच की विरासत, लेगेसी (Legacy) क्या है? 1920 की बात है, यानि आज से 83 साल पहले की बात है, नागपुर में 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के स्वागत समिति के सक्रिय सदस्य, इस नाते परम पूजनीय डॉ० हेडगेवार जी थे, मैं 1920 का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि उस समय भारत का वायुमण्डल क्या था, 1917 में रूसी क्रान्ति हुई थी, कम्यूनिस्टों का शासन रूस में आया था, उसके बाद, हिन्दुस्तान के सभी नेता, बिल्कुल लाला लाजपतराय से लेकर पण्डित नेहरू तक, सभी नेता यही विश्वास रखते थे कि दुनिया भर के 'केपिटलिज्म' (Capitalism) को, पूँजीवाद को, नष्ट करने का काम अब 'कम्यूनिज्म'

(Communism) करने वाला है, इस वायुमण्डल में, सब लोग यह तो जानते है कि परम पूजनीय डॉ० हेडगेवार जी कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख थे, किन्तु दूसरी बात नहीं जानते है। उन्होंने ड्राफ्ट किया हुआ एक 'रिजोल्युशन' (Resolution), प्रस्ताव, 'ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी' के पास भेजा था, उसमें कहा गया था कि इस नागपुर के अधिवेशन में 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' ने अपना ध्येय घोषित करना चाहिए, वह द्विविध होना चाहिए, एक- भारत को स्वतंत्र करते हुए उसमें गणतन्त्र की स्थापना और दो- विश्व के सभी देशों को पूँजीवाद के चुंगल से मुक्त करना, यह हमारा ध्येय घोषित होना चाहिए। स्पष्ट है कि अन्य नेताओं के समान डॉ० हेडगेवार जी यह मानने को तैयार नहीं थे कि 'केपिटलिज्म' को खत्म करने का काम 'कम्यूनिज्म' करेगा, ऐसा यदि मानते, तो 'ड्राफ्टिंग' (drafting) ऐसा न होता कि विश्व के सभी देशों को पूँजीवाद के चुंगल से, सभी देशों को 'केपिटलिज्म', पूँजीवाद से मुक्त करने का जिम्मा भारत को ही उठाना पड़ेगा, यह उनकी दूरदृष्टि 1920 में प्रकट हुई उसका केवल मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ वही हमारी विरासत है।

अब यह सम्मेलन समाप्त होने आया है, यह अन्तिम सत्र है और इसमें हमने वापिस जाने के बाद, यहाँ का क्या संदेश लोगों को देना है, यह बताने की आवश्यकता है। आज की स्थिति हम जानते है, एक स्पष्टीकरण देना मैं आवश्यक समझता हूँ, चूंकि इतने साल तक केवल विश्व व्यापार संगठन के बारे में ही आन्दोलनात्मक, संघर्षात्मक काम करने का जिम्मा स्वदेशी जागरण मंच को उठाना पड़ा, इसके कारण एक गलतफहमी कुछ लोगों की है कि हम केवल विश्व व्यापार संगठन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज हमारा 'फोकस' (focus) 'विश्व व्यापार संगठन' पर है, क्योंकि सबसे बड़ा संकट वो

है, तो भी हम जानते है कि देश की जनता के लिए इसके अलावा भी कुछ संकट है, वो हमारी आँखों से ओझल नहीं है, भारत सरकार की गलत आर्थिक नीतियाँ और भारतीय उद्योगपतियों की, पूँजीपतियों की तृष्णा, 'मोनोपोली केपिटेलिस्ट' (monopoly capitalist) बनने की इच्छा, यह दो बड़े संकट हमारी आखों से ओझल नहीं है, किन्तु इस समय सबसे बड़ा, 'इमीडियेट' (immediate), तात्कालिक संकट इस नाते डब्ल्यु० टी० ओ० की ओर हम ध्यान दे रहे हैं। डब्ल्यु० टी० ओ० की आज की स्थिति का विवरण उद्घाटन भाषण में किया है, वह एक 'क्रूशियल पॉइन्ट' (crucial point) पर आ गया है, ऐसे पॉइन्ट पर कि 'डवलप कन्ट्रीज' ने जान लिया है कि पहले जैसा होता था कि 'डवलप कन्ट्रीज' ने आपस में तय कर लेना कि उनके लिए लाभदायक क्या है और फिर बाकी के लोगों को दबाव में लाकर कहना कि ऐसा वोटिंग करो, अब वह नहीं चलेगा, यह उन्होंने समझ लिया। 'केनकून' की कॉन्फ्रेंस में सब लोगों ने इसको समझ लिया और इसके कारण एक अलग रणनीति वो अपना रहे हैं, जिसका मैंने विवरण किया, संक्षेप में 'अशुभस्य काल हरणम्' माने कोई भी फैसला तुरन्त न हो, क्योंकि आज ऐसे 'क्रूशियल पॉइन्ट' पर पहुँच गए हैं कि विकसित देशों के लिए अनुकूल फैसला होगा तो विकासशील गरीब देशों के लिए वह घातक होगा और विकसनशील गरीब देशों के लिए अनुकूल फैसला होगा, तो विकसित गौरे देशों के लिए वह घातक होगा। ऐसे 'क्रूशियल पॉइन्ट' पर पहुँच गया है और इसके कारण अभी 'अशुभस्य काल हरणम्' चल रहा है। ऐसे समय क्या नीति अपनाना? 'अशुभस्य काल हरणम्' लम्बे देर तक नहीं चल सकता। आज जिनके ध्यान में नहीं आया कि यह क्या रणनीति है, सो सब समझ जाएंगे कि यह 'अशुभस्य काल हरणम्' है

तो इस समय आगे क्या होगा? इसके विषय में निश्चित, ना हम भी जानते है न वो भी जानते है। लेकिन अपनी दृष्टि से इस सम्मेलन का मैसेज, संदेश जो कार्यकर्ताओं को देना है, जनता को देना है, वो यही है कि 'होप फोर दी बेस्ट, प्रिपेयर फोर दी वर्स्ट' अच्छी से अच्छी परिस्थिति आऐगी ऐसी हम आशा करें, हालाँकि हम जानते है कि आने वाली नहीं और खराब से खराब परिस्थिति आई तो उसका मुकाबला करने की हम तैयारी रखे और उस दृष्टि से संगठन मजबूत हो, स्वदेशी जागरण मंच का संगठन का ढाँचा मजबूत हो, हमारा सम्पर्क विस्तृत हो, हर गाँव में हम पहुँचे और स्वदेशी का मंत्र लोगों को बताए और साथ ही साथ और एक बात है जिसका उल्लेख मैं बाद में करने वाला हूँ तो संगठन और सम्पर्क, यह 'इमिडियेट' काम हमारे सामने है और यह संदेश लेकर हम जा रहे है। संगठन की दृष्टि से, हर स्तर पर अच्छी वर्किंग टीम तैयार हो, जिसको कहा जाता है, 'मास्टर माइण्ड ग्रुप', हर स्तर पर, ग्राम स्तर से लेकर, तो मण्डल, जिला, प्रदेश, केन्द्र के स्तर पर, 'मास्टर माइण्ड ग्रुप' तैयार हो यह संगठन के लिए आवश्यक है और सम्पर्क तो करना ही है, हर गाँव में जो अशिक्षित लोग हैं, अनाड़ी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है? पूजनीय महात्मा जी गांधी को एक बार राजनेताओं ने पूछा कि कोई भी राष्ट्रीय नीति तय करते समय ज्यादा ख्याल में रखने लायक कौनसी बात है? महात्मा जी ने कहा कि राष्ट्रीय नीति तय करते समय इसका ख्याल करो कि 'देहात में जो अनाड़ी, गरीब ऐसा व्यक्ति पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपकी राष्ट्रीय नीति का क्या असर होगा? यह ध्यान में रखकर फिर नीति तय करो।' ऐसा पूजनीय महात्मा गांधी ने कहा था। यही आज ध्यान में रखने की आवश्यकता हैं और इस दृष्टि से संगठन और सम्पर्क, यहाँ से जाने के बाद

तुरन्त यह दोनों काम शुरू होने चाहिए, क्योंकि तरह-तरह की परिस्थितियाँ निर्माण हो सकती है। किसी ने कहा कि 'प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट' खराब से खराब परिस्थितियाँ आएगी तो क्या होगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए।

विकसित गौरे देश यह तो समझ गए कि विकसनशील गरीब देश अब अपनी बात केवल दबाव में आकर मानने वाले नहीं, यह तो समझ गए, लेकिन वह चुपचाप नहीं है। एक तरफ वार्ता चल रही है, लोगों से बात कर रहे हैं, यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि अरे भाई इस्यु क्या हैं हमको पता ही नहीं था। आपको आश्चर्य होगा कि 'चेयरमेन ऑफ दी जनरल कॉन्सिल ऑफ दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन', विश्व व्यापार संगठन के चेयरमेन प्रकट रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि 'इस्यु' क्या हैं, इसकी कल्पना ही नहीं थी। अब जब बाते कर रहे हैं हम लोगों से, तो कल्पना कर रहे हैं कि 'इस्यु' क्या है? इतने दिन आपने क्या किया, चूंकि दबाव नहीं था, इस्यु समझ लेने की आवश्यकता नहीं थी, तो इस तरह से एक तरफ वो बाते चला रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ 'सेबोटेज' (sabotage) करने का भी प्रयास हो रहा है। गरीब देशों के नेताओं को, अफसरशाही को खरीदने का प्रयास हो रहा है। उनके पास पैसा बहुत है और जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, हम जानते हैं कि हमारे देश में भी दो तरह की सरकारें हैं। एक तो परमानेन्ट सरकार, माने अफसरशाही, ब्यूरोक्रेसी और दूसरी टेम्परेरी सरकार, जो चुनाव के बाद आते जाते रहते हैं और परमानेन्ट सरकार के नौकरशाहों को यह भरोसा है कि यह जो आने जाने वाले मिनिस्टर है वो कुछ नहीं जानते इनका अध्ययन नहीं है, इसलिए हम जो कहेंगे उसी डोक्युमेन्ट पर सिगनेचर करना इसके लिए बाध्य हो जाएगा। यह आत्मविश्वास उनके अन्दर है और ऐसे जब ब्यूरोक्रेट्स है, अफसरशाही है, उनमें

से कितने लोग खरीदे जा सकते हैं और कितने खरीदे नहीं जा सकते। इसका हिसाब लगाना कठिन है। आजकल समाचार पत्र आप पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ने से आपको यह आश्चर्य होगा कि यहाँ 'अनपरचेजेबल' कौन है, जिसकी गिनती करना आसान, 'परचेजेबल' कौन है, इसकी गिनती नहीं की जा सकती, ऐसे 'परचेजेबल' लोगों के आधार पर अपनी नीति हमें तय करनी है, इसलिए जनता को सावधान करने की आवश्यकता है और इस स्थिति में लाने की आवश्यकता है कि जो स्वदेशी जागरण मंच की पहली मिटिंग में दिल्ली में कहा गया था कि इस तरह के जो नौकरशाह है, उनको हम खोज लेंगे, उनको हम नग्न करेंगे और उनके ऊपर सामाजिक बहिष्कार करेंगे। माने उनके साथ कोई सामाजिक सम्बन्ध न रहे। उनके पास जाना नहीं, उनके यहाँ जाना नहीं, उनके यहाँ नौकरी करना नहीं, उनके कपड़े धोना नहीं, बर्तन धोना नहीं कुछ भी काम करने के लिए उनके पास कोई नहीं जाए, ऐसा सामाजिक बहिष्कार ऐसे लोगों पर किया जाए। यह बात पहली मिटिंग में भी कही गई थी। आज भी उसी को दोहराने की आवश्यकता है। इस तरह से आज की परिस्थिति में संगठन और सम्पर्क यह दो प्रमुख बातें हैं, इस सम्मेलन के संदेश के नाते लेकर जाना चाहिए।

एक बात केवल रही, ऐसा है, पिछले वर्किंग कमिटी के मिटिंग में हमने यह बात कही थी, हमने कहा था कि अब यह समय नजदीक आ रहा है कि जब 'स्वदेशी मॉडल ऑफ डवलपमेंट' माने विकास का स्वदेशी मॉडल क्या हो? यह वर्क आउट करना, 'स्पेल आउट' करना इसकी आवश्यकता हो रही है। उसमें कुछ लोगों को ऐसा लगा कि काहे के लिए विकास की बात कर रहे हैं। यह तो बड़ी लम्बी बात है, दूर की बात है, किन्तु इस चुनाव में आपने देखा होगा

कि यह दूर की बात नहीं है, चुनाव में अलग-अलग राजनैतिक दलों ने विकास को चुनाव का मुद्दा बनाया। चुनाव एवं उत्तम प्रशासन यह प्रमुख मुद्दे बनाए गए। इससे आपको यह तो कल्पना हुई होगी कि विकास का कितना महत्व है, विकास की कल्पना 'स्वदेशी मॉडल' उसका बनाना बहुत आवश्यक है। विदेशी मॉडल हमारे लिए काम नहीं कर सकता। जो पश्चिमी मॉडल हैं उसमें उनके 'पेरामीटर' अलग है, भौतिक है, जी० डी० पी०, जी० एन० पी० लोगों के पास कितना पैसा है, इन्कम है, यह सारी जो है, यह 'पैरामीटर' उनके है सारे भौतिक है। इसको हम पूरे 'पैरामीटर्स' नहीं मानते हैं। पूरा पेरेडेम (paradigm) नहीं मानते हैं, 'पेरेडेम' में वास्तव में उद्देश्य यही होना चाहिए कि हर आदमी को जो उसकी आवश्यकतएँ हैं, मौलिक आवश्यकताएँ हैं, याने रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य इन सब बातों को उसको उपलब्ध करा देना यह पहली बात और दूसरी कि उस मॉडल के अन्तर्गत हर व्यक्ति का विकास, व्यक्तिगत विकास कैसा होगा? 'पर्सनल डवलपमेन्ट'। यह दो बातों को लेकर 'स्वदेशी मॉडल ऑफ डवलपमेन्ट' विकसित करना चाहिए। किन्तु हम जानते हैं और यह 'वर्किंग कमीटी' के सामने भी कहा गया कि हम लोग तो 'डे टु डे एक्टिविटी' में लगे हुए हैं। हम ऐसे थोड़े से लोग इस बौद्धिक काम के लिए उपयुक्त हो सकते है, लेकिन ज्यादातर हम 'डे टू डे एक्टिविटी' में लगे हुए है, इसलिए हर स्तर पर ऐसा मॉडल तैयार करने के लिए जो बुद्धिमानी चाहिए, ऐसे बुद्धिमानी रखने वाले लोगों की खोज करना, जिसको कहा गया है- 'हंट फोर दी टेलेंट'। यह आवश्यक है, वह अभी से करना आवश्यक है। तो इस तरह से तीन बाते संदेश के रूप में लेकर जाना है- एक मजबूत संगठन, दूसरा विस्तृत सम्पर्क और

तीसरा उपयुक्त बुद्धिमान लोगों की खोज, तीन बातों को लेकर हम अपने यहाँ जाए, लोगों को बताए, इतना ही कहता हुआ मैं मेरा भाषण पूरा करता हूँ।

भारत माता की जय

*****

स्वदेशी के आग्रही इस विचार को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि विकास का पश्चिमी मॉडल सार्वभौम है और दुनिया भर के लोगों को उसकी नकल करनी चाहिए। हालांकि वे सांस्कृतिक आदान-प्रदान को स्वीकारते हैं, मगर इस बात पर जोर देते हैं कि हर समाज की अपनी संस्कृति होती है और हर देश की प्रगति और विकास मॉडल का उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों के साथ तारतम्य होना चाहिए। आधुनिक बनने का मतलब पश्चिमीकरण नहीं है। आधुनिकीकरण के क्रम में राष्ट्रीय संस्कृति की भावना का आदर होना चाहिए। वे पश्चिम के हित में विभिन्न संस्कृतियों और राष्ट्रीय पहचानों को गड्ड-मड्ड कर देने की कोशिशों का विरोध करते हैं।

आधुनिक पश्चिमी तकनीक और आर्थिक प्रणाली के साथ एक ऐसी सभ्यता आ रही है जो गैर-पश्चिमी सभ्यताओं के अनुकूल नहीं है। विरोध का यह मूल आधार है।

दत्तोपंत ठेंगड़ी

प्रकाशक

स्वदेशी विचार केन्द्र

(स्वदेशी विचार फाउण्डेशन का एक उपक्रम)

बी-708, 'मारवाड़ अपार्टमेंट' सेक्टर 14-ई,

चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर (राजस्थान) - 342008

दूरभाष- +91 9414126770

ई-मेल : thehinduway@gmail.com